43वीं वार्षिक रिपोर्ट
43rd Annual Report
2017-18

NFDC
cinemas of india

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

National Film Development Corporation Limited
(A Government of India Enterprise)

NFDC
cinemas of india

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

43वीं वार्षिक रिपोर्ट 2017-18

National Film Development Corporation Limited

(A Government of India Enterprise)

43rd Annual Report 2017-18

NFDC
cinemas of india

विषय सूची Contents

निदेशक मंडल
Board of Directors....5

हमारे बारे में
About us....7

फिल्म निर्माण
Film Production....9

वितरण
Distribution....11

प्रमोशन
Promotion....13

प्रशिक्षण और विकास
Training & Development....15

सूचना
Notice....16

अंशधारकों को प्रबंध निदेशक का पत्र
Managing Director's Letter to Shareholders....17

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report....18

अनुलग्नक – I
Annexure – I....32

प्रबंधन विश्लेषण रिपोर्ट
Management Analysis Report....38

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र
Auditors' Certificate on Corporate Governance....50

आचार संहिता प्रमाणपत्र
Certificate on Code of Conduct....51

दिनांक 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2018....52

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2018....53

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2018....54

लेखाओं पर टिप्पणियां
Notes on Accounts....56

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report....82

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "क"
Annexure – "A" to the Independent Auditors' Report....86

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ख"
Annexure – "B" to the Auditors' Report....89

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ग"
Annexure – "C" to the Auditors' Report....92

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणियां
Comments Of The Comptroller And Auditor General of India Under Section 143(6) (B) of The Companies Act, 2013 on The Financial Statements Of National Film Development Corporation Limited For The Year Ended 31st March 2018....93

कंपनी के अधिनियम 2013 के सेक्शन 143 (6) (बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड द्वारा 31मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत वित्तीय विवरणों पर भारत सरकार के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक की ओर से की गई टिप्पणियों के उत्तर
Reply to the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2018....95

पंजीकृत कार्यालय **मुम्बई**

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, छठी मंजिल,
नेहरू सेंटर, डॉ ॲनी बेसंट रोड,
वरली, मुम्बई – 400 018
सीआईएन यू92100एमएच1975जीओआई022994

Registered Office **Mumbai**

Discovery of India Building (6th Floor),
Nehru Center, Dr. Annie Besant Road,
Worli, Mumbai – 400 018
CIN U92100MH1975GOI022994

क्षेत्रीय कार्यालय **चेन्नई**

पहली मंजिल, को ऑप्टेक्स वेअर हाउस
बिल्डिंग,
350, पेंथोन रोड, इगमोर,
चेन्नई – 600 008

Regional Offices **Chennai**

1st Floor, Co-optex Warehouse Building,
350, Pantheon Road, Egmore
Chennai – 600 008

कोलकाता

आरआयसी इंडस्ट्रियल इस्टेट कम्पाउंड,
उपेन बेनर्जी रोड, पर्नाश्री, बेहाला,
कोलकाता 700 060

Kolkata

R.I.C. Industrial,Estate Compound,
Upen Banerjee Road, Parnasree,
Behala, Kolkata – 700 060

नई दिल्ली

चौथी मंजिल, सूचना भवन,
फेज – 1, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली – 110 003

New Delhi

4th Floor, Soochana Bhavan,
Phase I, C.G.O. Complex, Lodhi Road,
New Delhi – 110 003

शाखा कार्यालय **तिरूवनंतपुरम**

चित्रांजली स्टूडिओ कॉम्प्लेक्स,
तिरूवनंतपुरम – 695027

Camp office **Thiruvananthapuram**

Chitranjali Studio Complex
Thiruvananthapuram – 695 027

बैंक एच.डी.एफ.सी. बैंक

भारतीय स्टेट बैंक

स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

पंजाब नैशनल बैंक

आयडीबीआय बैंक

यस बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

आय.डी.एफ.सी. बैंक

Bankers H.D.F.C Bank

State Bank of India

State Bank of Travancore

Punjab National Bank

IDBI Bank

Yes Bank

Bank of India

I.D.F.C Bank

लेखा परीक्षक टस्की असोसिएट्स
सनदी लेखाकार
मुम्बई कार्यालय – 1/10, किनारा
कॉ.ओ.हाउसिंग सोसाइटी, बांद्रा रेक्लेमेशन,
मुम्बई – 400 050

Auditor Tasky Associates
Chartered Accountants
Mumbai Office – 1/10, Kinara CHS,
Bandra Reclamation,
Mumbai 400 050

निदेशक मंडल
(31/03/2018 को)

Board of Directors
(As on 31/03/2018)

पूर्ण कालिक निदेशक Full-time Directors

नीना लाठ गुप्ता
प्रबन्ध निदेशक
(24.04.2018 तक)
Nina Lath Gupta
Managing Director
(Upto 24.04.2018)

एन.जे. शेख
निदेशक (वित्त)
N.J. Shaikh
Director (Finance)

अंशकालिक निदेशक (सरकारी) Part-time Directors (Official)

के. संजय मूर्ति
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(08.05.2017 तक)
K. Sanjay Murthy
Government Nominee Director
(Upto 08.05.2017)

डॉ. सुभाष शर्मा
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(01.09.2017 तक)
Dr. Subhash Sharma
Government Nominee Director
(Upto 01.09.2017)

अशोककुमार आर. परमार
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(08.05.2017 से)
AshokKumar R. Parmar
Government Nominee Director
(From 08.05.2017)

अली रज़ा रिज़वी
सरकार द्वारा नामित निदेशक
(24.10.2017 से)
Ali Raza Rizvi
Government Nominee Director
(From 24.10.2017)

स्वतंत्र निदेशक Independent Directors

अनुपमा चोपड़ा
(08.02.2017 से)
Anupama Chopra
(From 08.02.2017)

परिकल्पना

सिनेमाज ऑफ इंडिया मिशन के प्रति अंतर्देशीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सराहना एवं उत्सव भावना का सृजन.

Vision

To create domestic and global appreciation and celebration of the Cinemas of India.

Gandhi

Manjhi – The Mountain Man

Gaman

Qissa – The Tale of A lonely Ghost

लक्ष्य

एनएफडीसी का उद्देश्य है सिनेमा में उत्कृष्टता एवं विभिन्न भारतीय भाषाओं में बनी फिल्मों के समर्थन तथा प्रोत्साहन के जरिये इसकी विविधतापूर्ण संस्कृति का उन्नयन.

Mission

NFDC aims at fostering excellence in cinema and promoting the diversity of its culture by supporting and encouraging films made in various Indian languages.

हमारे बारे में

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है. इसकी स्थापना सन 1975 में इस उद्देश्य से की गयी कि भारतीय फिल्म उद्योग का प्रभावपूर्ण तथा समग्र विकास हो और इसका योजनाबद्ध उन्नयन समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति और उद्देश्यों के अनुसार किया जा सके. सन 1980 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.को तत्कालीन फिल्म फाइनेंस कार्पोरेशन तथा इंडियन मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन को समामेलित कर के पुनर्गठित किया गया.

एनएफडीसी ने अब तक 300 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है या उनके लिये फंड उपलब्ध किये हैं. विविध भारतीय भाषाओं में बनाई गई इन फिल्मों की विश्व भर में सराहना हुई है और इन्हें अनेक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं. इसके द्वारा पिछले कुछ दशक में बनाई गई विशेष ख्यातिप्राप्त फिल्मों में प्रमुख हैं : सर रिचर्ड एटनबरो की 'गांधी' (इंग्लिश), मीरा नायर की 'सलाम बॉम्बे', केतन मेहता की 'मिर्च मसाला', कुंदन शाह की 'जाने भी दो यारो', श्याम बेनेगल की `द मेकिंग ऑफ द महात्मा' हिंदी/इंग्लिश, कल्पना लाजमी की 'रुदाली' (हिंदी), सत्यजित रॉय की 'घरे बाइरे' (बंगाली), अनुराग कश्यप की 'द गर्ल इन यलो बूट' (हिंदी), दिबाकर बनर्जी की 'शंघाई' (हिंदी), गुरविंदर सिंह की पंजाबी फिल्म 'अन्हे घोरे दा दान' और ज्ञान कोरिया की 'द गुड रोड' (गुजराती), रितेश बात्रा की 'द लंच बॉक्स' आदि.

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. फीचर फिल्मों के निर्माण तथा सह-निर्माण, पटकथा विकास, फिल्म निर्माण के स्पेक्ट्रम में प्रशिक्षण सुविधाएं, विदेशी मार्केटों में फिल्मों के प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं की फिल्मों के जरिए बेहतर सिनेमा आंदोलन को प्रोत्साहित करती है. नवंबर, 2007 से गोवा में भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ एनएफडीसी द्वारा आयोजित फिल्म बाजार के माध्यम से भारतीय फिल्म निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी के सदस्यों के बीच अधिक पारस्परिक विचार-विमर्श के लिए मंच निर्माण करती है.

वितरण गतिविधि परंपरागत रिलीज से लेकर डिजिटल प्रारूपों जैसे वीओडी जैसे फिल्मों के वितरण और प्रदर्शन के लिए विभिन्न स्थापित और उभरते प्रारूपों को बढावा दे रही है और इस प्रकार भारतीय दर्शकों को उचित दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले सिनेमा उपलब्ध करा रही है.

एनएफडीसी सरकारी एजेंसियों के लिए 360 डिग्री एकीकृत विपणन समाधान भी प्रदान करती है और विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फिल्मों, टीवी श्रृंखला, वेब विज्ञापन, रेडियो श्रृंखला और विषयगत म्यूजिकल एंथम आदि निर्माण सेवाएं प्रदान करती है.

About us

The National Film Development Corporation Ltd. (NFDC) is a Public Sector Undertaking under the administrative control of the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India. It was incorporated in the year 1975 with the primary objective of planning and promoting an organized, efficient and integrated development of the Indian film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time. NFDC was reincorporated in the year 1980, by merging the Film Finance Corporation (FFC) and the Indian Motion Picture Export Corporation (IMPEC) with NFDC.

NFDC has so far funded/produced over 300 films. These films, in various Indian languages, have been widely acclaimed and have won many national and international awards. Some of the landmark films of NFDC in the past include Gandhi (English) by Sir Richard Attenborough, Salaam Bombay (Hindi) by Mira Nair, Mirch Masala (Hindi) by Ketan Mehta, Jaane Bhi Do Yaaron (Hindi) by Kundan Shah, The Making Of The Mahatma (English/Hindi) by Shyam Benegal, Rudaali (Hindi) by Kalpana Lajmi, Ghare Bhaire (Bengali) by Satyajit Ray, That Girl in Yellow Boots (Hindi) by Anurag Kashyap, Shanghai (Hindi) by Dibakar Banerjee, Anhey Ghore Da Daan (Punjabi) by Gurvinder Singh, The Good Road (Gujarati) by Gyan Correa, The Lunch Box by Ritesh Batra etc.

NFDC encourages the good cinema movement across the multi-lingual cinemas of India by producing and co-producing feature films, script development, training facilities across the spectrum of filmmaking, promotion of films in markets abroad, and creation of platforms for greater interaction between Indian filmmakers and members of the international film fraternity through Film Bazaar organized by NFDC alongside the International Film Festival of India in Goa since November, 2007.

The distribution activity straddles various established and emerging formats for distribution and exhibition of films ranging from the conventional theatrical release to digital formats such as VoD thus making high quality cinema available at reasonable rates to Indian viewers.

NFDC also provides 360 degrees of integrated marketing solutions for government agencies and provides advertisements, documentaries, short films, TV series, web advertisements, radio series and thematic musical anthems

Ek Doctor Ki Maut

Ek Ghar

फिल्म *बियॉन्ड द नॉन वर्ल्ड* के चित्र

Stills from film *Beyond the Known World*

फिल्म निर्माण

एनएफडीसी का फिल्म निर्माण विभाग नई प्रतिभाओं का विकास एवं नवोदित फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म निर्माण तथा भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के साथ भागीदारी में अच्छी गुणवत्ता वाली फिल्मों के सहनिर्माण के जरिये भारतीय संस्कृति को बढावा देने के प्रमुख उद्देश्य को समर्थन देता है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना – विभिन्न क्षेत्रीय/भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण का सफल संचालन जोकि भारत के सबसे कल्पनाशील, विविधतापूर्ण एवं ओजस्वी फिल्म संस्कृति का प्रदर्शन करने का साधन है.

इस योजना के जरिये 18 नवोदित फिल्म निर्माताओं का समावेश हुआ तथा हिन्दी सहित 14 भारतीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण/ सहनिर्माण किया गया. इस तरह विविध संस्कृतियों के बहु प्रतिभाशाली फिल्म निर्माताओं के समुदाय का समर्थन.

एनएफडीसी का सतत प्रयास रहा है कि योजना की स्कीम को पहली-पहली बार स्वतंत्र रूप से फिल्म बनाने वाले निर्माताओं तथा सह निर्माताओं के जरिये पुरजोर समर्थन और आगे बढ़ाते रहा जाय. इसके साथ ही उभरते हुए उन फिल्मकारों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्माताओं को भी साथ लिया जाय. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एनएफडीसी ने इंडो-न्यूज़ीलैंड फिल्म `बियॉन्ड द नोन वर्ल्ड ' के सहनिर्माण के लिये अनुबंध किया जिसका निर्देशन पान नलिन कर रहे हैं. यह फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज पर है.

Film Production

The Production Department at NFDC supports and drives NFDC's mission to develop new talent and to promote Indian culture through production of films by first time feature filmmakers and through Co-producing good quality films in partnership with Indian and International filmmakers. The successful execution of the 11th & 12th Five Year Plan Schemes of the Ministry of Information & Broadcasting – Film Production in various Regional/Indian languages- is a means to showcase India's most imaginative, diverse and vibrant film culture.

18 first time filmmakers were introduced through the Plan Scheme and films across 14 Indian languages including Hindi, were Produced/Co-produced, thus supporting a community of multitalented filmmakers, across diverse cultures.

NFDC endeavours to support and drive the Plan Scheme through production of films by first time filmmakers and co-production with emerging filmmakers and international producers. During the financial year 2017-18, NFDC has signed the co-production agreement with New Zealand and Indian producer for the film Beyond the Known World directed by Pan Nalin. The film is in post-production stage

एनएफडीसी का आधिकारिक ओटीटी प्लेटफार्म
सिनेमाज ऑफ इंडिया
भारत का बेहतरीन पुरस्कार विजेता फिल्मों का विशालतम संग्रह

NFDC's official OTT Platform
Cinemas of India
India's Largest Collection of pathbreaking Award Winning Movies

The Making of The Mahatma

Party

Mammo

Dharavi

Anhey Ghorhey Da Daan

Massey Sahib

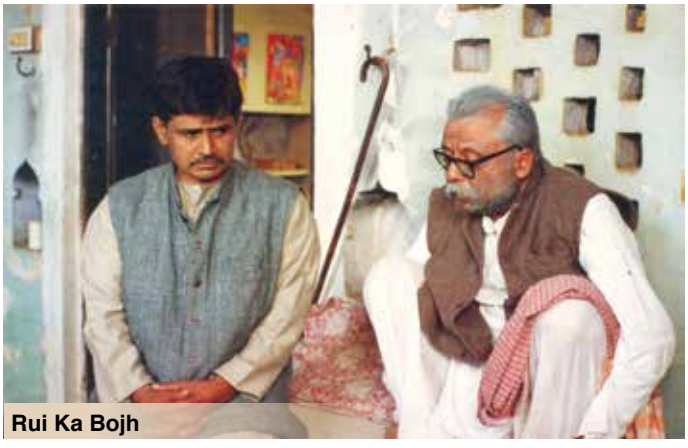
Rui Ka Bojh

Antareen

वितरण

एनएफडीसी विश्व स्तर पर भारतीय स्वतंत्र सिनेमा को बढ़ावा देने और विकसित करने में सबसे आगे रहा है. वितरण के सभी संभावित तरीकों के साथ भारतीय स्वतंत्र सिनेमा को सक्षम बनाने के विचार ने 2012 में सिनेमाज़ ऑफ़ इंडिया वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफ़ॉर्म को लॉन्च किया. वीओडी मंच अपने संरक्षकों के लिए अपनी कथ्य सामग्री के संदर्भ में अत्यधिक मूल्य प्रदान करता है. एनएफडीसी ब्रांड में पारंपरिक प्लेटफार्मों (थियेट्रिकल, होम वीडियो और सैटेलाइट) और उभरते प्लेटफार्मों (वीडियो ऑन डिमांड, डीटीएच और एयरलाइंस) पर एक फिल्म की रिलीज शामिल है. वितरण विभाग सब्सक्राइबर बेस को विस्तृत करने और प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए एक वर्ष राउंड सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग प्रचार संचालित रखता है है, इस पूरे समय इनकी संख्या 130 टाइटल्स से ऊपर है.

सिनेमाज ऑफ इंडिया वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के सतत उन्नयन का नतीजा 2016 से अब तक 300 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के रूप में सामने आया है. विश्लेषकों के अनुसार नये वैबसाइट देखने वालों, नये ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और वापस आते प्रेक्षक भी बढ़े हैं. वापसी प्रेक्षकों की संख्या में वृद्धि 130+ फिल्मों वाले वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के लिये सचमुच महत्वपूर्ण है.

एनएफडीसी लाइब्रेरी का सूचीपत्र नामी सहयोगी प्लेटफॉर्म्स जैसे हॉटस्टार, जेआईओ मूवीज, ज़ी एंटरटेनमेंट, अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स की मदद से लहरा रहा है.

Distribution

NFDC has been at the forefront to promote and develop Indian independent cinema globally. The idea to empower Indian Independent Cinema with all possible modes of distribution led to the launch of the Cinemas of India Video On Demand platform in 2012. The VoD platform offers immense value in terms of its content to its patrons. The brand includes release of a film across traditional platforms (Theatrical, Home Video and Satellite) and emerging platforms (Video on Demand, DTH and Airlines). Distribution Department runs a year round social media and email marketing promotions to widen the subscriber base and increase the reach of the platform, which presently streams 130+ titles year-on-year.

Dedicated promotion of Cinemas of India Video on Demand platform has resulted in a 300% rise in subscriptions from 2016. As per analytics we have reported a rise in new website visitors, new subscribers and a positive increase in terms of returning visitors. The spike in the number of Returning visitors is significant for a 130+ films strong VoD platform.

The NFDC library catalogue is streaming on renowned partner platforms such as Hotstar, JIO Movies, Zee Entertainment, Amazon Prime and Netflix.

Vees Manje Vees

Salaam Bombay

Sang-e-Meel Se Mulaqat

Music of Satyajit Ray

फिल्म बाज़ार Film Bazaar 2017

फिल्म निर्माता सुधीर मिश्रा और ग्रीन लाइट एसेंशीयल्स के सीईओ में वार्तालाप

Jack Zhang, Founder - CEO, Greenlight Essentials in conversation with filmmaker Sudhir Mishra

माइकेल वेर्नेर, फिल्म सेल्स स्ट्रेटेजिस्ट के साथ केमेरोन बेले, कला निर्देशक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, टॉरोंटो में बातचीत

Cameron Bailey, Artistic Director, Toronto International Film Festival in conversation with Michael Werner. Film Sales Strategist.

मध्य प्रदेश पर्यटन अधिकारियों के साथ फिल्मकार निखिल अडवाणी

Filmmaker Nikhil Advani with Madhya Pradesh Tourism officials

फिल्म बाज़ार में फिल्मकार मधुर भंडारकर

Filmmaker Madhur Bhandarkar at Film Bazaar

फिल्म बाज़ार पुरस्कार समारोह में ओलीविया स्टीवार्ट, फिलीपा केम्बेल, मार्को मुलेर

Olivia Stewart, Philippa Cambell, Marco Mueller at Film Bazaar Award Ceremony

श्री फारूक खान, मा. प्रशासक, के.प्र. लक्षद्वीप और प्रल्हाद कक्कर, जेनेसिस फिल्म्स प्राइवेट लि. में बातचीत

Shri Farooq Khan, Hon'ble Administrator, U T of Lakshadweep in conversation with Prahlad Kakkar, Genesis Film Productions Pvt Ltd

प्रमोशन

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा आयोजित फिल्म बाज़ार एक ऐसा मंच है जो अंतरराष्ट्रीय तथा दक्षिणी एशिया फिल्म बिरादरी के बीच सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष रूप से गठित किया गया है.

यह बाज़ार दक्षिणी एशियाई कथ्यों और उनकी प्रस्तुति, फिल्म क्षेत्र की प्रतिभाओं को उजागर करने, फिल्म निर्माण और वितरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है. विश्वभर के फिल्में खरीदने-बेचने के इच्छुकों के लिये यह बाज़ार एक केंद्रबिंदु के रूप में उभर रहा है. साथ ही इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विश्व सिनेमा की बिक्री को सहूलियत दिलाना है.

फिल्म बाज़ार का आयोजन पहले पहल 2007 में किया गया था. अब यह दक्षिण एशिया के विश्व बाज़ार के तौर पर पहचान बना चुका है जिसमें दक्षिण एशिया तथा विश्व सिनेमा की उपस्थिति हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है.

पिछले कुछ वर्षों में, फिल्में जैसे लंच बॉक्स, मार्गरीटा विथ ए स्ट्रॉ, चौथी कुट, किस्सा, शिप ऑफ थेसस, तितली, कोर्ट, अन्हे घोरे दा दान, मिस लवली, दम लगाके हाइशा, लायर्स डाइस, तिथि आदि ने बाज़ार के एक या अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से किया है.

फिल्म बाजार के 11वें संस्करण में प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप में एक नया फीचर जोड़ा गया--द 48 आवर वी आर प्रोजेक्ट, जिसे भारत में इन्स्टीट्यूट्स फ्रांसिया और वोन्डा वी आर फ्रांस के सहयोग से कार्यान्वित किया गया. इस प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को वीआर टॅक्नॉलॉजी से परिचित कराया गया और कलात्मक परामर्शदाता आरनॉल्ट लबरनोने द्वारा इसके उपकरणों के बारे में बताया गया कि कैसे उनसे क्रिएट, शूट, स्टिच, किया जा सकता है अैर कैसे 48 घंटे से भी कम समय में सिनेमेटिक वी आर अनुभव प्रदर्शित किया जा सकता है.

फिल्म बाज़ार का 11 वां संस्करण में आयोजित बाज़ार में 38 देशों के 1010 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इनमें कनाडा और नीदरलैंड्स के प्रतिनिधि भी थे.

फिल्म बाज़ार का 12 वां संस्करण 20-24 नवम्बर 2018 तक गोवा मैरियट रिसोर्ट में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ किया जायेगा.

ओवरसीज प्रमोशन और मार्केट्स

भारतीय सिनेमा के ओवरसीज प्रमोशन और निर्यात डिवीजन के जनादेश को बल देने को लेकर एनएफडीसी ने अपनी नई फिल्मों की मार्केटिंग बढ़ाने, वर्तमान सूचीपत्र को बल देने और भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिये अनेक नये कदम उठाये गये हैं. विभाग सिनेमाज ऑफ इंडिया और भारतीय फिल्मकारों को विदेशों में प्रोत्साहित करने के जनादेश पर भी काम करता है.

ओवरसीज डिवीजन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाज़ारों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म बिरादरी के बीच भारतीय सिनेमा की उपस्थिति बढ़ाने का काम भी करता है. भारतीय सिनेमा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म बिरादरी की रुचि निरंतर बढ़ रही है. इसलिए डिवीजन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाज़ारों में सिनेमाज ऑफ इंडिया और भारतीय प्रतिभाओं के उन्नयन पर विशेष बल देता है. डिवीजन ने दुनिया भर के निजी एवं सरकारी फिल्म इन्स्टीट्यूट्स के साथ भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया है.

सन 2017 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पेवेलियन बनाने का काम एनएफडीसी को सौंपा और इसमें त्रिकोणीय रणनीति से काम किया गया. भारतीय फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति, भारत को फिल्में बनाने के लिए उपयुक्त देश के रूप में पेश करना और फिल्म क्षेत्र में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना.

Promotion

Organized by the National Film Development Corporation (NFDC), Film Bazaar is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity.

The Bazaar is focused on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of filmmaking, production and distribution. A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar also aims at facilitating the sales of world cinema in the South Asian region.

First held in 2007, Film Bazaar has evolved into South Asia's global film market, witnessing an increased South Asian and International participation with every edition.

Over the years, films such as Lunch Box, Margarita With A straw, Chauthi Koot, Qissa, Ship of Theseus, Titli, Court, Anhe Ghode Da Daan, Miss Lovely, Dum Lagake Haisha, Lair's Dice, Thithi etc have been through one or more programmes of the Bazaar.

In the 11th edition of Film Bazaar, a new feature was introduced in the Producers Workshop – The 48hr VR Project, which was done in collaboration with Institut Francais in India & Wonda VR France. The project introduces participants to VR technology and empowers them with tools and mentorship by artistic mentor Arnault Labaronne to create, shoot, stitch and exhibit cinematic VR experiences in less than 48 hrs.

The 11th edition of Film Bazaar saw an attendance of 1010 delegates from 38 countries including country delegation from Canada and Netherlands.

The 12th edition of Film Bazaar will be held from 20-24 November, 2018 at the Goa Marriott Resort along side International Film Festival of India.

Overseas Promotion and Markets

In terms of overseas promotion of Indian cinema and to substantiate the mandate of exports division, NFDC undertakes various initiatives to increase marketing of its new films, existing catalogue and promotion of Indian films in global networks, the department also undertakes the developmental mandate of promoting cinemas of India and Indian filmmakers abroad.

The overseas division works towards building the presence of Indian cinema at International Film Festivals and Markets. With International Film Community's ever-increasing interest in Indian Cinema, the division primarily focuses on promoting and showcasing Cinemas of India and Indian talent at International Film Festivals and Markets. The division has also fostered partnerships with private and government film institutions from across the world.

In 2017, Ministry of Information and Broadcasting, has entrusted the work of setting up of India Pavilion in Cannes Film Festival to NFDC that focused on a three-pronged strategy of positioning Indian films internationally, promoting India as a filming destination, and enabling greater international collaborations in the film sector.

एनएफडीसी लैब्स

लैब्स
मास्टर क्लासेस

पटकथा लेखन | निर्देशन | सृजनात्मक निर्माण
सम्पादन | सिनेमाटोग्राफी | ध्वनि

NFDC LABS

LABS
MASTER CLASSES

SCREENWRITING | DIRECTING | CREATIVE PRODUCING
EDITING | CINEMATOGRAPHY | SOUND

प्रशिक्षण और विकास

कौशलपूर्ण जनशक्ति की बढ़ती मांग के चलते मीडिया और मनोरजन के प्रत्येक उप क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यावसायिक लोगों की मांग बढ़ ही रही है जिनमें नौकरियों के लिए सम्बंधित कौशल है.

नियोक्ताओं और उद्योग द्वारा उजागर किए गए इन गुणात्मक अंतरालों को भरने के लिए, एनएफडीसी द्वारा चेन्नई में मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है. हमने तमिलनाडू कौशल विकास निगम की ओर से एविड और एफसीपी डिजिटल नॉन-लीनियर एडिटिंग, ऑडियो इंजिनियरिंग, डिजिटल सिनेमाटोग्राफी, मल्टीमीडिया तथा स्टील फोटोग्राफी जैसे कौशल में लगभग 11,000 लोगों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है. इसके अलावा, एनएफडीसी ने 70% से अधिक प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की.

कौशल मिशन को आगे बढ़ाते हुए, एनएफडीसी अब अपनी गतिविधियों को बढ़ाना चाहता है तथा मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षेत्र में विस्तार कर रहा है और भारत भर में पॅन इंडिया मोडल बनाने के लिए विभिन्न राज्य सरकार के सहयोग से कला प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करने की योजना बना रहा है.

एनएफडीसी ने हाल ही में आंध्रप्रदेश राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) तथा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में आंध्र प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रशिक्षण तथा प्रमाणन हेतु एक मजबूत मॉडल का प्रस्ताव दिया है.

कौशल प्रशिक्षण अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों को भी मीडिया और मनोरंजन उद्योग में पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करता है. राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए), केंन्द्रीय प्रायोजित योजना के माध्यम से मीडिया में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है.

Training & Development

With the growing demand for skilled manpower, there is an emerging need for trained professionals who possess the relevant skills for jobs within each sub-sector of Media & Entertainment.

To fill these qualitative gaps that are highlighted by employers and the industry, NFDC has been conducting various training programmes in the field of Media & Entertainment in Chennai. We have successfully trained approx. 11,000 persons in skills such as Avid & FCP Digital Non-Linear editing, Audio Engineering, Digital Cinematography, Multimedia and Still Photography on behalf of the Tamil Nadu Skill Development Corporation. In addition to this, NFDC also ensured placement of more than 70% of the trained & certified candidates.

Taking the Skill Mission forward, NFDC is now looking to scale up its activities and expand in the field of vocational courses for the Media and Entertainment sector and is planning to set up state of art training Institutes in collaboration with various State Government across India to roll out a pan-India model.

NFDC has recently proposed a robust model for training & certification in various cities of Andhra Pradesh in association with the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC) with adherence & alignment to the National Skill Qualification Framework (NSQF).

Skill training is also provided to SC/STs and socially backward classes, inclusion of women, minorities, and differently abled persons by creating adequate employment opportunities in the Media and Entertainment industry. Students in state higher educational institutions are provided the vocational training in media through Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA), a Centrally Sponsored Scheme.

सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की 43 वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा सोमवार, दि. 31 दिसम्बर, 2018 को दोपहर 12.00 बजे एनएफडीसी के निदेशक मंडल कक्ष, 7वीं मंजिल डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ.ए.बी.रोड, वरली, मुम्बई 400018 में निम्नलिखित विषयों के सम्पादनार्थ होगी –

सामान्य विषय

1. 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लाभ एवं हानि लेखे तथा रोकड़ प्रवाह का विवरण, दिनांक 31 मार्च 2018 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना.

   "संकल्पित है कि दिनांक 31 मार्च, 2018 समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2018 समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त किये उन पर विचार किया गया तथा पारित की गई".

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

(ई.जे. पॉल)
कम्पनी सचिव

दिनांक – 06 दिसम्बर 2018
स्थान – मुम्बई

टिप्पणी
सभा में उपस्थित रह कर मत देने का अधिकार प्राप्त सदस्य अपने स्थान पर मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति कर सकते है. परोक्षी कम्पनी का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं.

Notice

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting of National Film Development Corporation Limited will be held on Monday, 31st December, 2018 at 12.00 noon in the Board Room of NFDC at 7th Floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400018, to transact the business mentioned herein below –

Ordinary Business

1. To read, consider and adopt the Director's Report, Audited Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2018, Balance Sheet as on 31st March, 2018 and Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon and to pass with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution.

   "RESOLVED that the Audited Balance Sheet as on 31st March, 2018, Statement of Profit & Loss and Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2018 together with the Director's Report and the Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India are hereby read, considered and adopted."

By Order of the Board of Directors
For National Film Development Corporation Limited

(E.J. Paul)
Company Secretary

Date – 06 December 2018
Place – Mumbai

Note
A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attendand vote instead of himself and the Proxy need not be a member.

अंशधारकों को प्रबंध निदेशक का पत्र

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (एनएफडीसी) के निदेशक मंडल की ओर से मुझे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है.

यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्षों तक घाटा उठाने और पिछले साल नाममात्र का लाभ अर्जित करने के बाद कंपनी ने टैक्स देने के बाद ₹ 14.54 करोड़ का रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया है. यह अब तक कंपनी द्वारा अर्जित सर्वाधिक लाभ है जिसकी वजह से अब तक एकत्रित होते चले आ रहे घाटे का एक बड़ा हिस्सा कम किया जा सका. यह इवेंट मैनेजमेंट तथा निर्माण संबंधी उन कामों की वजह से संभव हो सका जो कंपनी ने वर्ष के दौरान किये.

एनएफडीसी ऐसी फीचर फिल्मों का निर्माण करता है जो सिनेमाज ऑफ इंडिया को प्रतिबिंबित करती हों जिससे एनएफडीसी के मिशन, कलात्मक फिल्मों की रचना एवं सिनेमा में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिले और सिनेमाज ऑफ इंडिया के जरिये भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित किया जा सके. इस दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए एनएफडीसी निरंतर ऐसे वातावरण के निर्माण की कोशिश में रहता है जो भारत की कल्पनाशील, विविधतापूर्ण एवं जीवंत फिल्म संस्कृति से परिपूर्ण फिल्में बनाने में सहायक हो.

एनएफडीसी ने विविध ग्राहक मंत्रालयों का काम करके इवेंट मैनेजमेंट, प्रचार संबंधी संपूर्ण समाधान प्रस्तुत करने, तत्संबंधी सामग्री तैयार करने और सोशल मीडिया प्रसार प्रचार करने में निपुणता हासिल कर ली है. अब एनएफडीसी की योजना अपनी सेवाओं का विस्तार करने की है जिसमें विज्ञापन के परंपरागत स्वरूप से हट कर प्रचार होगा जैसे वेब कंटेंट बनाना, ऑडियो वीडियो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, संग्रहण अभियान चलाना आदि. साल के दौरान कंपनी द्वारा जो ईवेंट्स सफलतापूर्वक संपन्न की गईं, उनमें प्रमुख हैं, आउटरीच प्रोग्राम, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2017 और पहला खेलो इंडिया स्कूल गेम्स.

बोर्ड के सभी निदेशकों तथा निगम के सभी अधिकारियों की ओर से मैं सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कर्नल (रिटायर्ड) माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूं जिनसे हमें अतीव सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा. मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे के प्रति भी उनसे मिले निरंतर सहयोग तथा कम्पनी के संचालन में बिस्वास के लिए आभार प्रकट करता हूं.

मैं बोर्ड के अपने सभी सम्माननीय साथियों, एनएफडीसी के सभी कर्मचारियों एवं कंपनी के स्टेक होल्डर्स को उनसे निगम को मिले बहुमूल्य सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद देता हूं.

मनोज कुमार पिंगुआ
प्रबंध निदेशक

Managing Director's Letter to Shareholders

On behalf of the Board of Directors of the National Film Development Corporation Ltd., (NFDC), I am happy to present a report on NFDC for the year 2017-18.

I have great pleasure in informing that, after years of losses and posting a marginal profit in the previous year, the Company has posted a record-breaking profit after tax of ₹ 14.54 crores. This is the highest ever profit made by the Company till date, due to which a significant portion of its accumulated losses were recouped. This has been possible due to commissioned production, especially of event management activities, undertaken by the Company during the year.

NFDC produces feature films, which reflect the Cinemas of India to support and drive NFDC's mission to create artistic movies with a view to fostering excellence in cinema and promoting Indian Culture through the Cinemas of India. In keeping with this directive, NFDC is continuously seeking to create an environment conducive to the making of cinema that reflects India's most imaginative, diverse and vibrant film culture.

NFDC has gained expertise in providing end-to-end solutions, event management, content creation and social media dissemination to the various client Ministries. NFDC now plans to diversify its bouquet of services and extensively venture into unconventional formats of advertising like creation of web content, audios and videos, social media marketing, mobilization drives, etc. A few of the successful events organized by the Company during the year were the Outreach Programme, International Film Festival of India 2017 and the 1st Khelo India School Games.

On behalf of the Board of Directors and all officials of the Company, I would like to convey my sincere gratitude to the Hon'ble Union Minister of State for Information & Broadcasting (Independent Charge), Col. Rajyavardhan Singh Rathore (Retd.), AVSM, for the immense support and guidance received from him. I am also deeply grateful to Shri Amit Khare, Secretary, Ministry of Information & Broadcasting, for his support and trust in the functioning of the Company.

I would also like to express my thanks and appreciation to my esteemed colleagues on the Board and to all employees of NFDC, as also to other stakeholders of the Company for their valuable support and co-operation to the Company.

Manoj Kumar Pingua
Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
अंशधारक,

निगम के निदेशक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षित लेखों के साथ 43 वी वार्षिक रिपोर्ट प्रसन्नता पूर्वक प्रस्तुत कर रहे है.

1. निष्पादन की विशिष्टताएं

क. वित्तीय वर्ष 2014-2015, वित्तीय वर्ष 2015-16 तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये कंपनी की निष्पादन विशिष्टताएं इस प्रकार रहीं –

Directors' Report

To,
The Shareholders

The Directors have pleasure in presenting the Forty Third Annual Report together with Audited accounts of the Company for the financial year ended March 31, 2018.

1. Performance Highlights

a. The highlights of performance of the company for the Financial Year 2017-18 as against the performance in FY 2016-17, FY 2015-16 and FY 2014-15 are as under –

रूपये लाख में
₹ in Lakhs

पैरामीटर्स	Parameters	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
सकल राजस्व	Gross Revenues	42742	16815	11666	3463
सकल अतिरिक्त राशि (ईबीआईडी टीए)	Gross Margin (EBIDTA)	2286	203	(303)	(603)
कर पूर्व लाभ	Profit before Tax	2128	7	(518)	(856)
कुल कीमत	Net Worth	3606	2152	2343	1033

ख. वर्षों तक घाटा उठाने और सामान्य लाभ कमाने के बाद कंपनी एक अप्रत्याशित परिवर्तन करते हुए टैक्स अदा कर देने के बाद ₹ 14.54 करोड़ का रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया. यह लाभ कंपनी द्वारा अब तक अर्जित सबसे अधिक लाभ है. यह संभव हुआ है कंपनी के इवेंट मैनेजमेंट गतिविधियों में जाने तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संबल से. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या 1/9/2009-एमयूसी दिनांक 30 अप्रैल 2015 द्वारा एनएफडीसी को केंद्रीय सरकार की ओर से विज्ञापन रिलीज करने के वाली एक एजेंसी के तौर पर शामिल कर लिया जिससे कि एनएफडीसी को 2010 में स्वीकृत रिवाइवल प्लान के अनुकूल व्यवसाय करने का मौका मिल सका.

b. After years of losses and marginal profits the company made a remarkable turn around and made a record-breaking profit after tax of ₹ 14.54 Crores. This is the highest ever profit made by the Company till date. This has been possible due to the entry of the Company into Event management vertical and the support of Ministry of Information and Broadcasting. The Ministry of Information and Broadcasting vide letter No.1/9/2009-MUC dated 30th April 2015 had included NFDC as an agency to release advertisements on behalf of the Central Government, enabling NFDC to function as per the business model envisaged in the Revival plan approved in 2010.

ग. लाभांश

31 मार्च 2018 को पिछले जमा तथा आगे लाये गये ₹ 9.36 करोड़ के नुकसान को देखते हुए 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये लाभांश की संस्तुति नहीं की जा रही है.

c. Dividend

Due to accumulated and carried forward losses of ₹ 9.36 Crores as on March 31, 2018, payment of dividend is not recommended for the year ended March 31, 2018.

2. वित्तीय समीक्षा

क. वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के वित्तीय परिणामों का सार संक्षेप निम्नानुसार है –

2. Financial Review

a. Summary of Financial Results

The summary of financial results of the company for the year ended March 31, 2018 is given below –

रूपये लाख में
₹ in Lakhs

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
सकल आय	Gross Income	42742.02	16814.72
ई बी आई डी टी ए	EBIDTA	2286.03	203.28
वित्तीय खर्च	Financial Expenses	15.97	56.06
मूल्यह्रास	Depreciation	142.14	140.45
कर पूर्व लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) Before Tax	2127.92	6.77
कर के लिये प्रावधान	Provision for Tax, etc.	673.55	197.77
करों के बाद लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) After Tax	1454.37	(191)
घटाएं – लाभ/हानि आगे लाया गया	Less – Profit/(loss) Brought forward	(2390.24)	(2199.23)
तुलन पत्र पर शेष लाया गया	Balance Carried to Balance Sheet	(935.87)	(2390.24)

ख. विकास

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी सबसे अधिक टर्नओवर करके सबसे अधिक लाभ अर्जित करने में सफल रही जिसका श्रेय इवेंट मैनेजमेंट गतिविधियों तथा विभिन्न सरकारी ग्राहकों के लिये विज्ञापन निर्माण को जाता है.

ग. सकल स्वामित्व

31मार्च 2018 को कंपनी का सकल स्वामित्व ₹ 3606 लाख का था. (पिछले वर्ष: ₹ 2152 लाख).

घ. विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा निर्गामी व्यय संबंधी विवरण

विदेशी मुद्रा में आय ₹ 142.71 लाख की है जबकि पिछले वर्ष यही आय ₹ 52.50 लाख थी. विदेशी मुद्रा में व्यय ₹ 297.08 लाख हुआ. (पिछले वर्ष व्यय ₹ 69.16 लाख).

3. वार्षिक रिटर्न

कंपनी के अधिनियम 2013 के सेक्शन 92(3) के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के वार्षिक रिटर्न्स/एनएफडीसी के बारे में/कॉर्पोरेट कार्यप्रदर्शन/वार्षिक विवरणी आदि वेबसाइट www.nfdcindia.com पर दर्शायी दी जाती हैं.

4. निदेशकों का दायित्व संबंधी वक्तव्य

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 134 (3) (क) के अंतर्गत यह पुष्ट किया जाता है कि

i. 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए समय के हिसाब किताब का वार्षिक लेखा तैयार करने में हिसाब किताब के वही मानदंड अपनाये गये हैं जो आमतौर पर अपनाये जाते हैं. साथ में वित्तीय विवरणों से संबंधित आवश्यक स्पष्टीकरण भी दे दिये गये हैं.

ii. हिसाब किताब के संबंध में उन्हीं नीतियों का चुनाव किया गया तथा सुसंगत रूप में लागू किया और अनुमान एवं निर्णय लिये गये जो सही तथा तथ्यपरक हैं, जो कंपनी के मामलों का सही और सच्चा विवरण देने में समर्थ हैं, कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और लाभ अथवा हानि का सही और सच्चा विवरण देते हैं.

iii. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की अनियमितताओं तथा जालसाजी आदि को रोकने के लिये लेखे जोखे का रिकॉर्ड कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त रूप से रखा गया है और इसकी देखभाल के लिये पर्याप्त इंतजाम किये हैं.

iv. वार्षिक लेखे जोखे का विवरण संचलित संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है.

v. सभी लागू नियमों के प्रावधानों का भली भांति अनुपालन करने के लिए समुचित कार्यप्रणाली विकसित कर ली गई है और यह कार्यप्रणाली पर्याप्त रूप से प्रभावशाली है.

5. कंपनी की गतिविधियां

फिल्म निर्माण

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के "विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण" शीर्षक के अंतर्गत फिल्म निर्माण विभाग ऐसी फिल्मों का निर्माण अथवा सहनिर्माण करता है जो भारत के सिनेमा को प्रतिबिंबित करती हों. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. फिल्मों का निर्माण/सहनिर्माण फिल्म निर्माण के दिशा निर्देशों के अंतर्गत करता है.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एनएफडीसी ने न्यूज़ीलैंड फिल्म कॉर्पोरेशन और जंगल बुक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ फिल्म 'बियोंड द नोन वर्ल्ड' के लिये एडेंडम

b. Growth

During the financial year 2017-18, the Company was able to achieve the highest ever turnover and profit, mainly on account of execution of events and production of advertisements for various Government clients.

c. Net Worth

The net worth of the company stands at ₹ 3606 Lakhs as on March 31, 2018 (Previous year ₹ 2152 Lakhs).

d. Particulars regarding conservation of Foreign Exchange Earnings and Outgo

Earnings in foreign exchange are ₹ 142.71 Lakhs against ₹ 52.50 Lakhs in the previous year and expenditure in foreign currency is ₹ 297.08 Lakhs (previous year ₹ 69.16 Lakhs).

3. Annual Return

As required under the provisions of the Section 92(3) of the Companies Act, 2013, the Annual Return of the Company is displayed on the website www.nfdcindia.com/About NFDC/corporate performance/annual return.

4. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to Section 134 (3) (c) of the Companies Act, 2013, it is hereby confirmed that –

i. In the preparation of the Annual Accounts for the period ended March 31, 2018, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures.

ii. Such accounting policies are selected and applied consistently, and judgments and estimates made that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year, and of the profit or loss of the company for that period.

iii. Proper and sufficient care is taken for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, for safeguarding the assets of the company, and for preventing and detecting fraud and other irregularities.

iv. The annual accounts have been prepared on a going concern basis.

v. Proper systems has been devised to ensure compliance with the provision of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

5. Activities of The Company

Film Production

The Company executes the 12th Five Year Plan Scheme of the Ministry of Information and Broadcasting titled "Production of films in various Indian languages", as per which films are produced/co-produced by NFDC as per its extant bye-laws for film production.

Under the 12th Five Year Plan Scheme of the Ministry of Information & Broadcasting, NFDC has signed addendum cum amendment agreement to the Inter Party agreement with New Zealand Film Corporation and Jungle Book Entertainment Pvt.

कम एमेंडमेंट एग्रीमेंट साइन किया है. इस फिल्म के डायरेक्टर हैं श्री पान नलिन. इन दिनों फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है.

मंत्रालय की योजना के अनुरूप फीचर फिल्मों का निर्माण और सहनिर्माण करने के अलावा एनएफडीसी व्यापारिक गतिविधि के तौर पर भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों के लिए विज्ञापन, वृत्तचित्र, लघु फिल्मों, टीवी सिरीज, वेब विज्ञापन, रेडियो सिरीज और थीम आधारित एंथम आदि का निर्माण भी करता है.

मीडिया तथा मनोरंजन के क्षेत्र में कौशल विकास

एनएफडीसी के चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने कौशल विकास प्रशिक्षण तथा शॉर्ट टर्म वोकेशनल कोर्सेस के जरिये 1417 युवाओं को एडीटिंग, मल्टीमीडिया, एनीमेशन, ऑडियो इंजीनियरिंग, डिजिटल स्टिल फोटोग्राफी और कैमरा अस्टिटेंट का प्रशिक्षण प्रदान किया.

तमिलनाडु सरकार वोकेशनल ट्रेनिंग कार्यक्रम को मदद दे रही है. वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान एनएफडीसी ने तमिलनाडु में 3689 बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया. जिन युवाओं ने यह प्रशिक्षण प्राप्त किया उनमें से 70 प्रतिशत को अब तक रोजगार मिल चुका है.

कौशल संबंधी यह प्रशिक्षण टीएनएसडीसी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम (आईसीडीएस) के अंतर्गत 13 कॉलेजों के विद्यार्थियों और तमिलनाडु के नौ जिलों के 43 ब्लॉक्स की किशोरावस्था की लड़कियों को उपलब्ध कराया गया.

एनएफडीसी राज्य कौशल विकास एजेंसियों के साथ प्रशिक्षण भागीदार होने की प्रक्रिया में भी है जिससे सारे देश में मीडिया तथा मनोरंजन के क्षेत्र में कौशल विकास गतिविधि को संचालित किया जा सके.

इसी तरह एनएफडीसी ने हाल ही में आंध्रप्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीएसएसडीसी) के साथ सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अनुसार प्रशिक्षण एवं प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के लिये विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, और तिरुपति में मीडिया एवं मनोरंजन के क्षेत्र विभिन्न क्वालिफिकेशन पैक्स (क्यूपी) इन्स्टीट्यूट्स खोले जाएंगे जिससे कि राष्ट्रीय स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ अलाइनमेंट हो सके और कौशल विकास तथा उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानदंडों का पालन भी हो सके. एनएफडीसी इंडस्ट्री में से श्रेष्ठतम प्रशिक्षकों को भर्ती करने की योजना बना रहा है जिससे कि नौकरी/स्वरोजगार के लिए बढ़िया ट्रेनिंग मिल सके.

एनएफडीसी लैब्स की स्थापना एनएफडीसी द्वारा कार्यक्षेत्र में सुस्थापित भारतीय फिल्मकारों अथवा फिल्म या मीडिया स्टडीज के जरिये अपने कैरियर को उन्नत करने के इच्छुकों को पेशागत विकास के लिये फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिये की गई है. एनएफडीसी लैब्स प्रोजेक्ट आधारित वर्कशॉप्स, लैब्स और मास्टर क्लासेस के जरिये प्रतिभाशाली लेखकों, निर्देशकों और निर्माताओं की कार्य प्रणालियों में संवर्धन और विस्तार करने की कोशिश करती है. विकासात्मक उपक्रमों के जरिये फिल्म बाजार में भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों के बीच सहयोग की विस्तृत संभावनाओं का भरपूर उपयोग संभव हो पाता है.

फिल्म सुविधा सेवा (एफएफओ)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 'फिल्म इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने तथा भारत में विदेशी फिल्म निर्माताओं को फिल्म शूटिंग की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में स्थापित फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) विदेशी फिल्मकारों द्वारा भारत में फीचर फिल्म, टीवी तथा वेब शॉ/सीरिज के फिल्मांकन के लिए एकल खिड़की की सुविधा और निकासी तंत्र के रूप में कार्य करता है. अब एफएफओ द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं भारतीय फिल्म निर्माताओं को भी दी जाती है.

फिल्मों के अनुकूल वातावरण के निर्माण के अलावा एफएफओ ने इंडस्ट्री तथा विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियों के बीच समन्वयन बनाने की लगातार कोशिश की है जिससे अर्थव्यवस्था को सीधे लाभ पहुंच सके जैसे : राजस्व और कामधंधों में वृद्धि, फिल्म पर्यटन, कैमरा, लाइट्स वगैरह से संबंधित उद्योगों का विकास, होटल तथा केटरिंग व्यवसाय की अभिवृद्धि. फिल्मों

Ltd for the film "Beyond the Known World" directed by Mr. Pan Nalin. At present the film is in post-production stage.

Apart from producing and co-producing feature films through execution of the Ministry's Plan Scheme for production of films, NFDC also produces advertisements, documentaries, short film, TV series, web advertisement, radio series and thematic musical anthems and executes events as a commercial activity for clients across the Government of India and various state Governments.

Skill Development in Media & Entertainment Sector

NFDC Chennai Regional Office has imparted skill development training and short-term vocational courses to 1417 youth in the spheres of Editing, Multimedia, Animation, Audio Engineering, Digital Still Photography and courses for Camera Assistants.

The Government of Tamil Nadu is supporting the vocational training programme. During the Financial Year 2017-18, NFDC has provided skill training to 3689 unemployed youth in Tamil Nadu. Around 70% of the youth who underwent the training programmes have since found employment.

Skill training was provided through TNSDC, Rastriya Uchathar Sikshiya Abhiyan (RUSA) and Integrated Child Development Scheme (ICDS) for the students of 13 colleges and for adolescent Girls in 43 blocks in nine districts of Tamil Nadu.

NFDC is also in the process of becoming a training partner with State Skill Development Agencies to conduct the vocational training activity in media and entertainment sector across the country.

On similar lines NFDC has recently signed an MOU with Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC) for setting up institutes for training & certification programmes in Vijaywada, Vishkhapatnam & Tirupati for various Qualification Packs (QP's) in the Media & Entertainment sector in alignment to the National Skills Qualification Framework (NSQF) in adherence to the Common Norms issued by the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. NFDC plans to recruit best trainers from the industry for quality training leading to placements/self-employment.

NFDC Labs has been established by NFDC to provide a framework of professional development for Indian filmmakers already established in the work-field or at the beginning of their careers. The initiative seeks to deepen and enhance the working practice of talented writers, directors, editors and producers, through project based workshops, labs and master-classes. The development initiatives make extensive use of opportunities to collaborate with Indian and international film professionals in attendance at Film Bazaar.

Film Facilitation Office (FFO)

Set up in the year 2015, with a view to promote the Ministry of I&Bs 'Film in India' initiative and facilitate film shootings by foreign filmmakers in India, the Film Facilitation Office (FFO) acts as a single-window facilitation and clearance mechanism for filming of Feature Films, TV and Web Shows/Series in India by international filmmakers. The services rendered by FFO have now been extended to Indian filmmakers as well.

Besides endeavouring to create a film friendly environment, the FFO has proactively attempted to create linkages between the Industry and the various Nodal Officers appointed by Central and State Governments, so that the economy gains direct benefits such as revenue generation and job creation and induced benefits like film tourism and development of allied downstream industries (Cameras, Lights/Equipment, Hotels/Restaurant/

की ज्यादा शूटिंग्स होने से ट्रांसपोर्ट एयरलाइंस, मार्केटिंग, वीएफएक्स आदि को भी विशेष लाभ पहुंचेगा.

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एफएफओ द्वारा उठाये गये नये कदम

1. फिल्म तथा टेलीविजन संबंधी अनुमतियां दिलाने की सुविधा जिनमें सहनिर्माण की अर्जी और लोकेशन स्काउटिंग शामिल है.

   1 अप्रैल 2017 से 31 मार्व 2018 के बीच 31 अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्मों योजनाओं को भारत में शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई जिनमें 14 देशों के 266 क्रू मेंबर्स थे. ये देश हैं : ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए. इनमें से 24 फीचर फिल्में थीं और 7 टेलीविजन सिरीज. इन्होंने 16 राज्यों, महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल, गुजरात, गोआ, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक की विभिन्न लोकेशंस में शूटिंग की.

   इसके साथ ही एफएफओ ने तीन योजनाओं को सहनिर्माण हैसियत प्राप्त करने की सुविधा दिलवाई. ये हैं, 'यूनियन लीडर' (इंडो कैनेडियन), 'एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ अ फकीर' और 'सर' (इंडो फ्रैंच). 'सर' 71वें कान फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स वीक के साइडबार प्रतियोगिता के लिये चुन ली गई है. इसके अलावा, एफएफओ नामी अंतरराष्ट्रीय स्टडियोज जैसे : पैरामाउंट पिक्चर्स और पाइनवुड स्टूडियोज ग्रुप (यू के) के साथ लोकेशन स्काउटिंग सर्विसेस की बातचीत भी कर रहा है.

2. एफएफओ की हॉलीवुड के साथ वचनबद्धता

   असोसिएशन ऑफ फिल्म कमिश्नर्स इंटरनेशन (एएफसीआई) का सदस्य होने के बाद एफएफओ ने लॉस एंजिलीस में एएफसीआई के सालाना इंडस्ट्री एजुकेशनल इवेंट में भाग लिया जिसे सिनेपोसियम कहा जाता है. यह इवेंट 20 से 22 अक्तूबर 2017 तक चला. इस सिंपोजियम ने एफएफओ को सक्सेसफुल फेमिलियराइजेशन (एफएएम) के उस टूर को गहराई से समझने का मौका दिया जो लोकेशन मैनेजर्स और/या निर्माता/निर्देशकों को रचनात्मक प्रक्रिया और कोई लोकेशन चुने जाने के अंतिम निर्णय पर इसके प्रभाव तथा किसी लोकेशन पर शूटिंग करने के आर्थिक प्रभाव संबंधी डाटा जमा करने जैसे उन मामलों को जानने का मौका दिया जिनका फिल्म कमीशंस पर असर पड़ता है. यहां कुल मिला कर जो अनुभव प्राप्त हुआ तथा जो जानकारी हासिल हुई वह एफएफओ की आगे की काररवाई में उपयोगी साबित होगी, खासतौर पर स्टेट नोडल अधिकारियों के साथ काम करने के दौरान.

3. मार्श डू फिल्म, कान फिल्म मार्केट मई 17 से 28, 2017 में सहभागिता

   एफएफओ मार्श डू फिल्म, कान फिल्म मार्केट के इंडियन पैवेलियन में उपस्थित रहा जहां सरकार के नये कदम फिल्म इन इंडिया को प्रमोट करने के नजरिये से इसका ब्रोशर लॉन्च किया गया. इसके साथ ही एफएफओ ने मार्श डू फिल्म के प्रमुख स्थलों और पूरे पैवेलियन में विज्ञापनों और ब्रैंडिंग के जरिये अपनी सेवाओं और भारतीय लोकेशंस की मार्केटिंग भी की. भारत में एक ही जगह से सभी प्रकार के सुविधाएं दिलाने की सुविधा और देश को फिल्मिंग डेस्टीनेशन के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए एफएफओ ने 'शूटिंग इन इंडिया' का सेशन भी आयोजित किया.

4. वैब पोर्टल

   नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) के जरिये एफएफओ अपना वैब पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया में है. इसके लिये मैसर्स सिलवर टच टेक्नॉलॉजीज को इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी (आईए) नियुक्त किया गया है. यह उस वैब पोर्टल की स्थापना जो सूचना करेगी जो भारत में उपलब्ध फिल्मिंग लोकेशंस और उनसे संबंधित सूचना तथा प्रोडक्शन/पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में सूचनाएं प्रसारित करेगी. इसी के अनुकूल, वैब पोर्टल उन संभावित प्रोडक्शन कंपनियों को सहायता देगा जो भारत में शूटिंग की अनुमति, संभावनाओं की तलाश और लोकेशन

Catering, Transport, Airlines, Marketing, VFX etc.) through increased filming/shootings.

Initiatives Undertaken by FFO in FY 2017-18

1. Facilitating Film/TV Permissions including applications for Co-Productions and Location scouting

   31 international productions/projects, with a collective total crew/cast strength of 266 people, from across 14 countries namely, Australia, Bangladesh, Canada, China, Denmark, France, Germany, Iran, Russia, South Africa, Spain, Turkey, United Kingdom, and U.S.A, were given permission to shoot in India during the period April 2017 to March 2018. 24 of these were feature films and 7 were television series/shows, which were shot across various locations across 16 States namely, Maharashtra, West Bengal, Gujarat, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Sikkim, Uttar Pradesh, Delhi, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Punjab, Haryana, Jharkhand and Karnataka.

   Additionally, FFO facilitated the granting of Co-production status to three of these productions, namely, Union Leader (Indo-Canadian), Extraordinary Journey of a Fakir and Sir (Indo-French). Sir has also been selected for competition at the Critics' Week sidebar of the 71st Cannes Film Festival. Furthermore, FFO has been engaging with prominent international studios namely, Paramount Pictures and Pinewood Studios Group (UK) for Location scouting services.

2. FFO's Engagement with Hollywood

   Subsequent to becoming a member of the Association of Film Commissioners' International (AFCI), FFO participated in the AFCI's annual industry educational event called Cineposium in Los Angeles from 20th to 22nd October 2017. The symposium gave FFO an insight into the planning of a successful Familiarization (FAM) tour for Location Managers and/or Producers/Directors, the creative process and its impact on the final decision regarding selection of a location, and the importance of data collection in view of the economic impact of filming in a location, among other issues that faced Film Commissions. The overall experience and knowledge acquisition will be integrated into the operations of FFO, especially with regard to the engagements with State Nodal Officers.

3. Participation at Marche Du Film, Cannes Film Market, May 17 - 28, 2017

   FFO was present at the India Pavilion at Marche Du Film, Cannes Film Market 2017 wherein it launched its Brochure, with a view to promote the 'Film in India' initiative of the Government. In addition, FFO undertook marketing of its services and India's locations through branding and advertisements at prominent spaces at Marche Du Film and throughout the pavilion. FFO also conducted a session on 'Shooting in India', to showcase its endeavours to create a single-window facilitation and clearance mechanism and promote the country as a filming destination.

4. Web Portal

   FFO is in the process of setting up its web portal through National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI). M/s Silver Touch Technologies has been appointed as the Implementing Agency (IA) for establishing the dedicated web portal that will disseminate information on filming locations and the facilities available in India for production/ post production. Accordingly, the web portal will help potential production companies looking to shoot in India to obtain permissions, explore potential benefits (tangible and

की विस्तृत जानकारी चाहते हैं जो उनकी विचाराधीन कहानी के कथाक्रम विकास में मददगार बन सके.

इस संबंध में एफएफओ सभी राज्य सरकारों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, रेलवे मंत्रालय और उद्योग के संगठनों, गिल्ड आदि से संपर्क में है जिससे कि लोकेशंस एवं फिल्म शूटिंग संबंधी सुविधाओं (क्रू, टेलेंट, सुविधाएं, स्टेज, उपकरण, सपोर्ट सर्विसेज आदि) का डेटाबेस पूरे देश में उपलब्ध हो सके.

5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सभी 29 सर्किल्स में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति में सुगमता.

एएसआई को बार बार याद दिलाने और आमने सामने की मीटिंग्स की बाद एफएफओ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सभी 29 एएसआई सर्किल्स में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति में सुगमता लाने में सफल रहा जिससे देश भर में फैली एएसआई की साइट्स के लिए अनुमति प्रक्रिया आसान हो सके. सिफारिशें ए एसआई और देशी-विदेशी फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच वातचीत का परिणाम थीं. फिल्म शूटिंग से संबंधित अपनी गाइडलाइन्स में ए एसआई ने कुछ स्पष्टीकरण जोड़े जिनकी संस्तुति एफएफओ ने इस आशय से की थी कि दुनिया भर के फिल्मकारों को एएसआई की साइट्स पर शूट करने में सुविधा हो और इस तरह उनका दुनिया भर में प्रचार हो सके.

6. विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ सहयोग करके फिल्म वीसा जारी करवाने में सुगमता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रयत्नों के फलस्वरूप वीसा जारी कराने में हुई सुविधा के फलस्वरूप एफएफओ ने विदेश मंत्रालय (एमईए) से प्रार्थना की कि भारतीय मिशन्स के स्तर पर भी इस प्रक्रिया को तेज किया जाय. महसूस यह किया गया कि अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों को भारतीय अधिकारियों से होने वाली उन पहली मुलाकातों से ही सुविधाएं मिलनी शुरु हो जानी चाहिएं जो कि स्थानीय भारतीय मिशन्स के स्तर पर होती हैं. यही वह उपयुक्त जगह होती है जहां यह दर्शाया जा सकता है कि भारत साथ में व्यवसाय करने का इच्छुक व उपयुक्त देश है. इस बात को ध्यान में रखते हुए एमईए द्वारा नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियों के साथ बार बार गहन विचार विमर्श करने के बाद यह प्रस्ताव रखा गया कि एमईए दुनिया भर के अपने मिशन्स में से कुछ चुने हुए भारतीय मिशन्स में अपने स्टाफ में से किसी एक सदस्य को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने पर विचार करे. यह नोडल अधिकारी भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों और क्रू के सदस्यों को वीजा दिलवाने में सहूलियतें दिलवाएगा.

7. रेलवेज में शूटिंग्स के लिए सुगमता

रेल मंत्रालय के नोडल अधिकारियों के साथ अनेक मीटिंग्स के बाद यह महसूस किया गया कि रेलवे के 17 जोनल चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफीसर्स (सीपीआरओ) की लाइन प्रोड्यूसर्स और सीनियर फिल्मकारों के साथ वर्कशॉप आयोजित की जानी चाहिए जिससे कि उन समस्याओं और चुनौतियों को समझा जा सके जो रेलवे स्टेशनों और उनके अहातों में शूटिंग के समय सामने आती हैं. एफएफओ आगामी वित्तवर्ष में इस तरह की वर्कशॉप की योजना बना रहा है.

8. आईएफएफआई और फिल्म बाज़ार 2017 में एफएफओ

आईएफएफआई 2017 के दौरान एफ एफ ओ की मुलाकात इंडस्ट्री के अनेक स्टेक होल्डर्स के साथ हुई जिन्हें शूटिंग संबंधी अनुमतियां दिलाने, एक ही जगह सारी सूचनाएं प्रदान करवाने, लोकेशंस की जानकारी, संभावित समस्याओं वगैरह के बारे में जानकारी आदि की सुविधा प्रदान करने में एफएफओ की भूमिका तथा कार्यप्रणाली समझाई गई. एफएफओ ने उन सुविधाओं की एक विस्तृत सूची बना कर सभी को वितरित की जो फिल्मकारों के लिए 14 राज्यों में उपलब्ध हैं. एफएफओ द्वारा नॉलेज सीरिज में 'ईज ऑफ फिल्मिंग' नाम से एक सत्र आयोजित किया गया जिसमें यह बताया गया कि देश में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों में शूटिंग की सुगमता प्रदान करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं. एफएफओ ने फिल्म बाज़ार में 10 राज्य सरकारों के फिल्म

non-tangible) and obtain an overview of various locations in India that could benefit the storyline of the film under consideration.

In this regard the FFO has reached out to all State Governments, the Archaeological Survey of India, the Ministry of Railways etc. and Industry Bodies/Guilds so as to create a database of locations and filmic resources (crew, talent, facilities, stages, equipment, support services etc.) available across the country.

5. Facilitation of the appointment of Nodal Officers across 29 Circles of the Archaeological Survey of India

Post several follow ups and one-on-one meetings with ASI, FFO successfully facilitated the appointment of 29 Nodal officers across all ASI circles, so as to ease the permission process at various ASI sites across the country. The recommendation was a result of a series of interactive sessions held between ASI and film Industry delegates from India and abroad. In addition, ASI also incorporated certain clarifications in their filming guidelines, as recommended by FFO, to make filming easier in an endeavour to encourage filmmakers to come and shoot at ASI sites, thereby promoting them globally.

6. Facilitation of ease of issuance of Film Visas through coordination with the Ministry of External Affairs (MEA)

Subsequent to the easing of issuance of visa, courtesy the Ministry of I&B's efforts at establishing a Film Visa, the FFO approached the MEA to hasten the process at the level of the Indian Mission. It was felt that international filmmakers should have ease of filming in India from their very first engagement with Indian officials, which was at the level of the local Indian Mission, since this was a perfect place to demonstrate the country's commitment to ease of doing business. In view of this, several brainstorming meetings were held with the Nodal Officer appointed by the MEA, and it was proposed that MEA could consider appointing a designated staff member as a Nodal Officer, in select Indian Missions across the world. The Nodal Officer would work towards the ease of issuance of Visas for international filmmakers, cast and crew coming to film in India.

7. Facilitation of ease of filming across Railways

Over various meetings with the Nodal officer of Ministry of Railways, it was felt that a workshop for 17 Zonal Chief Public Relation Officers (CPROs) along with line producers and senior filmmakers, needs to be organised, so as to bring to light the issues and challenges faced during filming in various railway stations/premises including the inclusion of rolling stock in the shooting. The FFO is planning to execute this workshop in the forthcoming Financial Year.

8. FFO at IFFI and Film Bazaar 2017

During IFFI 2017, FFO met with several stakeholders from the industry and apprised them of its role and functioning with regards to facilitating permissions, disseminating information through a single point, location scouting, troubleshooting while filming and international outreach. The FFO compiled and shared a comprehensive list of incentives currently available for filmmakers from across 14 States. A session on 'Ease of Filming' was conducted at the Knowledge Series by FFO, wherein it highlighted the various initiatives taken to ease filming across Central and State Government jurisdictions in the country. FFO mobilised the participation of 10 State Governments namely, Delhi, Gujarat, Jharkhand,

कार्यालय कार्यप्रवृत्त किये. ये राज्य हैं – दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तैलंगाना, और उत्तरप्रदेश.

9. मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2017

   मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2017 में 16 राज्यों ने भाग लिया. इन्हें 65वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के संरक्षण में दिया गया. इसकी जूरी की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने की जिसके सदस्य नागराज मंजुले, राजा कृष्णा मेनन, विवेक अग्निहोत्री और मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एम डी. उदय सिंह जैसे नामी फिल्मकार थे.

   राज्यों से मिले आवेदन पत्रों पर गहन विचार और चर्चाओं के बाद जूरी इस निर्णय पर पहुंची कि मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड मध्यप्रदेश राज्य को दिया जाय और साथ ही फिल्म फ्रैंडली वातावरण तैयार करने के लिए उत्तराखंड को विशिष्ट उल्लेख प्रमाणपत्र प्रदान किया जाय.

10. भारत में शूटिंग करने के विभिन्न लाभों पर एफएफओ की फिल्म

    एफएफओ ने 29 राज्यों और 7 यूनियन टैरेटरीज के नोडल अधिकारियों को संबोधित करने वाली एक ऑडियो विजुअल फिल्म बनाई है जिसमें यह बताया गया है कि फिल्म शूटिंग के आर्थिक लाभ क्या क्या हैं और शूटिंग तभी हो सकती है जब उससे संबंधित अनुमतियां सुगमतापूर्वक मिल सकें. इस फिल्म में मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड के सिलसिले में नोडल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष बल दिया गया है.

वितरण

यह एनएफडीसी में स्थापित वितरण व्यवस्था का निरंतर प्रयास रहा कि फिल्म समारोह तथा फिल्म मार्केटों जोकि एनएफडीसी फिल्मों के लिए वैश्विक वितरण नेटवर्क के महत्वपूर्ण और केंद्रीय घटक हैं, उसमें भाग लेने के साथ साथ वीडियो ऑन डिमांड मंच पर एनएफडीसी कंटेंट का लाभ उठाने के जरिये विश्व भर के नए युग के डिजिटल और गैर-डिजिटल पारंपरिक बाजारों में प्रवेश करना है

इसके 7 प्रमुख शिरोबिंदू के साथ एनएफडीसी अपना सिनेमा को उनके दर्शकों तक ले जाने में सफल रहे है. इसके थीम आधारित सिनेमा के लिए मुख्य आय उत्पन्न करने के अलावा, एनएफडीसी दुनिया भर के सिनेमा के चाहतों का लगातार दिल जीत रहा है.

एनएफडीसी को अच्छे सिनेमा के उन्नयन का जो जनादेश मिला है, उसके अनुरूप कॉर्पोरेशन ने ब्रैंड 'सिनेमाज ऑफ इंडिया' (वीओडी प्लेटफॉर्म) लॉन्च किया जिससे कि भारत में एनएफडीसी की फिल्मों तथा उन अन्य स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं की फिल्मों के वितरण के लिए एक सतत प्रणाली विकसित हो सके जिनकी घरेलू बाजार में पहुंच सीमित है.

सिनेमाज ऑफ इंडिया वर्तमान एवं उभरते हुए सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे इन थियेटर्स, होम वीडियोज, ऑन वीडीयो ऑन डिमांड (वीओडी) www.cinemasofindia.com, डी टी एच (डायरेक्ट टु होम), इन फ्लाइट अन्य ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्मस एंटरटेनमेंट आदि पर फिल्म वितरण की सुविधा प्रदान करता है.

थियेट्रिकल

वीकेएएओ (पीवीआर) के साथ महत्वपूर्ण भागीदारी की वजह से एनएफडीसी के प्रीमियम टाइटल्स थियेटरों में साल भर कहीं न कहीं चलते रहते हैं 2017-18 में 'गांधी' और 'जाने भी दो यारो' दिखाई गई.

सिंडिकेशन

टेलीविजन

1. विभाग ने ज़ी क्लासिक्स चैनल पर एनएफडीसी की फिल्में दिखाने के लिए ज़ी नेटवर्क के साथ अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी जारी रखी

Karnataka, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Uttar Pradesh, with their respective Film Offices at the Film Bazaar.

9. Most Film Friendly State Award 2017

   16 States participated in the Most Film Friendly State Award 2017, which was given under the aegis of the 65th National Film Awards. Chaired by acclaimed filmmaker Ramesh Sippy, the Jury consisted of renowned filmmakers, Nagraj Manjule, Raja Krishna Menon, Vivek Agnihotri, and Uday Singh, MD, Motion Picture Distributors Association.

   Subsequent to the detailed analysis and discussions, the Jury unanimously conferred the award for the Most Film Friendly State to Madhya Pradesh and also decided to recognize the efforts made by the State of Uttarakhand towards creating a film friendly environment and hence, conferred it with a Special Mention Certificate.

10. FFO Film on the Multiplier Effect of Filming in India

    The FFO has created an A/V addressed to the Nodal Officers spread across 29 States and 7 Union Territories, highlighting the economic benefits of filming, which is a direct outcome of simplifying filming & related permissions at the ground level. The film also lays emphasis on the critical role of the Nodal Officer in executing the parameters of the Most Film Friendly State Award.

Distribution

It is the constant endeavour of the Distribution set up at NFDC to break into new age digital and non-digital traditional markets across the world by leveraging NFDC content on Video on demand platforms along with participating in film festivals and film markets, that are critical and central component of the global distribution network for NFDC films.

With seven prominent verticals, NFDC has been successful in taking their cinema to its audience. Apart from generating head turning revenues for its theme based niche cinema, NFDC continues to win hearts of cinema connoisseurs the world over.

Given NFDC's mandate to promote good cinema, the Corporation launched the brand Cinemas of India (VOD platform) to develop a sustainable mechanism for distribution of films in India, for both NFDC's productions and films from other independent filmmakers who may have limited access to domestic markets.

Cinemas of India facilitates distribution of films across existing and emerging media platforms such as In-theatres, Home Video, on Video-on-Demand (VOD) www.cinemasofindia.com, DTH (Direct to home), In-flight other Over-The-Top (OTT) Platforms Entertainment amongst others.

Theatrical

NFDC's premium titles are screened all year round as theatrical shows, as part of its strategic partnership with Vkaao (PVR). In 2017-18 Gandhi and Jaane Bhi Do Yaaro were screened.

Syndication

Television

1. The department continued its strategic collaboration with Zee Networks for airing NFDC films on Zee classic channel.

2. स्टार इंडिया के साथ स्टार नेटवर्क चैनल्स पर 'आईलैंड सिटी' के सिंडिकेशन के लिए अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी जारी रखी.

3. इपिक चैनल के साथ एनएफडीसी की 22 पुरस्कृत फिल्मों की महत्वपूर्ण भागीदारी जारी रखी.

4. एनएफडीसी का लोकसभा टीवी के साथ अनुबंध है जिसके अंतर्गत उनके साप्ताहिक फिल्म कार्यक्रम के लिये पुरस्कृत फिल्मों की आपूर्ति की जाती है. एनएफडीसी की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी लोकसभा टीवी के लिए ली गई जिन्हें इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ दिखाया गया.

5. एनएफडीसी ने विक्टर्स चैनल के साथ उन्हें एनएफडीसी की 100 क्लासिक फिल्मों की आपूर्ति के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं.

डिजिटल

1. टाटा स्काई के साथ एनएफडीसी की फिल्मों से संबंधित महत्वपूर्ण सहभागिता का नवीकरण किया गया.

2. रिलायंस जियो के साथ एनएफडीसी की फिल्मों संबंधी चल रही डिजिटल सहभागिता को जारी रखा गया.

इन फ्लाइट

1. एनएफडीसी की फिल्में 'अरुणोदय', 'शेषेर कोबिता' और 'एज द रिवर फ्लोज' का भारत की सबसे बड़ी इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट कंपनी कॉन्टिनेंटो मीडिया एल एलपी के साथ दुनिया भर में उड़ानों के दौरान एनएफडीसी की फिल्में दिखाने के लिए महत्वपूर्ण समझौता हुआ

होम वीडियो

1. होम वीडियो एंटरटेनमेंट में विशेषज्ञता वाली, भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक शेमारु एंटरटेनमेंट के साथ महत्वपूर्ण सहभागिता को जारी रखा गया. हमारे पास लगभग 98 फिल्मों की लाइब्रेरी है जिन्हे उनकी सहभागिता से रिलीज किया जाता है.

2. 'आईलैंड सिटी' और 'संस्कार' के नये डीवीडी टाइटल्स रिलीज किये गये.

वीडियो ऑन डिमांड – www.cinemasofindia.com

1. स्वच्छ भारत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2016 में से 19 पुरस्कृत फिल्में नये कंटेंट के तौर पर वीओडी प्लेटफॉर्म पर जोड़ी गईं और इन्हें जबरदस्त प्रोत्साहन मिला.

2. 130 से भी ज्यादा फिल्में विश्व भर के दर्शकों के लिये उपलब्ध हैं.

3. अंतरराष्ट्रीय ओटीटी वेंडर प्रोसेटा और पेयू के साथ एनएफडीसी ने अपनी संधि जारी रखी है जिससे कि दर्शकों को बेजोड़ वीओडी प्लेटफॉर्म पर अनवरत आनंद मिलता रह सके.

4. डिजिटल कंटेंट स्ट्रीमिंग स्पेस में बढ़ती हुई प्रतियोगिता को देखते हुए यह सामयिक निर्णय लिया गया कि सदस्यता शुल्क की दरें कम कर दी जाएं जिसका परिणाम 2017 में वीओडी प्लेटफॉर्म के सदस्यों की संख्या में वृद्धि के रूप में सामने आया.

अंतरराष्ट्रीय बिक्री

क्रिटेरियॉन (उत्तरी अमेरिका), हरबोटरे-लुईस एलएलपी (लंदन) के साथ हमारे वर्तमान संबंध इस वित्त वर्ष में हमारी शानदार बिक्री के रूप में सामने आए.

अंतरराष्ट्रीय फिल्म बाजार

1. एएफएम में प्रतिनिधित्व--अमेरिकन फिल्म मार्केट का 38वां एडीशन 1 से 8 नवंबर 2017 तक सांता मोनिका, लॉस एंजीलीस,

2. Continued strategic collaboration with Star India for syndication of Island City on Star Network Channels.

3. Continued strategic partnership with Epic Channel for 22 Award Winning NFDC titles.

4. NFDC has an arrangement with the Lok Sabha TV to supply acclaimed award winning films for their weekly feature film slot. National Award winning regional films were acquired and screened in Lok Sabha TV with English subtitles.

5. NFDC has signed an MOU with Victers Channel for supply of 100 NFDC classic films.

Digital

1. Renewed strategic collaboration with Tata Sky for NFDC titles.

2. Continued digital collaboration with Reliance Jio on NFDC's ongoing titles.

In-Flight

1. NFDC titles of Arunoday, Shesher Kobita, As the River Flows were exploited/syndicated as part of the strategic collaboration with one of India's strongest content consolidator for In-Filght Entertainment Company Contentino Media LLP for showcasing NFDC films on Airlines globally.

Home Video

1. Continued Strategic collaboration with Shemaroo Entertainment, one of India's leading companies specializing in Home Video Entertainment. We have a library of around 98 titles released in collaboration with them.

2. New DVD titles of Island City and Sanskar were released.

Video on Demand – www.cinemasofindia.com

1. 19 Award winning Short Films from the Swachh Bharat Short Film Festival 2016 were added as new content on the VOD platform and have received overwhelming response.

2. A total of 130+ films are available for streaming for global audiences.

3. NFDC has continued its association with Prozeta, an international OTT vendor and PayU, payment gateway partner, to create a seamless user experience for the VOD platform.

4. Keeping in mind the growing competition in the digital content streaming space, a timely decision to drop subscription prices resulted in sharp increase in the number of subscribers on the VOD platform in 2017.

International Sales

Our existing alliance with Criterion [North America] Harbottre-Lewis LLP [London] comprises our remarkable international sales for this financial year.

International Film Markets

1. Representation at AFM – The 38th edition of the American Film Market was held from 1-8 November 2017 in Santa

(यूएसए) में आयोजित किया गया. एजेंडा था एनएफडीसी की फिल्मों का सूचीपत्र प्रस्तुत करना और एनएफडीसी की फिल्मों के सिंडिकेट के लिए नये भागीदारों की तलाश.

कमीशंड प्रोडक्शन

इवेंट मैनेजमेंट, कंटेंट क्रियेशन, और सोशल मीडिया पर प्रसार प्रसार जैसे कामों को शुरू से लेकर अंत तक बखूबी निभाने से एनएफडीसी के ग्राहक मंत्रालयों का कॉर्पोरेशन पर विश्वास सुदृढ़ हुआ है. कॉर्पोरेशन ने राज्य सरकारों के साथ सहभागिता के लिये विशेष रणनीति तैयार की है. एनएफडीसी को बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से ऑडियो विजुअल डेवलममेंट प्रोजेक्ट्स का काम मिला है. इन सब की वजह से, एनएफडीसी ने स्वयं को एक विश्वसनीय समग्र मीडिया सेवाएं उपलब्ध कराने वाले के रूप में स्थापित कर लिया है जो सभी प्लेटफॉर्म्स के लिये विज्ञापन संबंधी सामाग्री तैयार कर सकता है और उसका का प्रचार प्रसार भी उचित रूप से कर सकता है.

इस सब के साथ, एनएफडीसी ने अपनी सेवाओं का विस्तार विज्ञापन के अपरंपरागत प्रारूपों तक इस तरह करने की योजना बनाई है जिसमें वैब कंटेंट, ऑडियो और वीडियो, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशंस, नुक्कड़ नाटक आदि शामिल तो हों लेकिन इन्हीं तक सीमित न रह जाएं. एनएफडीसी का प्राथमिक उद्देश्य सरकार के मुख्य कार्यक्रमों को विज्ञापित करने में अपने पूर्ण प्रयत्न करना है जिससे उन कार्यक्रमों के बारे में अधिकतम लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके.

वर्ष के दौरान हमारे वर्तमान ग्राहकों की संख्या में 46 नये ग्राहक और जुडे. इनके अलावा, 10 नये निजी ग्राहकों को भी सेवाएं प्रदान की गईं. एनएफडीसी ने विभिन्न ग्राहकों के लिये लगभग 650 ऑडियो और वीडियो फिल्में बनाईं और 311 मीडिया कैंपेन रोल किये.

प्रिव्यू थियेटर

मुंबई तथा चैन्नई के प्रिव्यू थियेटर्स ने सीबीएफसी एवं अन्य निजी ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देते रहने की ऐसी प्रतिबद्धता कायम रखी है जिससे इनमें हर माह अधिक स्क्रीनिंग्स होती रहें.

सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया

सन 1991 में स्व. लॉर्ड श्री रिचर्ड एटनबरो ने एक ट्रस्ट की स्थापना की थी जिसका नाम उन्होंने रखा था सिने आर्टिस्ट वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया. यह ट्रस्ट फिल्म गांधी से हुए लाभ के एक हिस्से से स्थापित किया गया था. इस ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य 50 साल की आयु से अधिक के उन फिल्म कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिनका समय खराब चल रहा हो और उन्हें आर्थिक सहारे की जरूरत हो.

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल मिला कर 255 पेंशनर्स को फंड से आर्थिक सहायता प्रदान की गई.

आउटरीच

आउटरीच विभाग ने वर्ष के दौरान निम्न गतिविधियों को सुगम बनाने में सहायता पहुंचाई –

- फिल्म प्रदर्शन – पूरे साल विविध इवेंट्स में एनएफडीसी की फिल्में दिखाई गईं. इन इवेंट्स में प्रमुख थे बीएफआई लंदन फिल्म फेस्टिवल, कोपेहेगेन-डेन्मार्क, इंडियन हैबीटैट सेंटर, गांधी पैनोरमा के लिये बिहार के अनेक स्थल, आईएफएफके, बीकानेर हाउस, 1018 एमबी.कॉम के साथ सहभागिता.

- एनएफडीसी - बिग एफएम रेडियो आउटरीच – उस सेशन की तैयार और रिकॉर्डिंग जिसमें मिलन लूथरिया और मुजफ्फर अली वक्ता थे.

- एनएफडीसी - बिग एफ एम रेडियो आउटरीच प्रोग्राम – उन 12 सेशंस के लिये ऑन ग्राउंड संयोजन और रिकॉर्डिंग जिनमें सुधीर मिश्रा, मीरा नायर, सौरभ शुक्ला, अलेक पदमसी, कमल हसन, रजत कपूर, सुभाष कपूर, मधुर भंडारकर, रोहिणी हतंगड़ी, संजय सूरी, श्याम बेनेगल, सईद अख्तर मिर्ज़ा, केतन मेहता, नागेश कुकनूर, एम एस सथ्यू, शमा ज़ैदी, कुंदन शाह, सतीश शाह, सतीश कौशिक, विजया मेहता, होमी अज़दानिया, पवन मल्होत्रा, दिबाकर बैनर्जी आदि वक्ता थे.

Monica, Los Angeles [USA]. The agenda was to present the NFDC film catalogue and scout new partnerships to syndicate NFDC titles internationally.

Commissioned Production

NFDC has been inspiring trust from client ministries for end-to-end solutions, event management, content creation and social media dissemination. The Corporation has also devised a special strategy for collaborating with State governments. NFDC has successfully bagged AV content development projects from Bihar, Rajasthan, Karnataka and Himachal Pradesh. While doing so, NFDC established itself as a reliable integrated media services provider for the creation and dissemination of advertising communication across platforms.

Along with this, NFDC plans to diversify its bouquet of services and extensively venture into unconventional formats of advertising including but not limited to creation of web content, audios and videos, social media marketing, public relations, nukkad natak and mobilization drives among others. NFDC's primary aim is to acquire the business of strategizing and executing the Government's premium flagship programmes to ensure synergy in advertising, thus leading to better reach with population.

During the year, a total of 46 new clients were added to our pool of existing clients. In addition to this, 10 private clients were also handled. NFDC produced approximately 650 audio and video films for various clients and also rolled out 311 media campaigns.

Preview Theatre

The Preview Theatres at Mumbai and Chennai have kept their commitments to provide improved services to CBFC and private parties in order to increase monthly screenings.

Cine Artistes Welfare Fund of India

A Trust was formed in the year 1991 by late Lord Richard Attenborough named as Cine Artistes Welfare Fund of India, out of a portion of profit earned from the film GANDHI. The main objective of the Trust is to give financial assistance to old cine artistes above 50 years who have fallen on bad days and need financial support.

During the year 2017-18 a total of 255 pensioners were provided financial assistance from the Fund.

Outreach

The Outreach Department has helped facilitate the following activities during the year –

- Facilitation of Screenings of NFDC titles at multiple events throughout the year, including, BFI London Film Festival, Copenhagen - Denmark, Indian Habitat Centre, Multiple venues in Bihar for Gandhi Panorama, IFFK, Bikaner House, collaborations with 1018mb.com

- NFDC- Big FM Radio Outreach – Preparation and Recording for a session with Speakers Milan Lutharia and Muzaffar Ali

- NFDC – Big FM radio Outreach Programme – On-ground coordination and Recording for 12 Sessions which included speakers, Sudhir Mishra, Mira Nair, Saurabh Shukla, Alyque Padamsee, Kamal Hasan, Rajat Kapoor, Subhash Kapoor, Madhur Bhandarkar, Rohini Hattangandi, Sanjay Suri, Shyam Benegal, Saeed Akhtar Mirza, Ketan Mehta, Nagesh Kukunoor, MS Sathyu, Shama Zaidi, Kundan Shah, Satish Shah, Satish Kaushik, Vijaya Mehta, Homi Adajania, Pavan Malhotra, Dibakar Banerjee, etc.

- फिल्म आजकल – स्क्रीनिंग और वार्तालाप – हरकत स्टूडियो और जी 5 ए फाउंडेशन फॉर कंटम्परेरी कल्चर में रेडियो आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत एनएफडीसी की 12 फिल्मों के प्रदर्शन का ऑन ग्राउंड क्रियान्वयन जिसमें स्क्रीनिंग, गैस्ट कोऑर्डिनेशन और स्क्रीनिंग्स के बाद हुई वार्तालाप की रिकॉर्डिंग आदि शामिल थी. वक्ता थे : कमल स्वरूप, सुधीर मिश्रा, केतन मेहता, रजत कपूर, सतीश कौशिक, सौरभ शुक्ला, शरत कटारिया, सईद मिर्ज़ा, किरण नगरकर, पवन मल्होत्रा आशुतोष गोवारीकर.

- धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल -- धर्मशाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 के लिये स्पॉन्सरशिप और लायजनिंग. अनेक को-ब्रैंड क्रिएट किये और आउटरीच अवसरों का मौका बना. कुंदन शाह को श्रध्दान्जलि के तौर पर उनकी फिल्म 'जाने भी दो यारो' दो बार दिखाई गई. इनमें से एक शो राज्य कारागार धर्मशाला के कैदियों के लिये था.

फिल्म बाज़ार

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (एनएफडीसी) द्वारा आयोजित फिल्म बाज़ार एक ऐसा मंच है जो अंतरराष्ट्रीय तथा दक्षिणी एशिया फिल्म बिरादरी के बीच सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष रूप से गठित किया गया है.

यह बाज़ार दक्षिणी एशियाई कथ्यों और उनकी प्रस्तुति, फिल्म क्षेत्र की प्रतिभाओं को उजागर करने, फिल्म निर्माण और वितरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है. विश्वभर के फिल्में खरीदने-बेचने के इच्छुकों के लिये यह बाज़ार एक केंद्रबिंदु के रूप में उभर रहा है. साथ ही इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विश्व सिनेमा की बिक्री को सहूलियत दिलाना है.

फिल्म बाज़ार का आयोजन पहले पहल 2007 में किया गया था. अब यह दक्षिण एशिया के विश्व बाज़ार के तौर पर पहचान बना चुका है जिसमें दक्षिण एशिया तथा विश्व सिनेमा की उपस्थिति हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है. सन 2017 में आयोजित बाज़ार में 38 देशों के 1010 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इनमें कनाडा और नीदरलैंड्स के प्रतिनिधि भी थे.

फिल्म बाजार के 11वें संस्करण में प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप में एक नया फीचर जोड़ा गया – द 48 आवर वी आर प्रोजेक्ट, जिसे भारत में इन्स्टीट्यूट्स फ्रांसिया और वोन्डा वी आर फ्रांस के सहयोग से कार्यान्वित किया गया. इस प्रोजेक्ट में भाग लेने वालों को वीआर टॅक्नॉलॉजी से परिचित कराया गया और कलात्मक परामर्शदाता आरनॉल्ट लबरनोने द्वारा इसके उपकरणों के बारे में बताया गया कि कैसे उनसे क्रिएट, शूट, स्टिच, किया जा सकता है और कैसे 48 घंटे से भी कम समय में सिनेमेटिक वी आर अनुभव प्रदर्शित किया जा सकता है.

ओवरसीज प्रमोशन और मार्केट्स

भारतीय सिनेमा के ओवरसीज प्रमोशन और निर्यात डिवीजन के जनादेश को बल देने को लेकर एनएफडीसी ने अपनी नई फिल्मों की मार्केटिंग बढ़ाने, वर्तमान सूचीपत्र को बल देने और भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिये अनेक नये कदम उठाये गये हैं. विभाग सिनेमाज ऑफ इंडिया और भारतीय फिल्मकारों को विदेशों में प्रोत्साहित करने के जनादेश पर भी काम करता है. ओवरसीज डिवीजन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाज़ारों में अंतरराष्ट्रीय फिल्म बिरादरी के बीच भारतीय सिनेमा की उपस्थिति बढ़ाने का काम भी करता है. भारतीय सिनेमा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म बिरादरी की रुचि निरंतर बढ़ रही है. इसलिए डिवीजन अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों और बाज़ारों में सिनेमाज ऑफ इंडिया और भारतीय प्रतिभाओं के उन्नयन पर विशेष बल देता है. डिवीजन ने दुनिया भर के निजी एवं सरकारी फिल्म इन्स्टीट्यूट्स के साथ भागीदारी को भी प्रोत्साहन दिया है.

सन 2017 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया पेवेलियन बनाने का काम एनएफडीसी को सौंपा. इसमें तीन कोणों से काम किया गया-भारतीय फिल्मों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति, भारत को फिल्में बनाने के लिये उपयुक्त देश के रूप में पेश करना और फिल्म क्षेत्र में अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सहयोग.

- Film Aaj Kal – Screenings and Conversation – On-ground execution of 12 Screening of NFDC films - as part of Radio Outreach Program at Harkat Studios & G5A Foundation for Contemporary Culture, including Screening, Guest Coordination and Recording of Conversations after Screenings. Speakers included Kamal Swaroop, Sudhir Mishra, Ketan Mehta, Rajat Kapoor, Satish Kaushik, Saurabh Shukla, Sharat Katariya, Saeed Mirza, Kiran Nagarkar, Pavan Malhotra, Ashutosh Gowariker.

- Dharamshala International Film Festival – Liaising and Sponsorship for Dharamshala International Film Festival 2017. Created various co-branding and Outreach opportunities with them. Two screenings of Jaane Bhi Do Yaaron were conducted as part of a tribute to Kundan Shah (including a special screening for inmates of the state prison, Dharamshala) and as Outreach for the festival.

Film Bazaar

Organized by the National Film Development Corporation (NFDC), Film Bazaar is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity.

The Bazaar is focused on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of filmmaking, production and distribution. A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar also aims at facilitating the sales of world cinema in the South Asian region.

First held in 2007, Film Bazaar has evolved into South Asia's global film market, witnessing an increased South Asian and International participation with every edition. The 2017 market saw an attendance of 1010 delegates from 38 countries including country delegation from Canada and Netherlands.

In the 11th edition of Film Bazaar, a new feature was introduced in the Producers Workshop – The 48hr VR Project, which was done in collaboration with Institut Francais in India & Wonda VR France. The project introduces participants to VR technology and empowers them with tools and mentorship by artistic mentor Arnault Labaronne to create, shoot, stitch and exhibit cinematic VR experiences in less than 48 hrs.

Overseas Promotion and Markets

In terms of overseas promotion of Indian cinema and to substantiate the mandate of exports division, NFDC undertakes various initiatives to increase marketing of its new films, existing catalogue and promotion of Indian films in global networks, the department also undertakes the developmental mandate of promoting cinemas of India and Indian filmmakers abroad. The overseas division works towards building the presence of Indian cinema at International Film Festivals and Markets. With International Film Community's ever-increasing interest in Indian Cinema, the division primarily focuses on promoting and showcasing Cinemas of India and Indian talent at International Film Festivals and Markets. The division has also fostered partnerships with private and government film institutions from across the world.

In 2017, Ministry of Information and Broadcasting, has entrusted the work of setting up of India Pavilion in Cannes Film Festival to NFDC that focused on a three-pronged strategy of positioning Indian films internationally, promoting India as a filming destination, and enabling greater international collaborations in the film sector.

6. मानव संसाधन विकास

क. अनुसूचित वर्ग/अनुसूचित जनजाति आरक्षण

अनुसूचित वर्ग तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार विभिन्न नियुक्तियों तथा पदोन्नतियों में इनका पालन किया गया.

ख. मानव संसाधन विकास में प्रशिक्षण

कर्मचारियों के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिससे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उनके कौशल एवं ज्ञान का विकास हो सके, वर्ष 2017-18 के दौरान कर्मचारियों को आरटीआई, जीएसटी, आर्थिक प्रबंधन, आंतरिक आर्थिक नियंत्रण, इंडो-एशिया जैसे प्रशिक्षण के लिये नामांकित किया गया और उन्हें नियमित रूप से तकनीकी क्षेत्रों का प्रशिक्षण कार्यालय में ही दिया गया.

ग. औद्यौगिक संबंध

औद्योगिक संबंध स्वस्थ, स्नेहपूर्ण तथा सद्भावपूर्ण बने रहे.

7. सूचना मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन

भारत सरकार के साथ सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय (प्रशासकीय मंत्रालय) में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुरूप वित्त वर्ष 2016-17 के लिये एनएफडीसी को अपने कार्यप्रदर्शन के लिये "निकृष्ट" रेटिंग प्राप्त हुई.

8. राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत समय समय पर बनाये गये नियमों तथा राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सरकारी विभाग द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों को कार्यान्वित किया गया. निगम में हिंदी के प्रयोग तथा गृहकार्य मंत्रालय भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 के लिये लागू किये गये वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये उठाये गये कदमों की समीक्षा के लिये राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं.

9. ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि पर रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुरूप जिन्हें कंपनी नियम (अकाउंट्स) 2014 के साथ पढ़ा जाये, ऊर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि निगम पर लागू नहीं होते.

10. सतर्कता मामले

कंपनी ने महा प्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को सतर्कता संबंधी मामले भी देखने का कार्यभार सौंप दिया है. वर्ष 2017-18 के दौरान सतर्कता संबंधी कोई भी मामला सामने नहीं आया.

11. निदेशक मंडल तथा मंडल की बैठकें

कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और उनका पारिश्रमिक भी वही नियत करती है. अत: निदेशकों की नियुक्ति, योग्यता, उनके पारिश्रमिक, सकारात्मक प्रवृत्तियों, निदेशक की स्वतंत्रता तथा सेक्शन 178 के उप धारा (3) के अंतर्गत आने वाले अन्य मामलों के संबंध में कंपनी की कोई नीति नहीं है.

6. Human Resource Development

a. Schedule Caste/Schedule Tribe Reservation

The directives issued by the Government of India regarding reservation for SC/ST in appointment and promotions to various posts were complied with.

b. Training & Human Resource Development

Considering the developmental needs of the employees, with a view to enhance their knowledge and skills in different functional areas, employees were nominated for attending training on RTI, GST, Financial Management, Internal Financial Controls, Ind-AS, etc., during the year 2017-18 and also imparted in house training to the employees in technical areas on regular basis.

c. Industrial Relations

Industrial relations continued to be healthy, cordial and harmonious.

7. Mou With Ministry of Information And Broadcasting

The performance of NFDC in terms of Memorandum of Understanding signed with the Ministry of Information and Broadcasting (the administrative Ministry) Government of India, for the FY 2016-17 has been rated as “Poor”.

8. Official Language Implementation

The Official Language Act, along with the Rules thereof and orders issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Information and Broadcasting, and the Department of Public Enterprises regarding progressive use of Hindi, were implemented in the Company during the year. Meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly to review the use of Hindi in the Company and steps taken to implement the Annual program for the year 2017-2018 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

9. Report On Conservation Of Energy, Technology Absorption, Etc.

Information in accordance with the provisions of Section 134 (3) (m) of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Accounts) Rules, 2014 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is not applicable to the Company.

10. Vigilance Matters

An officer in the rank of General Manager has been nominated to oversee the vigilance matters. No vigilance compliant has been received during the year 2017-18.

11. Board Of Directors And Board Meetings

The Company’s Directors are appointed and their remuneration fixed by the Government of India. Hence the Company has no policy on appointment of Directors and their remuneration including criteria for determining qualification, positive attitudes, independence of a director and other matters provided under sub-section (3) of Section 178.

आजकल एनएफडीसी में दो फंक्शनल निदेशक अर्थात प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त), इनके नाम है : श्री मनोज कुमार पिंगुआ, प्रबंध निदेशक और सुश्री नज़हत जे. शेख, निदेशक (वित्त). दो एक्स ऑफीसियो अंशकालिक सरकारी निदेशक हैं : श्री अशोककुमार आर परमार, संयुक्त सचिव (फिल्म्स) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और श्री अली रज़ा रिज़वी अतिरिक्त सचिव तथा वित्त सलाहकार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय. इनके साथ ही एक अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशक सुश्री अनुपमा चोपड़ा हैं.

वर्तमान में 10 निदेशकों के पद खाली हैं. निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती. उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है.

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान बोर्ड की चार मीटिंग्स 05/06/2017, 14/09/2017, 29/12/2017 और 28/03/2018. को हुई.

12. लेखा परीक्षक

नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अधीन मेसर्स टस्की असोसिएट्स, सनदी लेखाकार, किनारा सी.एच.एस., प्लॉट 1/10 ए आर, बांद्रा (वैस्ट) रिक्लेमेशन मुंबई 400050 को वित्तवर्ष 2017-2018 के लिये निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया.

लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिये कंपनी के लेखाओं का लेखा परीक्षण किया है. परीक्षित लेखा तथा तथा तत्संबंधी अनुलग्नक इस रिपोर्ट के साथ नत्थी किये गये हैं.

13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निगम की ओर से एनएफडीसी में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) 2005 लागू करने के आवश्यक कदम उठाये गये हैं. आर.टी.आई. के अंतर्गत आने वाले प्रार्थनापत्रों पर कार्यवाही के लिये निम्नानुसार व्यवस्था की गई है.

1. मुख्य जन सूचना अधिकारी
   पी पी मठ, प्रबंधक (फिल्म निर्माण)

2. अपीलीय प्राधिकारी
   ई जे. पॉल, कंपनी सचिव

14. सतर्कता तंत्र

बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपनाने की दृष्टि से एनएफडीसी ने धोखाधड़ी के माामलों की रोकथाम के लिये नीति निर्धारित की है. इस नीति का उद्देश्य धोखाधड़ी के मामलों की छानबीन और उनकी रोकथाम के लिये एक प्रणाली उपलब्ध कराना, पता लगे या संदेहास्पद छल अथवा गबन की रिपोर्ट करना तथा छल कपट से संबंधित मामलों का किसी तरह के संदेह से परे तरीके से निपटारा करना है.

विभागों के अध्यक्ष, महाप्रबंधक तथा क्षेत्रीय प्रबंधकों को इस नीति के अंतर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है और वे इस नीति के अनुकूल समन्वय करेंगे.

15. ऑडिट कमिटी

31 मार्च 2018 को ऑडिट कमिटी का गठन इस प्रकार था –

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थिति
अनुपमा चोपड़ा	गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य
अली रज़ा रिज़वी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

ऑडिट समिति की बैठकों में निदेशक वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षक, और संवैधानिक लेखा परीक्षक स्थाई निमंत्रित होते हैं. वरिष्ठ कार्यकारी एक्जिक्यूटिव्स को भी आवश्यकतानुसार समिति को सूचनाएं प्रदान करने के लिये बुलाया जाता है.

As on date, NFDC has two Functional Directors i.e., Shri Manoj Kumar Pingua, Managing Director, and Ms. Nazhat J. Shaikh, Director (Finance), two ex-officio part-time Government Directors, namely Shri Ashokkumar R. Parmar, Joint Secretary (Films), Ministry of I & B, and Mr. Ali Raza Rizvi, Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of I&B, and one part time non-official Director, Ms. Anupama Chopra.

Currently the posts of ten (10) Directors are lying vacant. The Company has no role in the appointment of its Directors since they are appointed by the Government of India.

During the Financial Year 2017-18, four Board Meetings were held on 05/06/2017, 14/09/2017, 29/12/2017 and 28/03/2018.

12. Auditors

The Comptroller and Auditor General of India appointed M/s. Tasky Associates, Chartered Accountants, KINARA C.H.S. Plot No.1/10 AR, Bandra (West) Reclamation, Mumbai 400050 as Auditors of the Company for the FY 2017-18 under Section 139 of the Companies Act, 2013.

The auditors have audited the Accounts of the Company for the year ended March 31, 2018. The audited accounts with required annexure and reports are annexed to this report.

13. Right To Information Act, 2005

Necessary action has been taken by the Company towards implementation of Right to Information (RTI) Act 2005 in NFDC. RTI Machinery is in place to attend to RTI applications and follow-ups.

1. Chief Public Information Officer
   P.P. Math, Manager (Film Production)

2. Appellate Authority
   E.J. Paul, Company Secretary

14. Vigil Mechanism

In order to practice better Corporate Governance, NFDC has adopted a Policy for Prevention of Fraud. The objective of the policy is to provide a system for detection and prevention of fraud, reporting of any fraud that is detected or suspected and for fair dealing of matters pertaining to fraud.

The Heads of Departments, General Managers, and Regional Managers are designated as the Nodal officers for this Fraud Policy and will co-ordinate all activities as per the Policy.

15. Audit Committee

The composition of the Audit Committee as on 31st March 2018 is as under –

Name of the Director	Designation	Position in Committee
Anupama Chopra	Non-Official Director	Member
Ali Raza Rizvi	Govt. Nominee Director	Member

Director Finance, Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

16. लेखाकारों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

योग्य राय का आधार –

पैरा (क)
कंपनी ने विभिन्न देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों एवं उन जमाओं के संबंध में, जो बही खातों में 31 मार्च 2018 को आउटस्टैंडिंग हैं, बकाए के सत्यापन के लिए पत्र भेजे हैं. कुछ पक्षों से जवाब आ भी चुके हैं. टीडीएस/वीएटी आदि के पुराने बकाया को लेकर सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है तथा सभी चालू कर दायित्व निपटा दिए गये हैं. उन विभिन्न देनदारों, ऋणों तथा अग्रिमों के बारे में बही खातों में पर्याप्त प्रावधान कर दिये गये हैं जो तीन साल से अधिक समय से बकाया पड़े हैं और उन्हें विधिवत पिछले वर्षों से आगे ले आया गया है. इसके अतिरिक्त टी. वी मार्केटिंग के देनदारों और अन्य बकायाओं को लेकर आवश्यकतानुसार केस दायर कर दिए गए हैं.

चालू देनदारियां मुख्यत: मीडिया व्यवसाय के कारण हैं. बहुत सारी देनदारियां क्रमश; निपटा दी गई हैं.

पैरा (ख)
नोट किया गया.

पैरा (ग)
एनएफडीसी मंत्रालय की योजना नीति `विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण' को कार्यान्वित करता है. कंपनी को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत फिल्म 'यशोधरा एक काव्य' के लिए मंत्रालय से फंड प्राप्त हुए. फिल्म बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा प्राप्त फंड के संबंध में कंपनी की नीति--महत्वपूर्ण लेखा नीति के बी 7 में नोट्स टु अकाउंट्स के पॉइंट नं 2 में दी गई है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त स्वीकृति आदेश दिनांक 16.11.2012 में किसी परियोजना को निरस्त करने के लिए पूर्व अनुमति का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है. फिर भी कॉर्पोरेशन ने फिल्म निरस्त कर देने के बारे में मंत्रालय को सूचित किया है और उसकी अनुमति भी मांगी है जिसका उत्तर अपेक्षित है.

क्योंकि फिल्म पूरी नहीं की गई थी, एनएफडीसी ने 10 प्रतिशत प्रोडक्शन फीस का जिक्र नहीं किया. इस तरह लाभ का कोई विवरण बढ़ा कर नहीं दिखाया गया.

पैरा (घ)
कोई टिप्पणी नहीं.

पैरा (ड़)
पांच साल से अधिक की अवधि से ₹ 1048.77 लाख की बकाया राशि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से जो कि एन एफडीसी का प्रशासकीय मंत्रालय है तथा सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के मीडिया यूनिट्स से ₹ 706.61 लाख देय है. एनएफडीसी की सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग नीति के अनुरूप प्रबंधन के मतानुसार जो सरकारी बकाया वसूल होने की उम्मीद न हो उनके बारे में प्रावधान कर दिया जाता है अत: प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी गई.

पैरा (च)
सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 के सेक्शन 142 (3) के अनुरूप `सी ई एन वी ए टी के अंतर्गत आने वाले किसी भी जमा, ड्यूटी, कर और ब्याज के रिफंड के लिए किये गये दावे और बकाया तथा साथ ही जी एस टी लागू होने की तिथि के बाद किये गये वे दावे जो इसके पहले के हों पिछले नियम के अंतग्रत माने जाएंगे और उनका निपटारा पिछले नियमों के अनुसार ही किया जायगा. उनकी ओर जो भी राशि निकलती होगी, उसका नकद भुगतान कर दिया जाएगा.'

इसी के अनुरूप, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को सीईएनवीएटी रिफंड की जानकारी वाला पत्र भिजवा दिया गया. कंपनी को आशा है कि रिफंड मिल जाएगा.

महत्वपूर्ण मामले
कुछ नहीं

16. Comments on The Auditors Report

Basis for Qualified Opinion –

PARA (a)
The Company has sent letters seeking confirmation of balances in respect of Sundry Debtors, Loans and Advances, as well as Deposits outstanding in the Books of Accounts as on 31st March 2018. Responses have been received from some of the parties. Adequate provisions have been made in the Books of Accounts for Sundry Debtors, Loans and Advances that are outstanding for more than three years and have been duly carried forward from previous years. Further, legal cases have been filed for recovery in respect of TV Marketing Debtors and other cases of outstanding dues wherever required.

The Current Liabilities are mainly on account of Media Business. Most of the dues have been cleared subsequently.

PARA (b)
Noted.

PARA (c)
NFDC executes the Ministry's Plan Scheme of "Production of films in various Indian languages". The Company had received the Fund for Film "Yashodhara Ek kavya" under 12th Five Year Plan from Ministry. The accounting policy followed by the Company with respect to funds received from the Ministry for production of films is stated at B.7 of Significant Accounting Policy given at point no. 2 of Notes to Accounts.

As per sanction order dated 16.11.2012 received from Ministry of Information & Broadcasting, there is no specific provision for seeking prior approval for shelving of the project. However, the Corporation has informed the Ministry regarding shelving of the film and also sought approval for the same against which response is still awaited.

Since the film was not completed, NFDC has not accounted for the production fee of 10%. Hence, there is no over statement of profit.

PARA (d)
No comments.

PARA (e)
Of the total Government dues of ₹ 1048.77 lakhs outstanding for more than 5 years, ₹ 706.61 lakhs is due from Ministry of Information & Broadcasting & Media units of Ministry of Information & Broadcasting, which is NFDC's administrative Ministry. As per the Significant Accounting policy of NFDC, provision towards Government dues are made to the extent considered not recoverable in the opinion of the Management. In the opinion of the Management, the dues from the Government are expected to be recovered & hence provision is not considered necessary.

PARA (f)
As per Section 142(3) The Central Goods and Services Tax Act, 2017, "the claims made for refund of any amount of CENVAT credit, duty, tax or interest paid and pending as well as claims made after GST introduction date but pertaining to a period prior would be under the earlier law required to be disposed of as per the earlier law and any amount eventually accruing to him shall be paid in cash".

Accordingly, letter has been sent to Service Tax Department for refund of the CENVAT Input of the said amount and the Company is hopeful of getting the refund.

Emphasis Matters
NIL

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक – बी

पैरा 2

दिल्ली कार्यालय में अतिरिक्त कार्य की संभावना को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नये आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है.

पैरा 2

सेवाओं की गहन रूप से रचनात्मक प्रकृति को देखते हुए अपने विभिन्न ग्राहक मंत्रालयों के लिये ऑडियो विजुअल सेवाओं के निर्माण और एसओपी प्राप्ति आदि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित टेंडर प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है. रचनात्मक प्रतिभाओं की तलाश एवं चुनाव एक गूढ व्यक्तिपरक मामला है और इसे रोजमर्रा की टेडरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता. रचनात्मक प्रतिभा तथा उसकी कीमत विभिन्न कारणों एवं कार्य की प्रकृति पर निर्भर करती है अतः वह उसी के अनुरूप हमेशा अलग अलग हो सकती है.

विज्ञापनों का निर्माण दो तरह का होता है--डीएवीपी की दरों पर तथा गैर डीएवीपी दरों पर. डीएवीपी की दरों के मामलों में दरें निश्चित होती हैं अतः प्रतियोगी दरों के लिये टेंडरिंग लागू नहीं होती. हां, योजना को कार्यान्वित करने के लिये एजेंसियों का चुनाव किया जाता है जिसके लिये एसओपी का पालन किया जाता है फिर दरें चाहे डीएवीपी की दरों पर हों या गैर डीएवीपी दरों पर. गैर डीएवीपी निर्माण कार्य के लिये पैनल के लिये चुनी गई सभी एजेंसियां संकल्पना की प्रतुति से पहले सीलबंद लिफाफों में अपने कोटेशंस भेजती हैं जिससे ग्राहक प्रतियोगी मूल्यों के प्रति सुनिश्चित हो सके. ग्राहक मंत्रालय और एनएफडीसी मिल कर कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन मीटिंग करते हैं जिसमें एजेंसी का फाइनल चुनाव होता है. इसमें भाग लेने वाली सभी एजेंसियों को वाह्य सदस्यों की उपस्थिति में चिन्हित किया जाता है उनका मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें श्रेणीबद्ध किया जाता है.

इसे आगे बढ़ाते हुए विधिवत गठित मूल्य समिति उस बजट के उत्तरदायित्व का अनुमान लगाती है जो बाजार भाव के सामने दिया गया गया है. इसके बाद ही फाइनल रेट ग्राहक मंत्रालय को भेजे जाते हैं.

17. जोखिम प्रबंधन नीति

निदेशक मंडल बिजनेस के आंतरिक और वाह्य जोखिमों की समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं जिससे कि समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाये जा सकें. आंतरिक कमजोरियों तथा विभिन्न बाह्य खतरों की समीक्षा के लिये निदेशक मंडल के सामने रिपोर्ट पेश की जाती है.

18. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी को हानि उठाने के कारण निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी पर लागू नहीं होता.

19. महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर हुए यौन उत्पीड़न सम्बन्धी प्रकटीकरण (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन, एंड रिड्रेसल एक्ट 2013)

इसके संबंध में कंपनी की नीति निर्धारित है.

वर्ष 2017-18 के दौरान सेक्सुअल छेड़छाड़ संबंधी शिकायतें प्राप्त होने तथा उनका निपटारा किये जाने का विवरण प्रकार है –

प्राप्त शिकायतों की संख्या	कुछ नहीं
शिकायतों का निपटारा	कुछ नहीं

Annexure – B to the Auditors Report

PARA 1

For the Financial Year 2018-19, new Internal Auditors have been appointed for Delhi Office with additional scope of work.

PARA 2

Tendering procedure is followed for procurement of services & SOPs duly approved by the Board are followed for production of audio-visual content/advertisement for various client Ministries due to the highly creative nature of the services. Identifying and selection of creative talent, which is an intangible and highly subjective resource, cannot be subject to routine tendering processes. Creative talent and costs thereof will vary depending upon various factors and specific requirements of services required.

The production of advertisement is of two types, at DAVP rates & Non-DAVP rates. In case of DAVP rate projects, the prices are fixed and therefore tendering for competitive pricing is not applicable. However, SOPs are followed for selection of agencies to execute the project, whether at DAVP or non-DAVP rates. In case of non-DAVP production works, all the selected empanelled agencies submit quotes in sealed envelopes before presentation of concepts to ensure availability of competitive prices to the client. The client Ministry and NFDC jointly select the final agency after concept presentation meeting wherein all the presenting agencies are assessed, marked and ranked in the presence of external members.

Further, the duly constituted Cost Committee assesses the reasonability of the budget submitted against the market rate and final quotes are sent to the client Ministry.

17. Risk Management Policy

The Board of Directors review internal & external risks of the business periodically so as to take timely corrective action. In order to review its internal weaknesses and various external threats periodically, reports are placed before the Board of Directors.

18. Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility is not applicable to the Company due to accumulated losses.

19. Disclosure Under The Sexual Harrassment of Women At Workplace (Prevention, Prohibition And Redressal) Act, 2013.

The Company has a policy in this regard.

The following is a summary of sexual harassment complaints received and disposed of during the year 2017-18 –

No. of complaints received	Nil
No. of complaints disposed of	Nil

20. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

अपने प्रतिदिन के कार्यकलापों में पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं जवाबदेही बनाये रखने के लिए कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की श्रेष्ठतम नीतियों का निरंतर अनुसरण करती है. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इन नीतियों को संलग्न (अनुलग्नक I) में प्रमुखता के साथ दर्शाया गया है.

21. मियादी जमा

कंपनी ने कंपनी के अधिनियम 2013 के प्रावधानों 2(31), 73 तथा 74 के अंतर्गत जनता से मियादी जमा निमंत्रित नहीं की.

22. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी में ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जो कंपनीज एक्ट 2013 के प्रावधानों 197 (12), जिसे नियम (5) 2 तथा 5 (3) के साथ पढ़ा जाय, के अंतर्गत आता हो (प्रबंधन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम 2014.

23. आभार

निदेशक मंडल कंपनी के व्यावसायिक भागीदारों को उनके सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी हैं और पूरी आशा करता है कि भविष्य में ऐसा ही निरंतर पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा. निदेशक मंडल अपने रिकॉर्ड में निगम के निदेशक मंडल से बाहर जाने वाले निदेशकों के प्रति उनके उल्लेखनीय बहुमूल्य योगदान के लिये अपनी गहरी सराहना दर्ज करता है.भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है, उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है, विशेषकर सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, कंपनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिये आभारी है. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत सरकार, लेखामंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों, वैधानिक लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा बैंकों, संरक्षकों और कंपनी ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रदर्शित करता है. निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण, समर्पित कार्यों के लिये गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करता है. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिये उनके द्वारा दिया गया सहयोग बहमूल्य था.

निदेशक मंडल की ओर से,

स्थान – मुंबई	**मनोज कुमार पिंगुआ**	**एन.जे. शेख**
दिनांक – 26/09/2018	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)
	डीआईएन नं. 01732177	डीआईएन नं. 07348075

20. Corporate Governance

The Company consistently endeavours to adopt the best practices of Corporate Governance to ensure transparency, integrity and accountability in its functioning. The Corporate Governance Report highlighting these endeavors is enclosed herewith (Annexure I).

21. Fixed Deposit

The Company has not invited deposits from Public under Section 2(31), 73 and 74 of the Companies Act, 2013.

22. Particulars Of Employees

There were no employees in the Company falling under the category of employees required to be reported under Section 197(12) of the Companies Act, 2013, read with Rules (5) 2 and 5(3) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

23. Acknowledgements

The Board thanks the Company's business partners for their support and confidence in NFDC and look forward to sustaining and building this mutually supportive relationship in the future as well. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from the Government of India, various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting, in the Company's operations. The Directors also express their grateful appreciation to the Department of Public Enterprises, Comptroller and Auditor General of India, Chairman and Members of the Audit Board, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers, patrons and customers of the Company. The Board records its deep appreciation for the enthusiastic and dedicated work of the members of NFDC. Their outstanding team effort was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors,

Place – Mumbai	**Manoj Kumar Pingua**	**N.J. Shaikh**
Date – 26/09/2018	Managing Director	Director (Finance)
	DIN No. 01732177	DIN No. 07348075

अनुलग्नक – I

वित्त वर्ष 2017-18 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट

एनएफडीसी, जो कि भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज (डीपीई) भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक एंटरप्राइजेज, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का पालन करता है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर संक्षिप्त रिपोर्ट इस प्रकार है –

1. कोड ऑफ कार्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी की विचारधारा

एनएफडीसी उस अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए प्रतिबद्ध है जिसे समुचित पारदर्शी प्रणाली और उन प्रथाओं का सहारा है जिनसे इसके सभी हिस्सेदारों के हितों का संरक्षण, संवर्धन और सुरक्षा सुनिश्चित होती रहे.

एनएफडीसी एक प्रतियोगी, ग्राहक के प्रति मैत्रीभाव रखने वाली और विकासोन्मुखी संस्था के रूप में कार्य करने के लिये प्रतिबद्ध है जो देश-विदेश में स्वस्थ सिनेमा का उन्नयन करे. साथ ही यह अपने सभी ग्राहकों को मैत्रीपूर्ण तथा श्रेष्ठतम सेवाएं पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिये भी प्रतिबद्ध है.

2. निदेशक मंडल

क. बोर्ड की संरचना –

एनएफडीसी के निदेशक मंडल में सात सदस्य हैं. इनमें से दो कार्यकारी निदेशक हैं. शेष पांच में से दो भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा तीन गैर आधिकारिक निदेशक हैं. निदेशक मंडल में नियुक्ति विस्तृत अनुभव, ज्ञान एवं कार्य कुशलता के आधार पर की जाती है.

31 मार्च 2018 को कंपनी के बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी –

क्रियाशील निदेशक	
सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक
सुश्री एन. जे शेख	निदेशक (वित्त)
गैर कार्यकारी निदेशक	
श्री अशोककुमार आर. परमार (.08/05/2017 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री अली रज़ा रिज़वी (24/10/2017 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
सुश्री अनुपमा चोपड़ा	गैर अधिकारिक निदेशक

तीन स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल, जिनमें चेयरमैन भी शामिल हैं, 15. 01. 2015 को समाप्त हो गया था. उसके बाद एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई.

ख. बोर्ड तथा समितियों संबंधी अन्य प्रावधान

(i) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान हुई बोर्ड मीटिंग्स का विवरण

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान चार बोर्ड मीटिंग्स 01/06/2017, 14/09/2017, 29/12/2017 तथा 28/03/2018. को हुई.

बोर्ड के पास कंपनी के संबंध में सभी आवश्यक सूचनाएं तथा जानकारियां उपलब्ध हैं जिनसे निदेशक मंडल और विभिन्न समितियों को सुविज्ञ तथा प्रभावशाली निर्णय लेने में सहूलियत हुई.

Annexure – I

Corporate Governance Report For The Financial Year 2017-18

A Public Sector Enterprise of Government of India, NFDC follows the extant Guidelines on Corporate Governance issued by Department of Public Enterprises (DPE), Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Government of India.

A Brief report on Corporate Governance is given below –

1. Company's Philosophy On Code Of Corporate Governance.

NFDC is committed to good Corporate Governances supported by appropriate transparent systems and practice to protect, promote and safeguard the interests of all its stakeholders.

NFDC is committed to act as a competitive, client-friendly and development-oriented organization for promotion of good cinema in the country and abroad. It is also committed to providing client friendly best services to all its customers in a transparent manner.

2. Board of Directors

a. Composition of Board –

The Board of Directors of NFDC comprises Seven Members, out of which two are Functional Directors and Five are Directors, of whom two are the nominees of the Government of India and three are Non-official Directors. The Directors bring to the Board a wide range of experience, knowledge and skills.

The composition of the Board as on 31st March 2018 is as follows –

Functional Directors	
Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director
Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)
Non Executive Directors	
Shri Ashokkumar R. Parmar (w.e.f.08/05/2017)	Government Nominee Director
Shri Ali Raza Rizvi (w.e.f. 24/10/2017)	Government Nominee Director
Ms. Anupama Chopra	Non-official Director

The tenure of the three Independent Directors including the Chairman came to an end on 15.01.2015, after which one Independent Director has been appointed.

b. Other provisions as to Board and Committees

(i) Details of Board Meeting held during the Financial Year 2017-18

During the Financial year 2017-18, four Board Meetings were held on 01/06/2017, 14/09/2017, 29/12/2017 and 28/03/2018.

The Board has complete access to all the relevant information within the Company enabling the Board of Directors and Committees thereof to take informed and efficient decision.

(ii) वित्त वर्ष 2017-2018 के दौरान बोर्ड मीटिंग्स में निदेशकों की उपस्थिति, पिछली आम सभा में उपस्थिति, अन्य निदेशकीय उत्तरदायित्वों की संख्या (अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों/ समितियों में निदेशकों की सदस्यता) आदि का विवरण इस प्रकार है –

(ii) Details of Number of Board Meetings attended by Directors, attendance at last AGM, number of other Directorship (in Public Limited Companies)/Committee Memberships held by Directors during the year 2017-18 are tabled below –

	निदेशक का नाम Name of Director	पद Designation	बोर्ड मीटिंग Board Meeting		22/12/2017 को हुई पिछली ए जी एम में उपस्थिति Attendances at Last AGM (held on 22/12/2017)	31/3/2018 को अन्य निदेशकों की संख्या No. of other Directorships as on 31/03/2018	31/03/2018 को अन्य कमिटी मेंबर्स की संख्या No. of other Committee Memberships as on 31/03/2018	
			कार्यकाल में हुईं Held during the tenure	उपस्थित Attended			As Chairman	As Member
1.	सुश्री नीना लाठ गुप्ता Ms. Nina Lath Gupta	प्रबंध निदेशक Managing Director	4	3	हाँ Yes	कोई नहीं Nil	कोई नहीं Nil	3
2.	सुश्री अनुपमा चोपड़ा Ms. Anupama Chopra	गैर अधिकारिक निदेशक Non-Official Director	4	3	लागू नहीं NA	3	कोई नहीं Nil	4
3.	श्री अशोककुमार आर. परमार Mr.Ashokkumar R. Parmar	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	4	2	हाँ Yes	कोई नहीं Nil	कोई नहीं Nil	2
4.	डॉ. सुभाष शर्मा Dr. Subhash Sharma	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	1	0	लागू नहीं NA	कोई नहीं Nil	कोई नहीं Nil	0
5.	सुश्री एन.जे. शेख Ms. N.J. Shaikh	निदेशक (वित्त) Director (Finance)	4	4	हाँ Yes	कोई नहीं Nil	कोई नहीं Nil	3
6.	श्री के संजय मूर्ति Mr.K. Sanjay Murthy	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	0	0	लागू नहीं NA	कोई नहीं Nil	कोई नहीं Nil	0
7	श्री अली रज़ा रिज़वी Mr.Ali Raza Rizvi	सरकार द्वारा नामित निदेशक Government Nominee Director	2	1	लागू नहीं NA	कोई नहीं Nil	कोई नहीं Nil	1

(iii) बोर्ड का कोई भी निदेशक 10 से ज्यादा समितियों का सदस्य नहीं है.

(iii) None of the Directors on the Board is a member of more than 10 Committees.

(iv) नये निदेशकों का संक्षिप्त परिचय

श्री अशोककुमार आर परमार को 08/05/2017 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया. वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फिल्म्स) के पद पर काम कर रहे हैं.

श्री अली रज़ा रिज़वी को 24/10/2017 से अंशकालिक सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया. वे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार पद पर काम कर रहे हैं.

(iv) Brief Profile of new Directors

Mr. Ashokkumar R. Parmar was appointed as part-time Government Director w.e.f. 08/05/2017. He is working as Joint Secretary (Films), Ministry of Information & Broadcasting.

Mr. Ali Raza Rizvi was appointed as part-time Government Director w.e.f. 24/10/2017. He is working as Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Information & Broadcasting.

3. आचार संहिता

कॉर्पोरेशन ने बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों की आचार संहिता के बारे में कंपनी के मिशन तथा उद्देश्यों के अनुकूल एक नीति निर्धारित की है जिसका लक्ष्य कंपनी की कार्य संचालन पद्धति में नैतिक पारदर्शिता की अभिवृद्धि करना है. इसके अतिरिक्त कॉर्पोरेशन ने धोखाधड़ी की रोकथाम के लिये भी नीति निर्धारित की है. ये दोनों नीतियां निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त हैं

c. Code of Conduct

The Company has prepared a policy on Code of Conduct for the Board Members and Senior Management Personnel in alignment with the Company's mission and objectives and aims at enhancing ethical and transparent process in managing the affairs of the Company. Further, the Company has formulated a policy on Fraud Prevention. Both the policies have been noted by the Board of Directors.

3. निदेशक मंडल की समितियां

3.1 बोर्ड द्वारा गठित समितियां इस प्रकार हैं –

- ऑडिट समिति
- कार्मिक उपसमिति
- पारिश्रमिक समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

3.1.1. ऑडिट समिति

(i) 31 मार्च 2017 को ऑडिट समिति का गठन इस प्रकार था –

निदेशक का नाम	पद	समिति में स्थिति
सुश्री अनुपमा चोपड़ा	गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य
श्री अली रज़ा रिज़वी	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य

लेखा परीक्षक समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखा परीक्षक तथा वैधानिक लेखा परीक्षक, स्थायी निमंत्रित होते हैं. आवश्यकता पड़ने पर समिति को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने के लिये वरिष्ठ फंक्शनल एक्जिक्यूटिव्स को भी बुलाया जाता है.

लेखा परीक्षण समिति की संख्या चार है. इसमें शामिल हैं – सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक और तीन स्वतंत्र निदेशक. दो स्वतंत्र निदेशकों के पद खाली हैं. इस वजह से वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान लेखा परीक्षण समिति की कोई मीटिंग नहीं हो सकी.

(ii) लेखा परीक्षण समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है –

(क) कंपनीज एक्ट की धारा 177 में दी गई आवश्यकता का अनुपालन

(ख) कंपनी के लेखा परीक्षित/अपरीक्षित त्रैमासिक/अर्धवार्षिक/वार्षिक वित्तीय विवरणों को रिकॉर्ड पर लेना तथा/अथवा उनकी समीक्षा करना.

3.1.2. कार्मिक उपसमिति

31 मार्च 2018 को निदेशक मंडल की कार्मिक उप समिति का गठन इस प्रकार था –

	निदेशक का नाम	पद	समिति में दर्जा
1	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
2	सुश्री एन. जे शेख	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री अशोककुमार आर. परमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4	सुश्री अनुपमा चोपड़ा.	गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य

कार्मिक उप समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है –

प्रबंधक से उप महाप्रबंधक तक के पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति, कल्याणकारी कदमों एवं कर्मचारियों से ताल्लुक रखने वाले नीति संबंधी अन्य मामलों पर विचार

वर्ष 2017-2018 के दौरान कार्मिक उप समिति कमिटी की कोई बैठक नहीं हुई.

3. Commitees of The Board Of Directors

3.1 The Committees constituted by the Board are as follows –

- Audit Committee
- Personnel Sub-Committee
- Remuneration Committee
- Corporate Social Responsibility Committee

3.1.1 Audit Committee

(i) The composition of the Audit Committee as on 31st March 2018 is as under –

	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Ms. Anupama Chopra	Non-official Director	Member
2	Mr. Ali Raza Rizvi	Government Nominee Director	Member

Director (Finance), Internal Auditors and Statutory Auditors are standing invitees in the Audit Committee meetings. Senior functional executives are also invited as and when required to provide inputs to the Committee.

The strength of the Audit Committee is four consisting of Govt. Nominee Director and three Independent Directors. The posts of two Independent Directors were vacant, due to which no Audit Committee Meetings were held during the Financial Year 2017-18.

(ii) The terms of reference of the Audit Committee are as under

(a) to comply with the requirements laid down in Section 177 of the Companies Act

(b) to take on record and/or to review unaudited/audited quarterly/half-yearly/annual financial statements of the Company

3.1.2 Personnel Sub-Committee

The composition of Personnel Sub-Committee of Board of Directors as on 31st March 2018 are as follows –

	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
2	Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)	Member
3	Shri Ashokkumar R. Parmar	Government Nominee Director	Member
4	Ms. Anupama Chopra	Non-official Director	Member

The terms of reference of the Personnel Sub Committee are as under –

To consider the promotion of officers from Manager up to the level of Deputy General Manager and Welfare issues and other policy matters related to personnel.

During the year 2017-18 no Personnel Sub Committee Meetings was held.

3.1.3 पारिश्रमिक समिति

31 मार्च 2018 को पारिश्रमिक समिति का गठन इस प्रकार था –

	निदेशक का नाम	पद	समिति में दर्जा
1	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
2	सुश्री एन. जे शेख	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	श्री अशोककुमार आर. परमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक	सदस्य
4	सुश्री अनुपमा चोपड़ा.	गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य

पारिश्रमिक समिति का कार्यक्षेत्र इस प्रकार है –

वार्षिक बोनस/वेरियेबल पे पूल की राशि का फैसला तथा सभी एक्जिक्यूटिव्स तथा नॉन यूनियनाज्ड सुपरवाइजर्स के बीच नियत सीमाओं के भीतर इसके वितरण की नीति निर्धारित करना.

वर्ष 2017-2018 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

3.1.4 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति

31 मार्च 2018 को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति का गठन इस प्रकार था –

	निदेशक का नाम	पद	समिति में दर्जा
1	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक	सदस्य
2	सुश्री एन. जे शेख	निदेशक (वित्त)	सदस्य
3	सुश्री अनुपमा चोपड़ा	गैर अधिकारिक निदेशक	सदस्य

वर्ष 2017-2018 के दौरान कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिति की कोई बैठक नहीं हुई.

वित्त वर्ष 2017-2018 में सुश्री नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक को ₹ 24,92,424 तथा सुश्री एन. जे शेख, निदेशक वित्त को ₹ 22,70,178 का पारिश्रमिक प्रदान किया गया. वित्त वर्ष 2017-2018 के लिये किसी अन्य निदेशकों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया गया.

3.1.3 Remuneration Committee

The composition of the Remuneration Committee as on 31st March 2018 is as follows –

	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
2	Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)	Member
3	Shri Ashokkumar R. Parmar	Government Nominee Director	Member
4	Ms. Anupama Chopra	Non-official Director	Member

The terms of reference of the Remuneration Committee are as under –

To decide the annual bonus/variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors within the prescribed limits.

During the year 2017-18, no Remuneration Committee Meeting was held.

3.1.4 Corporate Social Responsibility Committee

The composition of the Corporate Social Responsibility Committee as on 31st March 2018 is as follows –

	Name of the Director	Designation	Position in Committee
1	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director	Member
2	Ms. N.J. Shaikh	Director (Finance)	Member
3	Ms. Anupama Chopra	Non-official Director	Member

During the year 2017-18, no Corporate Social Responsibility Committee was held.

Ms. Nina Lath Gupta, Managing Director was paid a remuneration of ₹ 24,92,424 and Ms. N.J. Shaikh, Director (Finance) was paid a remuneration of ₹ 22,70,178 in the F.Y. 2017-18. None of the other Directors were paid any remuneration during the financial year 2017-18.

4. वार्षिक आम सभा

4. Annual General Meeting

	वर्ष	स्थान	दिनांक तथा समय	क्या कोई विशेष प्रस्ताव पास किया गया
40 वीं	2014-15	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	30/09/2015 सुबह 11 बजे	नहीं
41 वीं	2015-16	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	27/10/2017 दोपहर 12.00 बजे	नहीं
42 वीं	2016-17	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	22/12/2017 दोपहर 12.10 बजे	नहीं
43 वीं	2017-18	रजिस्टर्ड कार्यालय, 6ठी मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए. बी. रोड, वर्ली, मुंबई - 400 018	31.12.2018 दोपहर 12.30 बजे	नहीं

	Year	Location	Date & Time	Whether any special resolution passed
40th	2014-15	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	30/09/2015 11.00 AM	No
41st	2015-16	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	27/10/2017 12 noon	No
42nd	2016-17	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	22/12/2017 12.10 PM	No
43rd	2017-18	**Registered Office** 6th floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai – 400 018	31/12/2018 12.30 PM	No

5. प्रकटीकरण

(i) इस तरह के कोई भी महत्वपूर्ण सौदे नहीं हैं जो संबधित पक्षों जैसे : प्रमोटर्स, निदेशक अथवा प्रबंधन के साथ किये गये हों और जिनका कंपनी के हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता हो.

(ii) कंपनी इस बात की पुष्टि करती है कि किसी भी कार्मिक को ऑडिट समिति से मिलने से रोका नहीं गया.

(iii) कंपनी ने कुछ चुनींदा आइटम्स को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल करने के लिए अंगीकार कर लिया है.

(iv) कंपनी के निदेशकों के बीच कोई आंतरिक संबंध नहीं हैं.

(v) पिछले तीन वर्षों में कम्पनी पर सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के उल्लंघन को संवैधानिक अधिकारी द्वारा जुर्माना अथवा पाबन्दी नही लगाई गई है.

सीपीएसई के लिये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत जो अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक हैं.

(i) बही खातों में डेबिट की गई खर्च की मदें जो बिजनस के मतलब के नहीं हैं – कोई नहीं.

(ii) व्यक्तिगत किस्म के खर्च तथा वे खर्च जो निदेशक मंडल एवं उच्चतम प्रबंधन के लिये किये गये – कोई नहीं.

(iii) वर्ष 2017-2018 के प्रशासकीय तथा कार्यालय के खर्च, कुल खर्च के 2.73 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.51 प्रतिशत) रहे. और वर्ष 2017-2018 के वित्तीय खर्च के प्रतिशत के तौर पर 2.74 प्रतिशत (पिछले वर्ष 5.56 प्रतिशत) हैं.

(iv) गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में अंगीकार/गैर अंगीकार सूचना यहां दी जा रही है –

गैर अनिवार्य आवश्यकताएं

i. निदेशक मंडल

कंपनी के मुखिया प्रबंध निदेशक हैं. कंपनी के बोर्ड में सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष के लिये की गई थी और स्वतंत्र निदेशकों में से किसी का भी कुल मिला कर कार्यकाल नौ वर्ष की सीमा से अधिक नहीं रहा.

ii. पारिश्रमिक समिति

डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुकूल एनएफडीसी के बोर्ड ने वार्षिक बोनस/वेरिएबल पूल और एक्जिक्यूटिव्स तथा नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के बीच निर्धारित सीमाओं के अनुकूल इसके वितरण के सबंध में नीति निर्धारण के लिये 21.06.2011 को एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया

5. Disclosures

(i) There are no materially significant transactions with related parties i.e. promoters, Directors or the management conflicting with the Company's interest.

(ii) The Company affirms that no personnel have been denied access to the Audit Committee.

(iii) The Company has adopted suggested items to be included in the Report on Corporate Governance.

(iv) There is no inter-se relationship between Directors of the Company.

(v) No penalties or strictures have been imposed on the Company by any statutory authority, on any matter related to any guidelines issued by Government, during the last three years.

Additional disclosures as required under the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs issued by Department of Public enterprises

(i) Items of expenditure debited in books of accounts, which are not for the purpose of business – NIL

(ii) Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management – NIL

(iii) Administrative and office expenses as a percentage of total expenses for the year 2017-2018 is 2.73% (Previous year 5.51%) and as a percentage of financial expenses for the year 2017-2018 is 2.74% (Previous year 5.56%)

(iv) Information on adoption/non-adoption of non-mandatory requirements is given hereunder –

Non-mandatory Requirements

i. The Board

The Company is headed by a Managing Director. All the Independent Directors previously on the Board of the Company were appointed for a tenure of three years and none of the Independent Directors having/had tenure exceeding, in aggregate, a period of nine years.

ii. Remuneration Committee

In accordance with the directions of DPE the Board of NFDC has constituted a Remuneration Committee on 21.06.2011 to decide the annual bonus/variable pool and policy for its distribution across the executives and Non-Unionized supervisors within the prescribed limits.

iii. अंशधारकों के अधिकार

आज की तारीख में हर अंशधारक को अर्धवार्षिक वित्तीय परफार्मेंस, जिनमें पिछले छह महीनों के महत्वपूर्ण इवेंट्स भी सम्मिलित हों, भेजने की कोई प्रणाली नहीं है.

iv. ऑडिट संबंधी योग्यता – लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है.

v. बोर्ड के सदस्यों की ट्रेनिंग – आवश्यकता पर आधारित

vi. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी द्वारा `धोखाधड़ी रोकने संबंधी नीति' अपनाई गई है जिसके अंतर्गत धोखाधड़ी रोकने संबंधी व्यवस्था चाकचौबंद है जिसमें धोखाधड़ी का पता लगाना, इसकी रोकथाम और रिपोर्ट सभी कुछ शामिल है. यह नीति किसी भी संदेहास्पद धोखाधड़ी जिसमें कोई कार्मिक, स्टेकहोल्डर, सलाहकार, वेंडर, उधार लेने या देने वाला, ठेकेदार, कंपनी के साथ बिजनस करने वाली बाहरी एजेंसियां, ऐसी एजेंसियों के कार्मिक और/अथवा कोई अन्य पार्टी जिसके कंपमी के साथ बिजनस संबंध हों, संलग्न पाये जाने पर लागू होती है.

6. संपर्क साधन

कंपनी अपने अंशधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट्स, आमसभा और वैबसाइट के डिस्क्लोजर्स के जरिये संपर्क में रहती है. कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं हर वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट में भी दी जाती हैं जिसमें ऑडिट किये हुए अकाउंट्स, निदेशकों की रिपोर्ट शामिल होती है. यह सभी सदस्यों तथा अन्य उपयुक्त व्यक्तियों के बीच वितरित की जाती है.

iii. Shareholders Rights

As of now there is no system of sending half yearly financial performance including summary of the significant events in the last six months to shareholders.

iv. Audit Qualification – Auditors report annexed.

v. Training to Board Member – It is need based.

vi. Whistle Blower Policy

"Policy for Prevention of Frauds" is being adopted by the Company, wherein a Whistle Blower mechanism is in place for detection, prevention and reporting of fraud. This policy applies to any fraud or suspected fraud involving employees as well as stakeholder, consultants, vendors, lenders, borrowers, contractors, outside agencies doing business with the Company, employees of such agencies, and/or any other parties with a business relationship with the Company.

6. Means of Communication

The Company communicates with its shareholders through its Annual Reports, General Meeting and Disclosures through website. All important information pertaining to the Company is also mentioned in the Annual Report for each financial year containing inter alia Audited Accounts, Directors Report, Auditors Report which is circulated to the members and others entitled thereto.

व्यवस्थापन विश्लेषण रिपोर्ट

द कंपनी

भारतीय का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) देश में अच्छे सिनेमा के विकास आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गई केंद्रीय एजेंसी है. एनएफडीसी का बुनियादी लक्ष्य समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गये राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत एवं प्रभावशाली ढंग से विकास के लिये योजनाएं बनाना, उन्हें प्रोन्नत करना तथा तथा सिनेमा में श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करना है.

मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग का सिंहावलोकन

1. मीडिया एवं मनोरंजन सेक्टर का महत्व

केपीएमजी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मीडिया तथा मनोरंजन (एम एंड इ) उद्योग वित्त वर्ष 2018 के दौरान 10.9 प्रतिशत की दर से बढ़ कर आईएनआर 1,436 बिलियन तक पहुंच गया. इसकी प्रमुख वजह रही डिजिटल उपयोगकर्ताओं के आधार में वृद्धि जिसका सभी विविध एम एंड इ क्षेत्रों जैसे फिल्म्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, एनीमेशन वीएफएक्स, गेम्स तथा संगीत आदि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा. साथ ही ग्रामीण तथा क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच बढने से मांग में भारी वृद्धि हुई. इससे टेलीविजन तथा प्रकाशन की विज्ञापन आय भी बढ़ी. प्रकाशन को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का दबाव सहना पड़ा किंतु रेडियो क्षेत्र को नये रेडियो केंद्रों के विकास के कारण अधिक पूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ा.

4जी के आ जाने और इसकी वजह से डाटा खर्च में कमी होने एवं स्मार्ट फोन सुलभ हो जाने की वजह से पिछले 24 महीनों से अधिक समय में डिजिटल पहुंच और खपत में तीव्र विकास हुआ है. इससे डिजिटल उपयोग सामान्य बात हो गई. जिसका असर डिजिटल विज्ञापन के विभिन्न क्षेत्रों तथा मोबाइल गेमिंग पर भी सकारात्मक हुआ. वित्त वर्ष 2018 के दौरान इनकी विकास दर 30 प्रतिशत तक रही. इसके साथ ही डिजिटल कंटेंट की मांग बढ़ जाने से फिल्म तथा संगीत और एनीमेशन एवं वीएफएक्स अनुभागों पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला.

तथापि, वित्त वर्ष 2018 में भारतीय मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग में एक बड़े परिवर्तन की शुरूआत देखने को मिली. तकनीक के साथ वैल्यू चेन के विभिन्न प्लेयर्स के बीच का अंतर कम होने लगा. मीडिया तथा टेलीकोम का सम्मिलन वास्तविकता में बदलने लगा. इस संम्मिलन से मीडिया ईकोसिस्टम का उदय होने लगा, विशेष तौर पर टेलीकोम और तकनीक प्लेयर्स को मीडिया और मनोरंजन के महत्व का यह अहसास होने लगा कि ये ही प्रमुख संचालक हैं जिनसे उनके ग्राहकों के मौद्रीकरण को व्यस्त रखा जा सकता है. ये परिवर्तन मीडिया संस्थानो को अल्पावधि में अतीव अवसर प्रदान कर रहे हैं किंतु इनमें यह दर्शाने की क्षमता भी है कि मूलभूत रूप से मीडिया संरचना, वितरण और उपयुक्त कैसे होता है और इस तरह इसमें वर्तमान मीडिया वैल्यू चेन को पूरी तरह अस्तव्यस्त करने की क्षमता है.

2. फिल्म उद्योग के लिए दृष्टिकोण

एक ओर घरेलू बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने, दूसरी ओर विदेशों से अच्छा प्रतिसाद मिलने, खासतौर पर चीन जैसे बाजारों के समर्थन से, पिछले दो वर्षों में भारतीय फिल्म उद्योग का निष्पादन स्वस्थ रहा. घरेलू थियेटरों में हालांकि दर्शक संख्या बहुत नहीं बढ़ी लेकिन औसतन टिकट दर (एटीपी) में वृद्धि से बॉक्स ऑफिस पर बेहतर असर पड़ा. बॉलीवुड के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी वे फिल्में अच्छी चलीं जिनमें कथ्य कुछ अलग था और जिससे दर्शक खुद का जुड़ाव महसूस कर सकते थे. भारतीय दर्शकों के बीच इंग्लिश के चलन और फिल्में डब होने की वजह से हॉलीवुड की एक्शन प्रधान फ्रेंचाइज फिल्में लोकप्रिय बनी रहीं. विदेशी थियेटरों में पहले से ज्यादा फिल्में रिलीज होने लगी हैं

Management Analysis Report

The Company

National Film Development Corporation Limited (NFDC) is a Public Sector Undertaking established to encourage the good cinema movement in the country. The primary goal of the NFDC is to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the Indian Film Industry in accordance with the national economic policy laid down by the Central Government from time to time.

Overview of the Media & Entertainment Industry

1. Significance of the M&E Sector

According to KPMG Media and Entertainment report 2018 India's Media and Entertainment (M&E) Industry grew by 10.9 percent in FY 2018 to reach INR 1,436 billion primary on the back of rapid penetration and growth in the digital user base which had a significant positive impact on demand across multiple M&E sectors such as films, digital advertising, animation and VFX, gaming, and music. Further, growing penetration into and strong demand from rural and regional markets also provided support to ad revenue generation in television and print. While print contributed to face pressure from digital platforms, the radio segment was affected by oversupply of inventory due to the launch of new radio stations.

Digital access and consumption has seen a rapid growth over the last 24 months following the rollout of 4G, aided by falling data costs and rapid growth in smartphone penetration. As a result, digital usage has become more democratized and widespread. This had a significant positive impact across multiple sectors with the direct impact being noticed in digital advertising and mobile gaming- both of which witnessed growth rates in excess of 30 per cent in FY 2018. Additionally, growing demand for digital content had positive impact on films and music segments as well as animation and VFX segments.

However, in FY 2018, the Indian M&E industry witnessed the beginnings of a major structural shift as lines between various players across the value chain started blurring with Technology, Media and Telecom convergence starting to become reality. This convergence has begun to give rise to the media ecosystems, particularly with telecom and technology players realizing the importance of M&E as key driver, to engage with and monetize their consumers. While, these changes are providing multiple opportunities to media organizations in the short term, they also have the potential to fundamentally change how media is created, distributed and consumed, and, therefore, completely disrupt the existing media value chain.

2. Outlook for the Film Industry

The Indian film industry has had a healthy performance over the last two years, on the back of strong domestic box office performance coupled with growing overseas contributions particularly through entry into new markets like China. In domestic theatricals, the increase in Average Ticket Price (ATP) primarily resulted in box office growth with footfalls remaining nearly constant. Movies with differentiated and participative content continued to perform well at Bollywood and regional box offices. Action packed franchise Hollywood movies remained popular among Indian audiences on the backdrop of their increased reach though English and dubbed content. For overseas theatricals, there has been

विशेषकर चीन का बाजार भारतीय फिल्मों के लिये नये अवसर पैदा कर रहा है. केबल तथा सेटेलाइट (सी एंड एस) बाजार लगभग स्थिर रहा बल्कि क्षेत्रीय सिनेमा के लिये तो कुछ हद तक गिरा ही क्योंकि व्यापारिक तौर पर ज्यादा उपयुक्त मानी जाने वाली फिल्में सहज में उपलब्ध रहीं. दूसरी ओर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर डिजिटल राइट्स आय का एक प्रमुख स्रोत बन गये. डिजिटल प्लेयर्स द्वारा कथ्य का आक्रमक अभिग्रहण और कथ्यप्रदान फिल्मों पर बल देना इस विकास में बहुत सहायक सिद्ध हुआ.

पिछले साल के मुकाबले वित्त वर्ष 2018 में भारतीय फिल्म उद्योग में 10 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली और वह बढ़ कर रू 158.9 बिलियन तक पहुंच गई. थियेटरों से मिलने वाला राजस्व जो फिल्मों के कुल राजस्व का 78 प्रतिशत होता है, प्रमुख स्रोत बना रहा जिसमें 2018 के दौरान घरेलू तथा विदेशी आय में पिछले वर्ष के मुकाबले क्रमश 7.3 तथा 20.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. केबल तथा सेटेलाइट राइट्स की कीमत लगभग स्थिर रही जबकि सहायक राजस्व में 21.9 प्रतिशत की महत्वपूर्ण तेजी आई जो मुख्यत: फिल्मों के डिजिटल राइट्स तथा इन सिनेमा विज्ञापनों की वजह से बढी. यह जानना रोचक होगा कि घरेलू बॉक्स ऑफिस पर निर्भरता जो वित्त वर्ष 2014 में 74 प्रतिशत थी धीरे धीरे कम हो कर वित्त वर्ष 2018 में 69 प्रतिशत तक आ गई. इसकी मुख्य वजह विदेशों से बढ़ता शेयर और सहायक राजस्व है जिसका हिस्सा घरेलू थियेटर्स और केबल तथा सेटेलाइट राजस्व के शेयर को कम करके बढ़ा है.

वित्त वर्ष 2016 से लेकर वित्त वर्ष 2018 तक बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्मों का प्रदर्शन लगभग स्थिर सा ही रहा लेकिन हाल के वर्षों में क्षेत्रीय फिल्मों ने प्रमुखता हासिल की. बॉक्स ऑफिस राजस्व की नजर से वित्त वर्ष 2018 में उनका शेयर 40-45 प्रतिशत रहा. इनमें भी बड़ा हिस्सा तमिल, तेलुगू और मलयालम फिल्मों का था. इसके बावजूद प्रदर्शन संबंधी मूलभूत सुविधाओं में विशेष सुधार नहीं हुआ जिससे विकास सीमित रहा.

3. चुनौतियां

i. डिजिटल व्यवधान के इस जमाने में दर्शकों को विविध ओटीटी प्लेटफॉर्म्स से फिल्म देख सकने के अनेक साधन उपलब्ध हो गये हैं. ओटीटी वीडियो ऑन डिमांड (वीओडी) प्लेटफॉर्म्स जैसे एमेजॉन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार, वूट, सोनी लाइव, एएलटी बालाजी जैसे स्थानीय प्लेयर्स निर्माण कंपनियों के साथ एकमात्र अनुबंध करने और अपनी ही फिल्में बना लेने के प्रति बहुत सक्रिय हो गये हैं. भारत में ऐसे 40 से भी अधिक ओटीटी हैं जो बड़ी ही प्रतियोगी दरों पर सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं. इनकी वजह से सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या कम हो रही है.

ii. फिल्म प्रदर्शन के क्षेत्र में वीसीआर, सीडी, डीवीडी, एमपी3 जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और ऑन लाइन सेवाओं की वजह से काफी अर्से से उथल पुथल चली आ रही है. सिनेमा को इन सबसे समृद्धि ही मिली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के उदय से फिल्म प्रदर्शकों और वितरकों के बीच एकमात्र थियेटर रिलीज को लेकर विचार विमर्श का दौर तेजी पर रहा है.

iii. पूरी तरह डिजिटल हो जाने के बावजूद भारतीय फिल्म खंड पायरेसी की मुसीबत से जूझ रहा है जिसका बाजार में भरपूर चलन है. जब कोई फिल्म थियेटर में रिलीज होने के कुछ ही घंटों के अंदर डिजिटल माध्यमों में उपलब्ध करा दी जाती है तो पूरी वैल्यू चेन पर इसका विपरीत असर पड़ता है. इस तरह की पायरेसी की मुख्य वजहें हैं निर्माण पर होने वाला बड़ा भारी खर्च, कम आय स्तर और इंटरनेट से संबंधित मूलभूत सुविधाओं का सस्ता होना.

iv. पायरेसी की इस समस्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा तथा फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों द्वारा मिल कर प्रयत्न किये गये हैं. तैयार फिल्म की सुरक्षा के लिये इस डिजिटल वातावरण में इंडियन कॉपीराइट एक्ट में डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट संबंधी प्रावधान हैं.

an increase in the number of movies releasing overseas and particularly, the Chinese market, which has opened up new avenues for the Indian industry. The cable and Satellite (C&S) market remained relatively static, and even witnessed a decline for certain regional cinema due to availability of commercially viable alternatives for broadcasters. On the other hand, digital rights on OTT platforms became an important revenue stream. Aggressive content acquisition and emphasis on content exclusively to draw more traffic by digital players have primarily led to this growth.

The Indian film industry witnessed 10 per cent growth in FY 2018 over the previous year to reach INR 158.9 billion. Theatrical revenue, constituting 78 per cent of the total film industry revenue, was the key driver, with domestic and overseas theatricals growing by 7.3 per cent and 20.6 per cent respectively in FY 2018 over the last year. Cable & Satellite rights value remained nearly constant while ancillary revenues demonstrated a strong growth of 21.9 per cent driven by the digital rights of movies and in-cinema advertising. It is also interesting to note that the dependence on domestic box office gradually reduced from 74 per cent in FY 2014 to 69 per cent in FY 2018.This is primarily driven by increasing share of overseas and ancillary revenues whose contributions have grown at the cost of domestic theatricals and cable & satellite revenues shares

While the performance of Bollywood movies at the box office has remained nearly constant over FY 2016 to FY 2018 the regional film industry has been gaining prominence in recent years with a share of 40-45 per cent (in terms of box office revenues) in FY 2018 with Tamil, Telugu and Malayalam being the major contributors. However, growth of exhibition infrastructure remains sluggish and is a key limiting factor.

3. Challenges

i. In the age of digital disruption the means of access to films for consumers have increased abundantly through multiple OTT platforms. OTT Video on Demand (VoD) platforms like Amazon Prime Video, Netflix and local players like Hotstar, Voot, SonyLiv, ALT Balaji have become very active looking for exclusive deals with production houses and producing own content. There are over 40 OTT platforms in India offering services at very competitive rates. This has increased the risk of lower footfalls in the cinema exhibition halls.

ii. The film exhibition segment has several decades of disruption through various electronic mediums including VCRs, CDs, DVDs, MP3 and online streaming services. Cinemas have not only survived these technologies, but prospered in all of these eras. Emergence of online platforms has resulted in an enhanced dialogue between exhibitors and distributors around an exclusive theatrical release window.

iii. Despite being fully digitized, the Indian film segment is grappling with the menace of piracy, which has been rampant in the market. The entire value-chain is affected under such dynamics where the films are made available within hours of its theatrical release. High content prices, low income level and cheaper Internet infrastructure are the major factors leading to content piracy.

iv. There have been several steps taken by the Government and different industry associations have come together to work on the piracy menace. The Indian copyright law has provisions for digital right management for protection of the content on digital environment.

4. भविष्य का मार्ग

i. भारत में विदेशी स्टूडियोज के साथ मिल कर फिल्म सह निर्माण की प्रवृत्ति तेजी पर है. अंतरराष्ट्रीय स्टूडियो बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिशों में भारी खर्च कर रहे हैं. उन्होंने छोटे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मिल कर अपने देशीय डिविजन खोल लिये हैं. भारत के साथ मिल कर सहनिर्माण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, इटली, न्यूज़ीलैंड, यू. के. और बांग्लादेश जैसे अनेक देशों के साथ सह निर्माण संधियां की हैं.

ii. विभिन्न दूरसंचार कम्पनियों के ओटीटी प्रस्तावों के अलावा भारत में गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इरोस नाउ, जियो सिनेमा जैसे विशाल ओटीटी प्लेटफार्म्स के उदय की वजह से फिल्म अधिकारों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हुई है. मांग में अचानक आई इस तेजी, खासतौर पर एकमात्र अधिकारों के कारण डिजिटल अधिकारों के मूल्य भी बहुत बढ़े हैं. उद्योग के एक अनुमान के अनुसार पिछले दो तीन साल में यह वृद्धि कई गुना हुई है. 2017 में फिल्म अनुभाग में आईएनआर 8.5 बिलियन का राजस्व मिला जो 2016 के मुकाबले 40 प्रतिशत अधिक था.

iii. जैसे जैसे रोजमर्रा के कामों तथा संचार में तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है, वर्चुअल रियैलिटी (वीआर), ऑगमेंटेड रियैलिटी (एआर) और मिक्स्ड रियैलिटी (एमआर) पर फोकस बढ़ रहा है. इनमें से वी आर को फिल्म देखने के प्लेटफॉर्म के रूप में विश्वव्यापी पहचान मिल रही है. अभी हम जिन तीन प्लेटफॉर्म्स पर फिल्में देखते हैं, वे हैं: सिनेमाघर (बड़ा पर्दा), टेलीविजन (छोटा पर्दा), वैब और मोबाइल (मिनी पर्दा). वी आर चौथा और सबसे अधिक ध्यानमग्न करने वाला होने जा रहा है. हर प्लेटफॉर्म अपनी विशिष्ट शैली लेकर आता है और इसलिये हर एक के लिये विभिन्न आधार पर अलग तरह की अंतर्निहित विचारधारणा विकसित होती है.

एनएफडीसी की प्रतियोगी स्थिति

फिल्म उद्योग में एनएफडीसी की प्रतियोगी स्थिति इसके बड़े आधारवाली कम्पनी के रूप से बनी है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं की सभी तरह की फिल्मों के विकास, निर्माण, वितरण एवं मार्केटिंग को लेकर प्रतिबद्ध है. इस दृष्टिकोण के साथ एनएफडीसी फिल्म व्यवसाय की विस्तृत पूरी श्रृखंला के साथ काम करता है जिसके एक छोर पर फीचर फिल्मों का विकास, निर्माण, और वितरण शामिल हैं तो दूसरी ओर विज्ञापन, कॉर्पोरेट एवं डॉक्यूमेंटरी आदि फिल्मों का निर्माण और भारत सरकार की ओर से पब्लिसीटी कैंपेंस का एक्जीक्यूशन शामिल है.

एनएफडीसी ने फिल्म उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इसने 300 से अधिक भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय फिल्मों का निर्माण किया है साथ ही प्रतिभाशाली निर्देशक, लेखक, सिनेमेटोग्राफर्स तथा अन्य कलाकार फिल्म उद्योग को दिये हैं. जैसे जैसे उद्योग का विकास तथा प्रसार हो रहा है, हर चरण के साथ अपनी कमियां तथा नयी चुनैतियां सामने आती जाती हैं. एनएफडीसी को इन क्षेत्रों में काम करके उद्योग के प्रयत्नों में सहायक बनना चाहिये.

इन परिस्थितियों में एनएफडीसी के लिये आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग की कमियों का निरंतर आकलन करता रहे और उन्हीं के अनुकूल स्वयं को ढालता चले. जैसे जैसे उद्योग विकास करता है उसमें शून्यता भी बढ़ती है. 25 साल पहले यह शून्य तकनीक को लेकर, आयात में, नयी प्रतिभाओं के लिये धन जुटाने को लेकर, थियेटर्स की कमी वगैरह के रूप में था. आज यह कमी नयी रिसर्च और डेवलपमेंट, भाषाई सिनेमा, अच्छी फिल्मों के प्रदर्शन की सुविधाओं के अभाव, विदेशों में भारतीय सिनेमा संयुक्त उन्नयन, पर्याप्त विषय वस्तुओं की कमी, विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हमले, विश्वसनीय केंद्रीकृत डेटाबेस के अभाव आदि के रूप में सामने है. एनएफडीसी को उस जनादेश का सम्मान करना है जिसके लिये इसकी स्थापना हुई है. उसे इन सभी क्षेत्रों में काम करना है. उदाहरण के लिये एनएफडीसी लैब्स ने योजना आधारित वर्कशॉप्स एवं मास्टर क्लासेस के जरिये प्रतिभाशाली लेखकों, निर्देशकों तथा निर्माताओं की कला में गहराई लाकर उनकी कार्यशैली को उन्नत करने का प्रयत्न किया है.

4. Way Ahead

i. India is witnessing a rise in collaborations between Indian production houses and foreign studios. International studios are spending heavily in their effort to gain a foothold in Bollywood and have established their domestic divisions in collaboration with small production houses. Further, to give impetus to co-productions and collaborations between Indian and overseas filmmakers, the Indian Government has entered into co-production treaties with various countries such as China, Canada, France, Germany, Brazil, Italy, New Zealand, UK and Bangladesh.

ii. The advent of large OTT platforms in India such as Google, Netflix, Amazon Eros Now, Jio Cinema etc., apart from OTT offerings of various telecom companies, has significantly increased the demand for films rights. The sudden surge in demand, especially the demand for exclusive rights, has resulted in a significant increase in the value of digital rights, which as per industry estimates have increased multi-fold over the last two to three years. Digital revenue generated INR 8.5 billion for the film segment in 2017 an increase of 40% over 2016.

iii. There is increasing focus on Virtual reality (VR), Augmented Reality (AR) & Mixed Reality (MR) as technologies being increasingly used in everyday content and communication. Of these, VR is looked upon as the next platform for film viewing globally. We currently consume content on three viewing platforms- Cinema (Big screen), TV (Small screen), web and Mobile (Mini screen). VR is going to be the 4th and the most immersive platform. Each platform comes with its own unique content characteristics and hence content made for each on a differential basis.

Competitive Position of NFDC

NFDC's competitive position in the film industry is derived from its core competency of being a broad-based film company that plays a key role in the development, production, distribution and marketing of all forms of films in various Indian languages. With this view, NFDC works closely with filmmakers across the vast value chain of the business, from development, production and distribution of feature films at one end of the spectrum to production of advertisement films, corporate films, documentaries etc., and execution of publicity campaigns on behalf of the Government of India.

NFDC has played a major role in the film industry, produced more than 300 domestic and international films, and has introduced talented Directors, Writers, Cinematographers and other Artists. Thus, as the industry grows and expands, and new challenges and shortfalls emanate at each stage of this growth, NFDC needs to step into those areas to supplement the efforts of the industry.

In the circumstances, there is a need for NFDC to constantly assess the lacunae in the industry and position itself accordingly. The vacuum in the industry changes as the industry grows – thus 25 years ago, the vacuum was in lack of technology, in imports, in funding new talent, lack of theatres, etc. Today, the lacunae includes insufficient attention to Research & Development, language cinemas, lack of exhibition avenues for acclaimed films, lack of co-ordinated promotion of Indian cinemas abroad, absence of any global positioning of the Cinemas of India, lack of sufficient content, post onslaught of the various digital platforms, absence of a reliable centralized database, etc. NFDC, to fulfill the mandate for which it has been set up, needs to step into these areas. NFDC Labs, for example, seeks to deepen and enhance the working practice of talented writers, directors and producers through project based workshops and master classes.

कॉर्पोरेशन का ऐसा वितरण शीर्षाधार है जहां कोई फिल्म सभी तरह के विस्तार की गतिविधियों की यात्रा से गुजरती है--फिल्म समारोह, भारतीय थियेट्रिकल रिलीज, पेटी वी डिजिटल एवं अन्य सहायक प्लेटफॉर्म्स पर सिंडिकेशन जैसे डीटीएच, होम वीडियो, एयरलाइन्स वगैरह. इसका उद्देश्य है कॉर्पोरेशन के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिये राजस्व प्राप्ति का क्रम निरंतर बनाये रखना, प्रमुख फिल्म समारोहों एवं बाजारों में फिल्मों का चुनाव तथा एनएफडीसी की फिल्मों का विश्वस्तर पर प्रदर्शन.

विकासात्मक कार्यसूची के साथ ही, एनएफडीसी को विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी ग्राहकों को सभी तरह की मीडिया सेवाएं प्रदान करने वाले तंत्र की तरह काम के अनुरूप विकसित किया गया है जो सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापन प्रस्तुत कर सके. समय के साथ साथ एनएफडीसी द्वारा दी जाने वाली रचनात्मक सेवाओं का दायरा विस्तृत होता चला गया है. मीडिया तथा विज्ञापन उद्योग में उभरती नयी प्रवत्तियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सोशल एवं डिजिटल मीडिया कैंपेन की डिजाइनिंग एवं क्रियान्वयन के क्षेत्र में भी कदम रखे हैं और इस तरह विभिन्न ग्राहकों के लिए इवेंट्स कमीशन करने में अपनी स्थिति मजबूत की है.

चूंकि कंपनी द्वारा अपनाई गई फीचर फिल्मों से संबंधित अधिकतर गतिविधियां लगभग पूरी तरह विकासात्मक स्वरूप की हैं, वे कंपनी के आर्थिक प्रदर्शन में नाममात्र का ही योगदान करती हैं. एनएफडीसी की कोशिश है कि इन खर्चों की भरपाई भारत सरकार के पब्लिसिटी कैंपेंस के बिजनेस के जरिये पूरा करता रहे.

उत्पाद तथा सेवाएं

एनएफडीसी निम्न सेवाएं उपलब्ध कराता है –

1. फिल्म निर्माण

फिल्म निर्माण विभाग का उद्देश्य सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कही गई फिल्म निर्माण संबंधी उन बातों को कार्यान्वित करना है जिनमें क्रमशः कहा गया है कि 'एनएफडीसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में बनाएगा' तथा 'विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाएगा'. "विकास, संचार एवं फिल्म संबंधी कथ्य का विस्तार".

एनएफडीसी का प्रयास यह रहता है कि योजना की स्कीम को पहली-पहली बार स्वतंत्र रूप से फिल्म बनाने वाले निर्माताओं तथा सह निर्माताओं के जरिये सपोर्ट करते तथा आगे बढ़ाते रहा जाय. इसके साथ ही उभरते हुए उन फिल्मकारों तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्माताओं को भी साथ लिया जाय. वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एनएफडीसी ने इंडो-न्यू ज़ीलैंड फिल्म `बियॉन्ड द नोन वर्ल्ड' के सहनिर्माण के लिये अनुबंध किया जिसका निर्देशन पैन नलिन कर रहे हैं. यह फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन की स्टेज पर है.

पिछले कुछ वर्षों में एनएफडीसी द्वारा बनाई गईं अथवा सहनिर्माण वाली फिल्मों में प्रमुख हैं: द लंचबॉक्स, किस्सा, मंजूनाथ, अन्हे घोरे दा दान, मांझी द माउंटेनमेंट, अरुणोदय, चौरंगा, चौथी कूट, आदि.

2. वितरण

एनएफडीसी विश्व स्तर पर भारतीय स्वतंत्र सिनेमा को बढ़ावा देने और विकसित करने में सबसे आगे रहा है. वितरण के सभी संभावित तरीकों के साथ भारतीय स्वतंत्र सिनेमा को सक्षम बनाने के विचार ने 2012 में सिनेमाज़ ऑफ़ इंडिया वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफ़ॉर्म को लॉन्च किया. वीओडी मंच अपने संरक्षक के लिए अपनी सामग्री के संदर्भ में अत्यधिक मूल्य प्रदान करता है. ब्रांड में पारंपरिक प्लेटफार्मों (थियेट्रिकल, होम वीडियो और सैटेलाइट) और उभरते प्लेटफार्मों (वीडियो ऑन डिमांड, डीटीएच और एयरलाइंस) पर एक फिल्म की रिलीज शामिल है. वितरण विभाग सब्सक्राइबर बेस को विस्तृत करने और प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए एक वर्ष राउंड सोशल मीडिया और ईमेल मार्केटिंग प्रचार चलाता है, इस समय इनकी संख्या 130+ टाइटल्स से ऊपर है.

The Corporation has a Distribution vertical where a film travels through the entire gamut of activities – film festivals, India theatrical release, syndication across Pay TV, Digital and other ancillary platforms – DTH, Home Video, Airlines, etc. This is done with an aim to generate a steady revenue stream through syndication on several revenue platforms, selection of films at premiere film festivals and markets, and screening of NFDC films globally.

In addition to its developmental agenda, NFDC is positioned as a 360-degree integrated media service provider to various government and non-government clients for the creation and dissemination of advertising communication across platforms. With time, the ambit of creative services provided by NFDC has widened. Considering the emerging trends in the media and advertisement industry, the Company has ventured into designing and execution of social and digital media campaigns and strengthened its position in commissioning of events for various clients.

Since most of the activities undertaken by the Company in the domain of feature films are almost entirely developmental in nature, they make an almost negligible contribution to the financial performance of the Company in terms of profitability. NFDC attempts to cross-subsidize these expenses through its business of producing and executing publicity campaigns for the Government of India.

Products & Services

NFDC offers the following services –

1. Film Production

The objective of the Film Production is to produce films in various Indian languages under the sub-component "Production of films in various Indian languages" under the Component "Production of films and documentaries in various Indian languages" of the Main Secretariat's XII Plan Scheme "Development, Communication and Dissemination of Filmic Content".

NFDC endeavours to support and drive the Plan Scheme through production of films by first time filmmakers and co-production with emerging filmmakers and international producers. During the financial year 2017-18, NFDC has signed the co-production agreement with New Zealand and Indian producer for the film Beyond the Known World directed by Pan Nalin. The film is in post-production stage.

Some of the landmark films that NFDC has produced/co-produced in the last few years include The Lunchbox, Qissa, Manjunath, Anhey Gorhey Da Daan, Manjhi – the Mountain Man, Arunoday, Chauranga, Chauthi Koot, amongst others.

2. Distribution

NFDC has been at the forefront to promote and develop Indian independent cinema globally. The idea to empower Indian Independent Cinema with all possible modes of distribution led to the launch of the Cinemas of India Video On Demand platform in 2012. The VoD platform offers immense value in terms of its content to its patrons. The brand includes release of a film across traditional platforms (Theatrical, Home Video and Satellite) and emerging platforms (Video on Demand, DTH and Airlines). Distribution Department runs a year round social media and email marketing promotions to widen the subscriber base and increase the reach of the platform, which presently streams 130+ titles year-on-year.

सिनेमाज ऑफ इंडिया वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के सतत उन्नयन का नतीजा 2016 से अब तक 300 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के रूप में सामने आया है. विश्लेषकों के अनुसार नये वैबसाइट देखने वालों, नये ग्राहकों की संख्या बढ़ी है और वापस आते आगंतुक भी बढ़े हैं. वापसी आगंतुकों की संख्या में वृद्धि 145 फिल्मों वाले वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म के लिये सचमुच महत्वपूर्ण है.

एनएफडीसी लाइब्रेरी का सूचीपत्र नामी सहयोगी प्लेटफॉर्म्स जैसे हॉटस्टार, जेआईओ मूवीज, ज़ी एंटरटेनमेंट, अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स की मदद से लहरा रहा है.

3. कौशल विकास प्रशिक्षण

पिछले कुछ वर्षों से चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय के प्रशिक्षण विभाग में बेरोजगार युवाओं के लिए मीडिया से संबंधित अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है. यहां 11,000 से भी अधिक युवाओं को एनीमेशन, कैमरा, एडीटिंग, मल्टीमीडिया, फोटोग्राफी और ऑडियो इंजीनियरिंग जैसे व्यवसाओं का अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया गया अथवा कोर्स कराया गया.

फिर भी, कौशलपूर्ण जनशक्ति की बढ़ती मांग के चलते मीडिया और मनोरजन के क्षेत्र में तो प्रशिक्षित लोगों की मांग बढ़ ही रही है, विभिन्न तकनीकी और सहायक कामों में भी मानकीकृत प्रथाओं पर जोर दिया जाने लगा है. संख्या और गुणवत्ता के बीच के इस गैप को भरने के लिए, जिन्हें इंडस्ट्री और काम देने वाले दोनों ही उभारने लगे हैं, एनएफडीसी ने रचनात्मक इंडस्ट्री के विभिन्न पाठ्यक्रमों में ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का एक मजबूत मॉडल प्रारंभिक चरण के रूप में आंध्रप्रदेश तथा मध्यप्रदेश में सामने रखा है. एन एफ डी सी आंध्रप्रदेश स्टेट स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एपीएसएसडीसी) तथा मध्यप्रदेश स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में एक ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया में है.

और भी आगे बढ़ते हुए एनएफडीसी विभिन्न राज्यों में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन (एसएसडीएम) के सहयोग से इस तरह के सेंटर्स स्थापित करने के प्रति आशान्वित है जिससे कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए कौशलयुक्त और काम पर रखने के योग्य श्रमशक्ति को आगे लाने का वृहद् उद्देश्य पूरा किया जा सके.

4. डबिंग

चैन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने बाल चित्र समिति की 13 फिल्मों की डबिंग 14 क्षेत्रीय भाषाओं में करने का काम हाथ में लिया है जिनमें उत्तर पूर्वीय भाषाएं भी शामिल हैं.

5. फिल्म बाज़ार

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. (एनएफडीसी) द्वारा आयोजित फिल्म बाज़ार (एफबी) एक ऐसा मंच है जो अंतरराष्ट्रीय तथा दक्षिणी एशिया फिल्म बिरादरी के बीच सहभागिता को प्रोत्साहन देने के लिये विशेष रूप से गठित किया गया है. यह बाज़ार दक्षिणी एशियाई कथ्यों और उनकी प्रस्तुति, फिल्म क्षेत्र की प्रतिभाओं को उजागर करने, फिल्म निर्माण और वितरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है. विश्वभर के फिल्में खरीदने-बेचने के इच्छुकों के लिये यह बाज़ार एक केंद्रबिंदु के रूप में उभर रहा है. साथ ही इसका उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में विश्व सिनेमा की बिक्री को सहूलियत दिलाना है. फिल्म बाज़ार का आयोजन पहले पहल 2007 में किया गया था. अब यह दक्षिण एशिया के विश्व बाज़ार के तौर पर पहचान बना चुका है जिसमें दक्षिण एशिया तथा विश्व सिनेमा की उपस्थिति हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है. सन 2017 में आयोजित बाज़ार में 38 देशों के 1010 प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इनमें कनाडा और नीदरलैंड्स के प्रतिनिधि भी थे. फिल्म बाजार की 11वीं आवृत्ति 20 से 24 नवंबर 2017 तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के दौरान, गोआ मैरिएट रिसॉर्ट में आयोजित हुई.

अपने 11 वें वर्ष में, फिल्म बाज़ार भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के समुदाय और दुनिया भर के व्यवसाय में रुचि रखने वालों के लिए एक रोमांचक और प्रेरक स्थान बना हुआ है. 2017 में फिल्म बाजार में भाग लेने वाले 38 देशों के 1010 प्रतिनिधियों के साथ, यह इवेंट 2007 में शुरू होने के बाद से एक लंबा सफर तय

Dedicated promotion of Cinemas of India Video on Demand platform has resulted in a 300% rise in subscriptions from 2016. As per analytics we have reported a rise in new website visitors, new subscribers and a positive increase in terms of returning visitors. The spike in the number of Returning visitors is significant for a 145 films strong VoD platform.

The NFDC library catalogue is streaming on renowned partner platforms such as Hotstar, JIO Movies, Zee Entertainment, Amazon Prime and Netflix.

3. Training & Development

For some years now, the Training Division in the Chennai Regional Office has been conducting various media-related training programmes for unemployed youth in the southern states and has imparted short-term training and vocational courses to more than 11000 youth in the sphere of Animation, Camera, Editing, Multimedia, Photography and Audio Engineering.

However, with the growing demand for skilled manpower, there is a need not only for more trained professionals in the Media & Entertainment sector, but also for the establishment of standardized practices in various technical and support jobs. To fill these qualitative and quantitative gaps that are highlighted by employers and the industry, NFDC is planning a robust Pan India Model for training & certification in various courses for the creative industry. NFDC is currently in the process of setting up Training Centres in Andhra Pradesh and Bhopal in association with the Andhra Pradesh State Skill Development Corporation (APSSDC) and the Madhya Pradesh State Skill Development & Employment Generation Board (MPSSDEGB) with adherence and alignment to the National Skill Qualification Framework (NSQF).

Going forward, NFDC expects to set up such centres in different states in association with various State Skill Development Missions (SSDMs) to achieve the larger objective of the creating skilled and employable manpower for the Media & Entertainment Industry.

4. Dubbing

The Chennai Regional Office has undertaken the dubbing of 13 films of Children's Film Society, India into 14 regional languages, including north-eastern languages.

5. Film Bazaar

Organized by the National Film Development Corporation Limited (NFDC), Film Bazaar (FB) is a platform exclusively created to encourage collaboration between the international and South Asian film fraternity. The Bazaar is focused on discovering, supporting and showcasing South Asian content and talent, in the realm of development, production and distribution. A converging point for film buyers and sellers from all over the world, the Bazaar also aims at facilitating the sales of world cinema in the South Asian region. First held in 2007, Film Bazaar has evolved into South Asia's global film market, witnessing an increased South Asian and international participation with every edition. The 2017 market saw an attendance of 1010 delegates from 38 countries including dedicated country delegations from Canada and The Netherlands. The 11th edition of Film Bazaar was held from November 20-24, 2017 at the Marriott Resort, Goa, India.

In its 11th year, Film Bazaar continues to be an exciting and inspiring place for the Independent filmmakers' community from India and South East Asia and those interested in the business from across the world. With 1010 delegates from 38 countries attending Film Bazaar in 2017, the event has come a long way since its inception in 2007 (204 guests from 18 countries). The

कर चुका है (18 देशों के 204 सदस्य). फिल्म बाजार फिलहाल दक्षिण एशियाई फिल्म निर्माताओं के लिए अपनी कथाओं को अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू फिल्म बिरादरी के लिए प्रस्तुत करने का केंद्र बिंदु बन गया है. इसके अलावा, यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय बिक्री एजेंटों, निर्माताओं, वितरकों, फिल्म महोत्सव के प्रोग्रामर और फिल्म फंड के वार्षिक कैलेंडर में आवश्यक उपस्थिति का भाग हुआ है. इतना ही नही, यह इवेंट जहां फिल्म उद्योग के व्यावसायिक व्यवसाय में भविष्य के रुझानों के बारे में सीखने तथा अगली बड़ी फिल्म/फिल्म निर्माता के साथ पहचान करने और साझेदार बनने के लिए भी आ रहे है.

Bazaar has now become a focal point for South Asian filmmakers to present their stories to the international & domestic film fraternities. In addition, the event has become a must-attend in the annual calendars of international sales agents, producers, distributors, film festival programmers and film funds. Last but not the least, it is also becoming an event where industry professionals are coming to learn about the future trends in the business and also to identify and partner with the next big film/ filmmaker.

दुनिया भर के स्थापित फिल्म निर्माता और नयी प्रतिभाएं फिल्म बाज़ार को ऐसे प्रमुख प्लेटफार्म के तौर पर देखने लगे हैं जहां से भारतीय और दक्षिण एशियाई फिल्मों की फंडिंग और लॉन्चिंग में बड़ी सहायता संभव है. 2017 में बड़ी संख्या में ऐसे लोग आगे आये जिनकी रुचि भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और कनाडा के फिल्मकारों के साथ सहनिर्माण, पटकथालेखन लैब्स और स्टूडियो एवं वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब्स में थी.

Increasingly, established filmmakers and new talent from across the world view Film Bazaar as a principal platform for launching and funding Indian and South Asian films. 2017 saw a very exciting line-up of projects being submitted for the Co-Production Market, Screenwriters' Lab & Studio and Work-in-Progress Lab by filmmakers from India, Afghanistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka and Canada.

सहनिर्माण मार्केट, फिल्म बाज़ार की स्क्रीन राइटर्स लैब एंड स्टूडियो, वर्क-इन-प्रोग्रेस लैब ने कुल मिला कर 39 प्रोजेक्ट प्रस्तुत किये जो विकास तथा निर्माण के विभिन्न चरणों में थे. इस साल बाजार के सभी खंडों में वृद्धि हुई जैसे फिल्म प्रस्तुति ओर प्रतिनिधियों की सहभागिता.

The Co-Production Market, Film Bazaar Screenwriters' Lab & Studio and Work-in-Progress Lab presented a total of 39 projects, which were at various stages of development and production. There was an increase in all the segments of the Bazaar this year – both in film submissions and also in terms of delegate participation.

प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप को उभरते निर्माताओं की सहायता के लिये इस प्रकार डिजाइन किया गया है जिससे उनमें रचनात्मकता एवं व्यावसायिक सफलता के बीच संतुलन की कला का विकास हो सके. सत्रों को निर्माता की भूमिका, फिल्म के विकास की प्रक्रिया, वित्त जुटाने की व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय सह निर्माण और वितरण एवं मार्केटिंग की वैकल्पिक व्यवस्था विषयों में केंद्रित किया गया है. इसके साथ ही इस वर्ष प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप का एक एक विशिष्ट भाग रहा. फिल्म बाज़ार की इन्स्टीट्यूट फ्रांकाइस के साथ भारत तथा वोन्डा वी आर, फ्रांस के साथ उनके 48वें वी आर प्रोजेक्ट में सहभागिता. यह प्रोजेक्ट सहभागियों को वी आर तकनीक से परिचित कराता है और कलात्मक कोच आर्नोल्ट लेबरोने उन्हें 48 घंटे के अंदर वी आर अनुभव क्रिएट, शूट, स्टिच और प्रदर्शित करने में सक्षम बना देते हैं. इस सामग्री की गतिशीलप्रकृति और तकनीक के साथ इसके मेलजोल को देखते हुए इसे प्रोड्यूसर्स वर्कशॉप का एक अतिरिक्त लाभ ही माना जा सकता है.

The Producers' Workshop is designed to help emerging producers cultivate a sense of vision to maintain a fine balance between the creative and financial aspects of filmmaking. The sessions are focused on the role of a producer, the development process of a film, raising finances, international co-productions and alternative marketing and distribution platforms with special sessions around emerging film technologies, the various stages of filmmaking and its eventual distribution and exhibition. Additionally, a very special part of the Producers' Workshop this year was the Film Bazaar's collaboration with Institut Francais in India/Wonda VR, France, on their 48h VR project. The project introduces participants to VR technology and empowers them with tools and mentorship by artistic coach Arnault Labaronne to create, shoot, stitch and exhibit cinematic VR experiences in less than 48 hrs. Given the dynamic nature of the content universe and its interface with technology today, this integration comes as an interesting value-add to the Producers' Workshop.

ओपन पिच, जिसे वीडियो पिच कहते है के लिये पिछले वर्ष प्रस्तुत किये गये वीडियो फॉर्मेट को लेकर प्रतिनिधियों की जैसी जबरदस्त प्रतिक्रिया रही उसके आधार पर सह निर्माण मार्केट की भव्य शुरुआत नॉलेज सिरीज हॉल में 21 नवंबर को हुई. इसके साथ ही ओपन पिच के एक दिन पहले एक ओरिएंटेशन सेशन हुआ ताकि प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय सहनिर्माण और उसके रीतिरिवाजों से परिचित कराया जा सके. फिल्म निर्माताओं को फिल्म फेसीलिटेशन ऑफिस तथा इसकी विभिन्न सेवाओं से भी परिचित कराया गया जिनमें विभिन्न राज्यों में शूटिंग, अनुमतियां दिलाना, भारत सरकार द्वारा फिल्मकारों को दी जाने वाली विभिन्न तरह की छूट आदि की सूचना शामिल है. अन्य सत्र पब्लिक फंडिंग, सोशल मीडिया का उपकरण के तौर पर उपयोग तथा वन ऑन वन पिचिंग पर किये गये. कुल मिला कर कोशिश मार्केट में चार दिन प्रोजेक्ट के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराने की ही रही.

Based on the overwhelming response received from the delegates on the video format (introduced last year) for the Open Pitch, called 'Video Pitch', the Co-Production Market kick started with the Open Pitch on 21st November in the Knowledge Series Hall. In addition to this, an Orientation Session was held a day prior to the Open Pitch to familiarise the participants with the workings of international co-productions and practices. Filmmakers were also introduced to the Film Facilitation Office and its services with regards to shooting in different states, sourcing permissions, and providing information about various rebates, schemes offered by Indian states to filmmakers. Other sessions on public funding, social media as a tool and one-on-one pitching were held. The idea was to provide ample support to the projects for the four days at the market.

इस वर्ष सह निर्माण मार्केट के लिये 103 आवेदन प्राप्त हुए तथा 18 प्रोजेक्ट भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, और श्रीलंका के चुने गये. इन प्रोजेक्ट्स के विषय विविध प्रकार के थे जिनमें ड्रामा, एडवेंचर, साइंस फिक्शन, युद्ध और फैंटेसी सभी कुछ का समावेश था. चुनाव में स्क्रीन राइटर्स लैब 2016 के दो प्रोजेक्ट आए.

This year, there were 103 applications received for Co-Production Market and 18 projects from India, Afghanistan, Bangladesh, Canada, Nepal and Sri Lanka were selected. The projects belonged to a wide range of genres including drama, adventure, sci-fi, war and fantasy. The selection included two projects from the Screenwriters' Lab 2016.

भारत से नये विषयों और नयी प्रतिभाओं को आगे लाने के एनएफडीसी लैब्स के इन चल रहे प्रयत्नों के एक हिस्से के तौर पर फिल्म बाज़ार के स्क्रीनराइटर्स लैब के समांतर एक नया कदम स्क्रीनराइटर्स स्टूडियो आयोजित किया गया. चुने गये आठ प्रतिभागियों ने अपने फन में माहिर लोगों के साथ पांच माह का एक गहन कार्यक्रम पूरा किया जिसमें इनकी कहानियों पर व्यक्तिगत रूप से तथा ग्रुप में चर्चा करके संभावनाओं को

As part of NFDC Labs' ongoing initiative to develop original voices and stories from India, a new initiative called the Screenwriters' Studio was conducted, as a parallel programme to the Film Bazaar Screenwriters' Lab. Eight selected participants worked with mentors in an intensive 5-month programme to explore their stories in one-on-one as well as group sessions. Aimed at domestic as well as international markets, the projects were

उकेरा गया. इनका लक्ष्य घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार थे और इन्हें बाजार में निर्माताओं तथा निवेशकों के सम्मुख रखा गया.

सन 2017 में ऐसी अनेक फिल्मों का, जो फिल्म बाजार के पिछले संस्करण में व्यूइंग रूम और वर्क इन प्रोग्रेस का हिस्सा थीं, विश्व के महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रीमियर हुए. इस सूची में शामिल फिल्में हैं : दीपेश जैन की `इन द शेडोज', जिसका प्रीमियर बुसेन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और जिसे 19वें जियो-मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी प्राइज मिला ; देब मेढेकर की `द बाईस्कोपवाला' जिसका प्रीमियर टोकियो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, मिरांशा नाइक की `जुज़े' जिसका प्रीमियर हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, रीमा दास की `विलेज रॉकस्टार्स' जिसका टोरांटो हांगकांग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और जो सान सेबेस्टियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजी गई जहां उसे तीन पुरस्कार मिले जिनमें गोल्डन गेटवे भी शामिल है जिसे 19वें जियो-मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड जूरी अवॉर्ड मिला, सनलकुमार ससिधरन की `एस दुर्गा' जिसका प्रीमियर रॉटरडम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और जिसे फेस्टवल में हिवोस टाइगर अवॉर्ड मिला, कर्मा टकापा की `रालंग रोड' जिसका प्रीमियर 52वें कारलोवी वेरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, अनुष्का मीनाक्षी और ईश्वर श्रीकुमार की `खो की पा ल्यु (अप डाउन एंड साइडवेज) जिसका वर्ल्ड प्रीमियर यामागाटा इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटरी फिल्म फेस्टिवल जापान में न्यू एशियन करंट्स प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ और जिसे फेस्टिवल में दो पुरस्कार प्राप्त हुए जिनमें एक डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ जापान का था (पहले, जब यह डब्ल्यूआईपी लैब का हिस्सा थी, तब इसका नाम `नेही मोज़ोहानू दिज़ो ले' था अर्थात (विदाउट यू आई एम नथिंग).

6.विभिन्न सरकारी विभागों को सेवाएं

जबकि कंपनी के उपर्युक्त शिरोबिंदू स्वरूप में मुख्यतया विकासात्मक गतिविधियों की हैं, एनएफडीसी का प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र भारत सरकार के लिए निर्माण तथा विज्ञापन संचार का प्रचार करना है. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, पीएसयू, और राज्य सरकारों को सभी प्लेटफॉर्म्स पर मीडिया संबंधी एकीकृत विज्ञापन एवं ब्रैंडिंग सल्यूशंस प्रदान करने वाली 360 डिग्री एकीकृत मीडिया सेवा है. यह विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों/विभागों आदि के साथ समन्वय करके ग्राहकों की आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य एवं क्रॉस प्लेटफॉर्म कैं पेंस उपलब्ध करवाता है.

एनएफडीसी के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली शीर्षस्थ सेवाओं का विवरण इस प्रकार है.

1. निर्माण

- लघु फिल्में/डॉक्यूमेंटरीज/कॉर्पोरेट फिल्में/वीडियो स्पॉट्स/टीवीसी/एनीमेशंस/प्रमोशनल टीजर्स/ग्राफिक प्रेजेंटेशंस.
- रेडियो स्पॉट्स/रेडियो जिंगल्स/रेडियो एंथम्स
- प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम.
- पोस्टर्स, कॉफी टेबल बुक्स, कैलेंडर्स, लीफलेट्स और फ्लायर्स.
- प्रकाशन, टेलीविजन और रेडियो विज्ञापन.
- मर्चेंडाइज.

2. पी आर तथा मीडिया निगरानी

- छवि प्रस्तुत करने वाले कैंपेंस के प्रभाव का मूल्यांकन जिससे यह पता चल सके कि वे कितने प्रभावशाली साबित हो रहे हैं और भविष्य का रणनीति निर्देश.
- विभिन्न प्रेस कॉनफ्रेंसों, प्रेस रिलीज/किट्स और सेमीनार्स का प्रबंध.

pitched to producers and investors in a pitching session at the Bazaar.

In 2017, many films, which were a part of the Viewing Room and Work-in-Progress Lab at Film Bazaar's previous editions, had their international premiers in important film festivals around the world. The list includes In the Shadows by Dipesh Jain, which premiered at the Busan International Film Festival and won the Grand Jury Prize at the 19th Jio MAMI Mumbai Film Festival, The Bioscopewala by Deb Medhekar, which premiered at the Tokyo International Film Festival, Juze by Miransha Naik, which premiered at the Hong Kong International Film Festival, Village Rockstars by Rima Das, which premiered at Toronto International Film Festival and went to San Sebastian International Film Festival and won three Awards, including the Golden Gateway award at the 19th Jio MAMI Mumbai Film Festival, S. Durga by Sanalkumar Sasidharan, which premiered at the International Film Festival Rotterdam and was awarded the Hivos Tiger Award at the festival, Ralang Road by Karma Takapa, which premiered at the 52nd Karlovy Vary International Film Festival, Kho Ki Pa Lü (Up Down & Sideways) by Anushka Meenakshi & Ishwar Srikumar, which had its World Premiere at the Yamagata International Documentary Film Festival in Japan under the New Asian Currents program and won two awards at the festival including the Directors Guild of Japan Award (It was earlier titled Nehi Mozohanu Dizo Le (Without You I Am Nothing) when it was a part of the WIP Lab).

6. Services to Various Government Departments

While the aforementioned verticals of the company are primarily developmental in nature, the key business area of NFDC is that of producing and publicizing advertising communication for the Government of India. NFDC is a 360-degree integrated service provider for the creation, organizing and dissemination of advertising communication across different media platforms. Over the past years, NFDC has collaborated with various governmental establishments/departments, etc., and has produced and delivered various types of audiovisual and cross-platform campaigns, as per the needs and requirements of clients.

NFDC renders services across the following verticals –

1. Production of

- Short films/Documentaries/Corporate Films/Video Spots/TVCs/Animations/Promotional Teasers/Graphic Presentations
- Radio Spots/Radio Jingle/Radio Anthems
- Sponsored Radio Programs
- Posters, Coffee Table Books, Diaries & Calendars, Leaflets & Flyers
- Print, Television and Radio Advertisements
- Merchandise

2. PR and Media Monitoring

- Impact assessment of Image Projection Campaigns to gauge their effectiveness, and guide future strategy.
- Managing various Press Conferences, PR release/kits and Seminars

3. मीडिया अभियान

- विभिन्न सरकारी विभागों के लिए मीडिया योजना
- विभिन्न मीडिया प्लैन्स को आकाशवाणी, निजी एफएम रेडियो चैनल्स, निजी सैटेलाइट टेलीविजन, डिजिटल सिनेमा थियेटर्स, ऑडियो अनाउंसमेंट सिस्टम. सार्वजनिक स्थानों पर एलसीडी-एलईडी पैनल्स, एसएमएस कैंपेन्स और वैब/इंटरनेट कैंपेन्स के बीच रिलीज करना.

4. सोशल मीडिया कैंपेन्स

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, यू ट्यूब, फेसबुक और इन्सटाग्राम के लिये कंटैंट बनाने तथा उसे मैनेज करना जिससे कि जागरूकता पैदा की जा सके ग्राहक को फायदे के निर्देश मिल सकें और सरकार द्वारा उठाये जा रहे नये कदमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके.
- ऑनलाइन प्रतिक्रिया और बातचीत प्रबंधन.
- उपभोगकर्ताओं को नयी सजधज नयी सूचना और नयी सामग्री से लुभाए रखना.

5. इवेंट मैनेजमेंट

- खेलों से लेकर संगीत और पुरस्कार से लेकर प्रतियोगिता तक, विभिन्न इवेंट्स की परिकल्पना, संयोजन और प्रबंध.
- शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में समुदायों तक पहुंच बनाने वाली गतिविधियां जैसे नुक्कड़ नाटक, स्ट्रीट प्ले आदि.

एनएफडीसी को ऑडियो विजुअल, प्रकाशन, डिजिटल तथा अन्य माध्यमों में उच्च स्तरीय सामग्री प्रस्तुत करने का जनादेश प्राप्त है. उद्देश्य है सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों का कुशलतम कार्यनिर्वहन करके बिजनस बढ़ाना जिससे जन सेवा एडवर्टाइजिंग में तालमेल बना रहे और इस तरह हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) तक बेहतर पहुंच बन सके.

7. प्रिव्यू थियेटर्स

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. अपना प्रीव्यू थियेटर विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी ग्राहकों को फिल्म प्रदर्शन के लिये किराये पर देता है. यह थियेटर फिल्म प्रदर्शन की आधुनिकतम तकनीकों से सुसज्जित है जिसमें ऍनेलॉग और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था है. इसमें 3डी प्रोजेक्शन की सुविधा भी है.

8. फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस

वित्तवर्ष 2017-18 में एफएफओ द्वारा की गई पहल

1. फिल्म/टीवी शूटिंग अनुमतियों की सुविधा जिनमें सहनिर्माण और लोकेशन देखभाल भी शामिल है.

   अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच 31 अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्मों योजनाओं को भारत में शूटिंग की अनुमति प्रदान की गई जिनमें 14 देशों ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, रशिया, साउथ अफ्रीका, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंडम और यूएसए के 266 क्रू/कलाकार थे. इनमें से 24 फीचर फिल्में थीं और 7 टेलीविजन सिरीज/शोज.

   इन्होंने 16 राज्यों, महाराष्ट्र, वैस्ट बंगाल, गुजरात, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक. की विभिन्न लोकेशंस में शूटिंग की.

   इसके साथ ही एफएफओ ने तीन योजनाओं को सहनिर्माण हैसियत प्राप्त करने की सुविधा दिलवाई. ये हैं, 'यूनियन लीडर' (इंडो कैनेडियन), 'एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी ऑफ अ फकीर' और 'सर'

3. Media Campaigns

- Planning Media for various Government departments
- Release of various media plans across AIR, Private FM Radio channels, Private Satellites TV, Digital Cinema Theatres, Audio Announcement System, LCD/LED Panels in Public Spaces, SMS Campaigns and Web/Internet Campaigns

4. Social Media Campaigns

- Create and Manage content on Social Media platforms Twitter, You Tube, Facebook and Instagram, in order to create awareness, guide consumers/beneficiaries, and facilitate effective implementation of Government initiatives.
- Online Response and Conversation Management
- Engaging Users with New Look, Updates and content

5. Event Management

- Conceptualising, organising and managing various events ranging from Sports to Music, Awards to Competition
- Community reachout activities like Nukkad Naatak/Street Plays in both Urban and Rural markets.

NFDC has been entrusted with the mandate of production of high quality content across audio-visual, print, digital and other media. The aim is to acquire the business of strategizing and executing the Government's premium flagship programmes to ensure synergy in public service advertising, thus leading to better reach with stakeholders.

7. Preview Theatres

NFDC gives on hire its Preview Theatres at Mumbai and Chennai for exhibition of films to various government/non-government clients. The theatres are equipped with the latest technology to show films in analog and digital platforms, including 3D projection facilities.

8. Film Facilitation Office

Initiatives undertaken by FFO in FY 2017-18

1. Facilitating Film/TV Permissions including applications for Co-Productions and Location Scouting

   Thirty one international productions/projects, with a collective total crew/cast strength of 266 people, from across 14 countries namely, Australia, Bangladesh, Canada, China, Denmark, France, Germany, Iran, Russia, South Africa, Spain, Turkey, United Kingdom and U.S.A, were given permission to shoot in India during the period April 2017 to 31st March 2018. Twenty four of these were feature films and seven were television series/shows.

   These projects were filmed in various locations across 16 States namely, Maharashtra, West Bengal, Gujarat, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Sikkim, Uttar Pradesh, Delhi, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Punjab, Haryana, Jharkhand and Karnataka.

   Additionally, FFO facilitated the granting of Co-production status to three of these productions, namely, Union Leader (Indo-Canadian), Extraordinary Journey of a Fakir and Sir

(इंडो फ्रैंच). 'सर' 71वें कान फिल्म फेस्टिवल के क्रिटिक्स वीक के साइडबार प्रतियोगिता के लिये चुन ली गई है.

इसके अलावा, एफएफओ नामी अंतरराष्ट्रीय स्टडियोज जैसे: पैरामाउंट पिक्चर्स और पाइनवुड स्टूडियोज ग्रूप (यूके) के साथ लोकेशन स्काउटिंग सर्विसेस की बातचीत भी कर रहा है. इसके साथ ही उन्हे नोडल अधिकारियों के साथ जोड़ने का काम भी है जिससे उनके अधिकारक्षेत्र में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं संबंधी बेहतर जानकारी मिलती रह सके.

2. एफएफओ की हॉलीवुड के साथ कार्य

असोसिएशन ऑफ फिल्म कमिश्नर्स इंटरनेशन (एएफसीआई) का सदस्य होने के बाद एफएफओ ने लॉस एंजिलीस में ए एफ सी आई के सालाना इंडस्ट्री एजुकेशनल इवेंट में भाग लिया जिसे सिनेपोसियम कहा जाता है. यह इवेंट 20 से 22 अक्तूबर 2017 तक यहां कुल मिला कर जो अनुभव प्राप्त हुआ तथा जो जानकारी हासिल हुई वह एफ एफओ की आगे की कार्रवाई में उपयोगी साबित होगी, खासतौर पर स्टेट नोडल ऑफीसर्स के साथ काम करने के दौरान.

फिल्मों को लेकर दोस्ताना भाव रखने वाले देश की छवि और अधिक उभारने की दृष्टि से एफएफओ ने अमरीका की मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन (एमपीएए) इंडिया चैप्टर के साथ अपने संबंधों को शक्तिपूर्ण बनाया जिससे लॉस एंजीलीस में बड़े स्टूडियोज जैसे बार्नर ब्रदर्स और एचबीओ के साथ सीधा संपर्क बन सके और भारत में फिल्म निर्माण की सुविधाओं से और अधिक तेजी से परिचित कराया जा सके. एफओओ कनाडा की एक प्रमुख मोशन पिक्चर कंपनी ब्रोन स्टूडियोज से भी मिला और वैश्विक ओटीटी सेवा प्रदाता नेटफ्लिक्स तथा अमेज़ॉन से भी संपर्क किया.

एफएफओ नीतियों के मामलों को लेकर विशेषत: निर्माण प्रोत्साहन तथा भारत में शूटिंग की सुविधाएं दिलाने जैसे मामलों में एमपीएए के साथ भी संपर्क में रहता है.

3. मार्श डू फिल्म, कान फिल्म मार्केट मई 17 से 28, 2017 में सहभागिता

एफएफओ ने मोर्श डू फिल्म, कांस फिल्म मार्केट 2017 में इंडिया पवेलियन में उपस्थित था, जिसने फिल्म सूचना कार्यालय का शुभारंभ करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार और सरकार की पहल 'फिल्म इन इंडिया' को बढ़ावा देने की दृष्टि से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (एनएफडीसी) ने एफएफओ के ब्रोशर शुभारम्भ किया.

इसके साथ ही एफएफओ ने मार्श डू फिल्म और पूरे पैवेलियन में अपनी सेवाओं की मार्केटिंग और ब्रैंडिंग के जरिये भारत में शूटिंग लोकेशन्स का प्रमुख जगहों पर विज्ञापन का काम भी किया. एफएफओ ने 'शूटिंग इन इंडिया' पर एक सत्र भी आयोजित किया, जिसमें सिंगल विंडो सुविधा और निकासी तंत्र बनाने और देश को फिल्मांकन के रूप में बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों का प्रदर्शन किया गया.

4. वैब पोर्टल

एफएफओ वर्तमान में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड के जरिये अपना वैब पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया में है. इसके लिये मैसर्स सिलवर टच टॅक्नॉलॉजीज को इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी (आईए) नियुक्त किया गया है. यह उस वैब पोर्टल की स्थापना जो सूचना करेगी जो भारत में उपलब्ध फिल्मिंग लोकेशंस और उनसे संबंधित सूचना तथा प्रोडक्शन/पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में सूचनाएं प्रसारित करेगी. इसी के अनुकूल, वैब पोर्टल उन संभावित प्रोडक्शन कंपनियों को सहायता देगा जो भारत में शूटिंग की अनुमति, संभावनाओं की तलाश और लोकेशन की विस्तृत जानकारी चाहते हैं जो उनकी विचाराधीन कहानी के कथाक्रम विकास में मददगार बन सके.

इस संबंध में एफएफओ सभी राज्य सरकारों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, रेलवे मंत्रालय और उद्योग के संगठनों, गिल्ड आदि से संपर्क में है जिससे कि लोकेशंस एवं फिल्म शूटिंग संबंधी सुविधाओं (जैसे क्रू, टेलेंट, सुविधाएं, स्टेज, उपकरण, सपोर्ट

(Indo-French). Sir has also been selected for competition at the Critics' Week sidebar of the 71st Cannes Film Festival.

Furthermore, FFO has been engaging with two prominent international studios namely, Paramount Pictures and Pinewood Studios Group (UK) for Location scouting and also, connecting them to Nodal officers, for further information on filming opportunities in their jurisdiction.

2. FFO's Engagement with Hollywood

Subsequent to becoming a member of the Association of Film Commissioners' International (AFCI), FFO participated in the AFCI's annual industry educational event called Cineposium in Los Angeles from 20th to 22nd October 2017. The overall experience and knowledge acquisition will be integrated into the operations of FFO, especially with regard to the engagements with State Nodal Officers.

With a view to enhancing India's image as a film friendly destination, the FFO leveraged its association with the Motion Pictures Association of America (MPAA) India Chapter, to establish direct relationships with leading Hollywood Studios in Los Angeles such as Warner Brothers and HBO and bring them to speed with the Government's endeavour to ease filming in India. FFO also met with one of Canada's prominent motion picture companies namely Bron Studios and connected with global OTT Service providers Netflix and Amazon.

FFO has been engaging with the MPAA regarding issues pertaining to policy, especially in areas of production incentives and steps that can be taken to ease filming in India.

3. Participation at Marche Du Film, Cannes Film Market, May 17-28, 2017

FFO was present at the India Pavilion at Marche Du Film, Cannes Film Market 2017 which served as the perfect place for the Ministry of Information & Broadcasting, Government of India, and the National Film Development Corporation Limited (NFDC) to launch the Film Facilitation Office's Brochure, with a view to promote the 'Film in India' initiative of the Government.

In addition, FFO undertook marketing of its services and India's locations through branding and advertisements at prominent spaces at Marche Du Film and throughout the pavilion. FFO also conducted a session on 'Shooting in India', to showcase its endeavours to create a single-window facilitation and clearance mechanism and promote the country as a filming destination.

4. Web Portal

FFO is in the process of setting up its web portal through National Informatics Centre Services Incorporated (NICSI). M/s Silver Touch Technologies has been appointed as the Implementing Agency (IA) for establishing the dedicated web portal that will disseminate information on filming locations and the facilities available in India for production/post production. Accordingly, the site will help potential production companies looking to shoot in India to obtain permissions, explore potential benefits (tangible and non-tangible) and obtain an overview of various locations in India that could benefit the storyline of the film under consideration.

In this regard the FFO has reached out to all State Governments, the Archaeological Survey of India, the Ministry of Railways, etc., and Industry Bodies/Guilds so as to create a database of locations and filmic resources (crew,

सर्विसेज आदि) का डेटाबेस पूरे देश में उपलब्ध हो सके. एफएएक्यू पर एक अलग सेक्शन भी साइट में शामिल किया जाएगा.

5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ए.एस.आई) के सभी 29 सर्कल्स में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति में सुगमता.

एएसआई को बार बार याद दिलाने और आमने सामने की मीटिंग्स की बाद एफ एफओ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सभी 29 सर्कल्स में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति में सुगमता लाने में सफल रहा जिससे देश भर में फैली एएसआई की साइट्स के लिए अनुमति प्रक्रिया आसान हो सके. सिफारिशें एएस आई और देशी-विदेशी फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच वातचीत का परिणाम थीं. फिल्म शूटिंग से संबंधित अपनी गाइडलाइन्स में एएस आई ने कुछ स्पष्टीकरण जोड़े जिनकी संस्तुति एफएफओ ने इस आशय से की थी कि दुनिया भर के फिल्मकारों को एएसआई की साइट्स पर शूटिंग करने में सुविधा हो और इस तरह उनका दुनिया भर में प्रचार हो सके.

6. विदेश मंत्रालय (एमईए) के साथ सहयोग करके फिल्म वीसा जारी करवाने में सुगमता

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रयत्नों के फलस्वरूप वीसा जारी कराने में हुई सुविधा के फलस्वरूप एफएफओ ने विदेशी मामलों के मंत्रालय (एमईए) से प्रार्थना की कि भारतीय मिशन्स के स्तर पर भी इस प्रक्रिया को तेज किया जाय. महसूस यह किया गया कि अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों को भारतीय अधिकारियों से होने वाली उन पहली मुलाकातों से ही सुविधाएं मिलनी शुरु हो जानी चाहिएं जो कि स्थानीय भारतीय मिशन्स के स्तर पर होती हैं. यही वह उपयुक्त जगह होती है जहां यह दर्शाया जा सकता है कि भारत साथ में व्यवसाय करने का इच्छुक व उपयुक्त देश है. इस बात को ध्यान में रखते हुए एमईए द्वारा नियुक्त किये गये नोडल अधिकारियों के साथ बार बार गहन विचार विमर्श करने के बाद यह प्रस्ताव रखा गया कि एमईए दुनिया भर के अपने मिशंस में से कुछ चुने हुए भारतीय मिशंस में अपने स्टाफ में से किसी एक सदस्य को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने पर विचार करे. यह नोडल अधिकारी भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय फिल्मकारों और क्रू के सदस्यों को वीजा दिलवाने में सहूलियतें दिलवाएगा. एफएफओ विदेश मंत्रालय के माध्यम से इस प्रयास को लाने के संबंध में अनुसरण करेगा.

7. रेलवेज में शूटिंग्स के लिए सुगमता

फिल्म निर्माताओं को भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान किए जाने वाले विशाल परिदृश्य का लाभ उठाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, एफएफओ ने फिल्म बिरादरी और रेल मंत्रालय के बीच कितना बड़ा तालमेल बनाया जा सकता है यह जानने के लिए रेल मंत्रालय के नोडल अधिकारी के साथ जुडे है.

8. आईएफएफआई और फिल्म बाज़ार 2017 में एफएफओ

आईएफएफआई 2017 के दौरान एफएफओ फिल्मांकन तथा अंतर्राष्ट्रीय आउटरीच के समय इंडस्ट्री के अनेक स्टेक होल्डर्स के साथ मिला जिन्हें शूटिंग संबंधी अनुमतियां दिलाने, एक ही जगह सारी सूचनाएं प्रदान करवाने, लोकेशंस की जानकारी, ट्रबलशूटिंग वगैरह के बारे में जानकारी आदि की सुविधा प्रदान करने में एफएफओ की भूमिका तथा कार्यप्रणाली समझाई गई. एफएफओ ने उन सुविधाओं की एक विस्तृत सूची बना कर सभी को वितरित की जो फिल्मकारों के लिए 14 राज्यों में आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्कीम, तमिल नाडू, तेलंगाना, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश उपलब्ध हैं. एफएफओ द्वारा नॉलेज सीरिज में 'ईज ऑफ फिल्मिंग' नाम से एक सत्र आयोजित किया गया जिसमें यह बताया गया कि देश में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्रों में शूटिंग की सुगमता प्रदान करने के लिये क्या क्या कदम उठाये गये हैं.

एफएफओ ने फिल्म बाज़ार में दस राज्य सरकारों के फिल्म कार्यालय कार्यप्रवृत्त किये. ये राज्य हैं: दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तैलंगाना, और उत्तरप्रदेश. इसका उद्देश्य भारत और विदेशों के विभिन्न फिल्म निर्माताओं को दिए जा रहे प्रोत्साहन के साथ उनके स्थानों का प्रदर्शन करना था.

talent, facilities, stages, equipment, support services, etc.) available across the country. A separate section on FAQs will also be included in the site.

5. Facilitation of the appointment of Nodal Officers across 29 Circles of the Archaeological Survey of India

Post several follow ups and one-on-one meetings with ASI, FFO successfully facilitated the appointment of 29 Nodal officers across all ASI Circles, so as to ease the permission process at various ASI sites across the country. The recommendation was a result of a series of interactive sessions held between ASI and film Industry delegates from India and abroad. In addition, ASI also incorporated certain clarifications in their filming guidelines, as recommended by FFO, to make filming easier, in an endeavour to encourage filmmakers to come and shoot at ASI sites, thereby promoting them globally.

6. Facilitation of ease of issuance of Film Visas through co-ordination with the Ministry of External Affairs (MEA)

Subsequent to the easing of issuance of visa, courtesy the Ministry of I&B's efforts at establishing a Film Visa, the FFO approached the MEA to hasten the process at the level of the Indian Mission. It was felt that international filmmakers should have ease of filming in India from their very first engagement with Indian officials, which was at the level of the local Indian Mission, since this was a perfect place to demonstrate the country's commitment to ease of doing business. In view of this, several brainstorming meetings were held with the Nodal Officer appointed by the MEA, and it was proposed that MEA could consider appointing a designated staff member as a Nodal Officer, in select Indian Missions across the world. The Nodal Officer would work towards the ease of issuance of Visas for international filmmakers, cast and crew coming to film in India. The FFO will follow through with the MEA with regard to bringing this endeavour to fruition.

7. Facilitation of ease of filming across Railways

Recognizing the need to leverage the enormous landscape that the Indian Railways offers to filmmakers, the FFO engaged with the Nodal Officer of the Ministry of Railways to understand how greater synergy between the film fraternity and the Ministry of Railways could be created.

8. FFO at IFFI and Film Bazaar 2017

During IFFI 2017, FFO met with several stakeholders from the industry and apprised them of its role and functioning with regards to facilitating permissions, disseminating information through a single point, location scouting, troubleshooting while filming and international outreach. The FFO compiled and shared a comprehensive list of incentives currently available for filmmakers from across 14 States – Andhra Pradesh, Assam, Goa, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand and Uttar Pradesh. A session on 'Ease of Filming' was conducted at the Knowledge Series by FFO, wherein it highlighted the various initiatives taken to ease filming across Central and State Government jurisdictions in the country.

FFO mobilised the participation of 10 State Governments namely, Delhi, Gujarat, Jharkhand, Karnataka, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Telangana and Uttar Pradesh, with their respective Film Offices at the Film Bazaar. The objective was to showcase their locations along with the incentives being offered, to various filmmakers from India and abroad.

कुछ राज्यों जैसे लक्षद्वीप, (जिसने पहली बार भाग लिया) तैलंगाना और उत्तरप्रदेश ने भी नॉलेज सिरीज, राज्य की विशेषताएं, फिल्म नीति और फिल्म संबंधी सुविधाओं सहज बनाने को लेकर सत्र आयोजित किये तथा फिल्म बाज़ार में उपस्थित फिल्म समुदाय को निमंत्रित भी किया कि वे उनके यहां की फिल्म लोकेशंस में आकर फिल्में शूट करना.

9. मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2017

मोस्ट फिल्म फ्रैंडली स्टेट अवॉर्ड 2017 में 16 राज्यों ने भाग लिया. इन्हें 65वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स के संरक्षण में दिया गया. इसकी जूरी की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता रमेश सिप्पी ने की जिसके सदस्य नागराज मंजुले, राजा कृष्णा मेनन, विवेक अग्निहोत्री और मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एम डी. उदय सिंह जैसे नामी फिल्मकार थे.

विस्तृत विश्लेषण और विचार विमर्श के बाद, जूरी ने सर्वसम्मति से एक सर्वश्रेष्ठ संरचित वेबसाइट, फिल्म अनुकूल बुनियादी ढांचा बनाकर, डेटाबेस बनाए रखने, राज्य में फिल्म अनुकूल इंफ्रास्ट्रक्चर, विपणन और प्रचार की पहल करने के प्रयासों के लिए मध्य प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया. मध्य प्रदेश को वहां स्थापित फिल्म निर्माताओं से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है जिन्होंने वहां फिल्मांकन किया.

इसके अतिरिक्त, जूरी ने फिल्म अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में उत्तराखंड राज्य द्वारा किए गए प्रयासों को पहचानने का भी निर्णय लिया और अतः इसे एक विशेष उल्लेखनीय प्रमाणपत्र प्रदान किया.

इस संदर्भ में देश के भीतर फिल्म अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के एफएफओ के प्रयास को देखा जाना चाहिए, जिसमें स्थानों को उत्पाद विकास के अवसर के रूप में देखा जाता है और राज्यों को ब्रांड के रूप में देखा जाता है, जिसका परिणामस्वरूप गंतव्य ब्रांडिंग में होता है.

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां तथा उनकी उपयुक्तता

कंपनी में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक ऑडिट सिस्टम की व्यवस्था है जो इसके आकार एवं बिजनस आवश्यकताओं के अनुरूप है. कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा को प्रचलन के दो व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है. जबकि मुंबई स्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म मुंबई मुख्यालय और चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय का लेखा परीक्षण करती है, वहीं नई दिल्ली स्थित एक अन्य फर्म नई दिल्ली और कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालयों का आंतरिक लेखा परीक्षण करती है. इसके अलावा, कंपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों के फीचर फिल्म प्रोडक्शन, नॉन-फीचर फिल्म प्रोडक्शन और पब्लिसिटी असाइनमेंट की अपनी प्राथमिक व्यावसायिक गतिविधियों के समवर्ती ऑडिट भी करती है. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ-साथ सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है.

कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारत के इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी दिशा निर्देश नोट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक अंशों पर विचार किया गया है.

संभावनापूर्ण विकास क्षेत्र

आगे बढ़ते हुए, एनएफडीसी की कोशिश सामयिक पुनरावलोकन योजनाओं को जारी रखने की है जिनसे भारतीय फिल्म क्षेत्र की कमियों को दूर किया जा सकता है तथा उन क्षेत्रों में कदम रखे जा सकते हैं जिनके जरिये इसके प्रमुख उद्देश्य, भारतीय फिल्म उद्योग के विकास को सुगम बना सकना संभव हो. इस मामले में एनएफडीसी सारे देश में विविध भारतीय भाषाओं के सिनेमा व फिल्म उद्योग के दायरे में आने वाले व्यापार कार्यों को आगे बढ़ाने के प्रयत्नों मे लगा रहेगा जिनमें कौशल तथा कथ्य विकास से लेकर प्रदर्शन और दर्शक संख्या में वृद्धि सभी कुछ शामिल है.

States of Lakshadweep (who participated for the first time ever), Telangana, and Uttar Pradesh also conducted a session in the Knowledge Series, highlighting their States' film policies and their endeavour to make filming a smooth affair, while inviting the film fraternity present at the Film Bazaar to shoot at their locations.

9. Most Film Friendly State Award 2017

Sixteen States participated in the Most Film Friendly State Award 2017, which was given under the aegis of the 65th National Film Awards. Chaired by acclaimed filmmaker Ramesh Sippy, the Jury consisted of renowned filmmakers, Nagraj Manjule, Raja Krishna Menon, Vivek Agnihotri, and Uday Singh, MD, Motion Picture Distributors Association.

Subsequent to the detailed analysis and discussions, the Jury unanimously conferred the award for the Most Film Friendly State to Madhya Pradesh for its efforts towards easing filming in the state by creating a well-structured website, film friendly infrastructure, offering incentives, maintaining databases and undertaking marketing and promotional initiatives. Madhya Pradesh also received positive feedback from established filmmakers who have shot there.

Additionally, the Jury also decided to recognize the efforts made by the State of Uttarakhand towards creating a film friendly environment and hence, conferred it with a Special Mention Certificate.

The FFO's endeavour to create a film friendly ecosystem within the country must be seen in this context, wherein locations are viewed as a product development opportunity and States as brands, thus resulting in destination branding.

Internal Control Systems and Their Adequacy

The Company has an adequate internal control and Internal Audit System commensurate with its size and nature of business. The Internal Audit of the Company is divided into two broad areas of operations. While a firm of Chartered Accountants based in Mumbai audits Mumbai Head Office and Chennai Regional Office, another firm based in New Delhi conducts the Internal Audit of New Delhi and Kolkata Regional Offices. Further, the Company also commissions concurrent audits of its primary business activities of Feature Film Production, Non-Feature Film Production and Publicity assignment of various government departments through independent auditors. The Internal Audit Reports are reviewed by Statutory Auditors of the Company as well as by the Government Auditors.

The Company has adequate Internal Financial Control System over financial reporting, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the guidance note on audit of internal financial controls over financial reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Potential Growth Areas

Going forward, NFDC intends to continue with its plans of periodic assessments of the gaps in the growth of the Indian film sector and stepping into those areas with a view to fulfilling its main objectives of facilitating the growth of the Indian film industry. To this effect, NFDC would continue to aim to straddle the entire gamut of the film business across the country and across various languages cinemas, from skill and content development to exhibition and audience development.

इसके साथ साथ एनएफडीसी को अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा सकने और वास्तविक अर्थों में पैन इंडियन फिल्म डेवलेपमेंट बॉडी बन सकने के लिए आय के वर्तमान स्रोतो के साथ साथ निरंतर नये स्त्रोतों विकसित करते रहने की ओर भी प्रयत्नशील रहना होगा.

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रवाधानों के अंतर्गत कंपनी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वों पर खर्च करना आवश्यक नहीं है क्योंकि पिछले तीन वर्षो की औसत आय ऋणात्मक है.

NFDC has constantly attempted to identify new sources of income in addition to existing ones and overcoming the challenges being faced with a view to generating greater capital to enable expansion of its activities and become a truly pan-Indian film development body.

Corporate Social Responsibility

As per relevant provisions of the Companies Act 2013, the Company is not required to spend towards Corporate Social Responsibility since the average net profits during the preceding three financial years is negative.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य गण
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

हमने 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कम्पनी) के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की उन शर्तों के अनुपालन सम्बंधी व्यक्तव्यों की जांच की है. जिनकी अपेक्षा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों के धारा 8.2.1 के अंतर्गत की जाती है.

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है. हमारे द्वारा किया गया परीक्षण कम्पनी द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के लिए अपनायं गये तरीकों और उन्हें लागू करने की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो लेखा परीक्षण है और न ही कम्पनी की वित्तीय स्थिति के प्रति प्रकट की गई राय है.

हमारी राय में तथा हमें प्रदान की गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हम यह प्रमाणित करते है कि कम्पनी ने उन शर्तों का अनुपालन किया है जिनकी अपेक्षा सार्वजनिक उपक्रम विभाग के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के दिशा निर्देशों के धारा 8.2.1.के अंतर्गत की जाती है.

टस्की असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर –
एफआरएन 008730एन

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 31/10/2018

Auditors' Certificate On Corporate Governance

To,
The Member
National Film Development Corporation Limited.

We have examined the compliance of condition of Corporate Governance by National Film Development Corporation Limited, ("the Company") for the year ended 31st March 2018 as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination has been limited to review of the procedures and implementation thereof, adopted by the company, for ensuring the compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion of financial statements of the Company.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in Clause 8.2.1 of Guidelines on Corporate governance issued by the Department of Public Enterprises for Central Public Sector Enterprises (CPSEs).

Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number –
FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
Partner
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 31/10/2018

आचार संहिता प्रमाणपत्र

21/06/2018

एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि एनएफडीसी के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

(एन.जे. शेख)
निदेशक (वित्त)

Certificate on Code of Conduct

21/06/2018

It is hereby declared that all Board members and Senior management personnel of NFDC have affirmed compliance with Code of Conduct for the financial year 2017-18.

(N.J. Shaikh)
Director (Finance)

दिनांक 31 मार्च 2018 का तुलन पत्र
Balance Sheet as on 31st March 2018

राशि रुपयों में | Amount in ₹

विवरण	Particulars	टिप्पणी Notes	31/03/2018 को As at 31/03/2018	31/03/2017 को As at 31/03/2017
इक्विटी और देयताएं	**Equity And Liabilities**			
अंशधारकों की निधि	**Shareholders' Funds**			
(क) अंश पूंजी	(a) Share Capital	3	45,39,98,500	45,39,98,500
(ख) संचय एवं अधिशेष	(b) Reserves and Surplus	4	(9,33,53,558)	(23,87,90,949)
गैर चालू देयताएं	**Non-Current Liabilities**			
(क) दीर्घकालिक उधार	(a) Long Term Borrowings	5	60,23,288	1,00,50,616
(ख) अन्य दीर्घकालिक देयताएं	(b) Other Long-Term Liabilities	6	4,78,90,647	5,77,21,531
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	(c) Long-Term Provisions	7	6,66,30,008	7,51,57,946
चालू देयताएं	**Current Liabilities**			
(क) व्यापारिक देय	(a) Trade Payables	8	2,52,63,63,519	1,05,27,36,205
(ख) अन्य चालू देयताएं	(b) Other Current Liabilities	9	1,06,55,82,620	72,63,90,929
(ग) अल्पकालिक प्रावधान	(c) Short-Term Provisions	10	4,31,92,719	1,50,74,917
कुल	**Total**		**4,11,63,27,743**	**2,15,23,39,695**
परिसम्पत्तियां	**Assets**			
गैर चालू परिसम्पत्तियां	**Non-Current Assets**			
(क) स्थायी परिसम्पत्तियां	(a) Fixed Assets			
वास्तविक परिसम्पत्तियां	Tangible Assets	11	5,34,49,926	6,82,79,024
अवास्तविक परिसम्पत्तियां	Intangible Assets		37,03,229	6,94,572
पूंजीगत कार्य जारी	Capital Work-in-Progress		25,54,644	27,87,774
(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां	(b) Deferred Tax Asset		10,83,88,708	14,52,28,542
(ग) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	(c) Long-Term Loans and Advances	12	1,44,56,214	1,39,69,532
चालू परिसम्पत्तियां	**Current Assets**			
(क) सम्पत्ति सूची	(a) Inventories	13	10,14,792	10,85,761
(ख) व्यापारिक प्राप्तियाँ	(b) Trade Receivables	14	1,11,88,41,580	96,49,32,797
(ग) रोकड़ और बैंक शेष	(c) Cash and Bank Balances	15	1,92,35,51,499	61,55,04,418
(घ) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	(d) Short-Term Loans and Advances	16	86,84,21,279	33,80,22,899
(ड) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	(e) Other Current Assets	17	2,19,45,872	18,34,376
कुल	**Total**		**4,11,63,27,743**	**2,15,23,39,695**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	2		

टिप्पणी संख्या 1 से 46 तक वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है
Notes 1 to 46 are integral part of Financial Statement

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of Board of Directors

टस्की असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 008730एन)

For Tasky Associates
Chartered Accountants
(FRN 008730N)

मनोज कुमार शर्मा
पार्टनर
एम. नं. 084503

Manoj Kumar Sharma
Partner M.No. 084503

मनोज कुमार पिंगुआ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं 01732177

Manoj Kumar Pingua
Managing Director
DIN No. 01732177

एन.जे. शेख
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं.07348075

N.J. Shaikh
Director (Finance)
DIN No. 07348075

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E.J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्थान – मुम्बई
दिनांक – 26 सितंबर 2018

Place – Mumbai
Date – 26th September 2018

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ एवं हानि का विवरण
Statement of Profit and Loss for the year ended 31st March 2018

राशि रुपयों में | Amount in ₹

विवरण	Particulars	टिप्पणी Notes	वर्ष 2017-18 Year 2017-18	वर्ष 2016-17 Year 2016-17
आय	**Income**			
प्रचलन से आय	Revenue from Operations	18	4,20,41,95,842	1,62,14,11,569
अन्य आय	Other Income	19	7,00,06,100	6,00,60,497
कुल	**Total**		**4,27,42,01,943**	**1,68,14,72,066**
व्यय	**Expenses**			
प्रचलित व्यय	Operating Expenditure	20	3,85,48,40,312	1,47,88,04,084
सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Inventory	21	70,969	(1,78,195)
कार्मिक लाभ व्यय	Employee Benefits Expenses	22	7,98,39,372	8,98,41,834
अन्य व्यय	Other Expenses	23	11,08,47,893	9,26,76,207
वित्तीय लागत	Finance Cost	24	15,97,240	56,05,867
मूल्य -ह्रास एवं परिशोधन	Depreciation and Amortisation		1,42,13,836	1,40,45,400
कुल	Total		4,06,14,09,622	1,68,07,95,197
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) Before Tax**		**21,27,92,320**	**6,76,869**
घटाईये : कर व्यय	Less : Tax Expense			
चालू कर	Current Tax		3,05,15,096	–
घटाईये : आस्थगित कर	Less : Deferred Tax		3,68,39,834	(2,18,77,122)
जोडिए : पूर्व वर्ष के अतिरिक्त आयकर/मॅट प्रावधानों वापिस	Add : Excess Income Tax/MAT Provision of earlier year written back		–	21,00,000
कर पश्चात लाभ/(हानि)	**Profit/(Loss) After Tax**		**14,54,37,391**	**(1,91,00,253)**
प्रति इक्विटी शेयर आय :	Earnings Per Equity Share :			
(1) मूल	(1) Basic		32.03	(4.21)
(2) तनुकृत	(2) Diluted		32.03	(4.21)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	Significant Accounting Policies	2		

टिप्पणी संख्या 1 से 46 वित्तीय विवरण के अभिन्न अंग है
समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date

Notes 1 to 46 are integral part of Financial Statement
निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of Board of Directors

टस्की असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 008730एन)

For Tasky Associates
Chartered Accountants
(FRN 008730N)

मनोज कुमार पिंगुआ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं 01732177

Manoj Kumar Pingua
Managing Director
DIN No. 01732177

एन.जे. शेख
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं.07348075

N.J. Shaikh
Director (Finance)
DIN No. 07348075

मनोज कुमार शर्मा
पार्टनर
एम. नं. 084503

Manoj Kumar Sharma
Partner M.No. 084503

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E.J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्थान – मुम्बई
दिनांक – 26 सितंबर 2018

Place – Mumbai
Date – 26th September 2018

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2018

राशि रुपयों में | Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18 Year 2017-18		वर्ष 2016-17 Year 2016-17	
प्रचलन गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	**I. Cash Flows From Operating Activities**				
कराधान के पहले शुध्द लाभ	Net Profit Before Taxation		21,27,92,320		6,76,869
(क) समंजन हेतु	(A) Adjustments for				
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	Loss/(Profit) on Sale of Fixed Assets	9,566		35,909	
मूल्य -ह्रास और हानि	Depreciation & Impairment	1,42,13,836		1,40,45,400	
संदिग्ध ऋणों/ऋणों/ अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loan/Advance	3,51,104		15,31,711	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले	Bad Debts Written off	7,76,817		64,074	
स्थायी परिसम्पत्तियं बट्टे खाते में डाले	Fixed Assets Written Off	92,071		–	
प्रावधानों वापिस	Provisions written back	8,38,817		–	
जमा शेष वापिस	Credit Balance Written Back	46,59,583		86,89,983	
पूर्व अवधि मूल्य-ह्रास	Prior Period Depreciation	42,16,282		–	
व्याज व्यय	Interest Expenses	15,97,240		56,05,867	
कुल (क)	**Total of (a)**		**2,67,55,317**		**2,99,72,944**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पहले प्रचलित रोकड़	**Operating Cash Profit Before Working Capital Changes**		**23,95,47,637**		**3,06,49,813**
(ख) समंजन हेतु	(B) Adjustments for				
सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/ कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	70,969		(1,78,195)	
विविध देनदारों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Sundry Debtors	(15,58,75,521)		(28,95,66,969)	
दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Long Term Loans & Advances	(4,86,681)		(12,59,469)	
अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिमों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Short Term Loans & Advances	(50,01,34,395)		(2,74,35,816)	
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृध्दि)/कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Assets	(2,01,11,496)		6,53,259	
विविध लेनदारों में (वृध्दि)/कमी	Increase/(Decrease) in Sundry Creditors	1,46,89,67,731		26,34,71,360	
दीर्घ कालिक देयताएं व प्रावधान में वृध्दि/(कमी)	Increase/(Decrease) in Long Term Liabilities & Provision	(1,83,58,822)		2,97,75,110	
अल्पावधिक देयताएं व प्रावधान में (वृध्दि)/कमी	Increase/(Decrease) in Short Term Liabilities & Provision	33,72,56,508		6,86,25,760	
कुल (ख)	**Total of (b)**		**1,11,13,28,292**		**4,40,85,040**

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement for the year ended 31st March, 2018

राशि रुपयों में | Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18 Year 2017-18		वर्ष 2016-17 Year 2016-17	
प्रचलनों द्वारा उत्पन्न रोकड़	Cash Generated From Operations		1,35,08,75,929		7,47,34,853
आयकर (भुगतान) कुल रिफंड	Income Tax (Paid)/Refund - Net		(3,02,63,985)		3,14,62,925
असाधारण मदों के पूर्व रोकड़ प्रवाह	Cash Flows Before Extraordinary Item		1,32,06,11,944		10,61,97,778
प्रचलन गतिविधियों से शुध्द रोकड़ (क)	**Net Cash From Operating Activities (A)**		**1,32,06,11,944**		**10,61,97,778**
II. निवेश गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह	**II. Cash Flows From Investing Activities**				
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	Purchases of Fixed Assets	(65,30,141)		(1,18,24,973)	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री	Sale of Fixed Assets	51,955		83,737	
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुध्द रोकड़ (ख)	**Net Cash Used In Investing Activities (B)**		(64,78,185)		(1,17,41,236)
III. वित्तीय गतिविधियों में रोकड़ प्रवाह	**III. Cash Flows From Financing Activities**				
दीर्घकालिक उधार	Long Term Borrowings	(40,27,328)		(40,38,456)	
ब्याज भुगतान	Interest paid	(20,59,350)		(62,20,090)	
वित्तीय गतिविधियों से शुध्द रोकड़ (ग)	**Net Cash From Financing Activities (C)**		**(60,86,678)**		**(1,02,58,546)**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों पर शुध्द वृध्दि (क + ख + ग)	**Net Increase In Cash And Cash Equivalents (A + B + C)**		1,30,80,47,081		8,41,97,996
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष	Opening Balance Of Cash And Cash Equivalents		61,55,04,418		53,13,06,422
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों का अंतिम शेष	**Closing Balance Of Cash And Cash Equivalents**		**1,92,35,51,499**		**61,55,04,418**
रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्यों के पूरक	Component Of Cash And Cash Equivalents				
बैंक में शेष	Balances with Banks				
चालू खाते में	In Current Account		4,89,25,900		3,52,29,600
सावधि जमा	Fixed Deposits		1,87,42,68,782		58,02,03,500
रोकड़ बाकी	Cash on Hand		3,56,817		71,318
कुल रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी सं 15)	**Total Cash And Cash Equivalents (Note No.15)**		**1,92,35,51,499**		**61,55,04,418**

समदिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date निदेशक मंडल की ओर से For and on behalf of Board of Directors

टस्की असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 008730एन)

For Tasky Associates
Chartered Accountants
(FRN 008730N)

मनोज कुमार शर्मा
पार्टनर
एम. नं. 084503

Manoj Kumar Sharma
Partner M.No. 084503

मनोज कुमार पिंगुआ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं 01732177

Manoj Kumar Pingua
Managing Director
DIN No. 01732177

एन.जे. शेख
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं.07348075

N.J. Shaikh
Director (Finance)
DIN No. 07348075

इ.जे. पॉल
कम्पनी सचिव
स.क्र. एफसीएस 4521

E.J. Paul
Company Secretary
M.No. FCS 4521

स्थान – मुम्बई
दिनांक – 26 सितंबर 2018

Place – Mumbai
Date – 26th September 2018

लेखाओं पर टिप्पणियां

टिप्पणी – 1. कॉर्पोरेट सूचना

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) भारत स्थित कंपनी है जिसकी स्थापना कंपनी के अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत की गयी है. निगम विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्में बनाता है तथा कम्पनी फीचर एवं ऑडियो-विज्युअल फिल्में तथा मीडिया अभियान तथा एफएफओ सहित फिल्मों का निर्माण, वितरण, विकास एवं बढावा देने में कार्यरत है. निगम का मुख्यालय मुंबई में है तथा नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता में क्षेत्रीय कार्यालय हैं.

निगम की स्थापना केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर सुनिश्चित की जाने वाली आर्थिक नीतियों एवं उद्देश्यों के अंतर्गत फिल्म उद्योग का योजनाबद्ध तरीके से समग्र विकास तथा प्रभावशाली उन्नयन करने के लिये की गई थी. बाद के वर्षों में निगम ने 20 भारतीय भाषाओं में 300 से भी अधिक फिल्मों का निर्माण किया अथवा उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान किया.

टिप्पणी – 2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क. लेखाओं का आधार तथा अनुमानों का उपयोग.

i. वित्तीय विवरणों को हिस्टॉरिकल कॉस्ट कन्वेंशन के अंतर्गत, अकाउंटिंग के एक्युरल आधार तथा भारत में लागू लेखा सिद्धांतों, कंपनी (लेखा मानकों) द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा तत्संबंधी कंपनी अधिनियम 2013 (द एक्ट) के उपनियम 133, जिसे कंपनी के (लेखाओं) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाय, के उन प्रावधानों के साथ सभी तथ्यों के अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है.

ii. सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के समनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि प्रबंधन उस पर अनुमान और कल्पना करे कि रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियां तथा देयताएं और आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण की तारीख और प्रचालनों के परिणाम रिपोर्टाधीन वर्ष के अंत में हैं. यद्यपि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान घटनाओं एवं क्रियाओं के संबंध में अच्छी जानकारी पर आधारित है फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं.

ख. राजस्व तथा तत्संबंधी व्यय की मान्यता

ख 1 लागत का परिशोधन –

फिल्म्स, प्रिंट्स, टी.वी. अधिकार, स्वकीय फिल्मों का निर्माण, अधिगृहीत फिल्में तथा फिल्मों के सहनिर्माण में कॉर्पोरेशन का अंश.

ख.1.1 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिये रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की संपूर्ण निर्माण/अधिग्रहण लागत को लाभ/हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है. अगर फिल्म पूरी हो गई है लेकिन वर्ष के दौरान रिलीज के लिये तैयार नहीं हुई है तो उस की संपूर्ण लागत/अधिग्रहण को विस्तृत सूची में दर्शाया जाता है.

ख.2 भारतीय टी.वी. धारावाहिकों की निर्माण लागत/अधिगृहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरीदे गये टी वी. अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों/धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं, इनमें से जो पहले हो.

ख.3 कंपनी द्वारा खरीदे गये टी. वी. अधिकारों के लिये ऐसी स्थिति में जहां टी. वी. पर फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई और उनके लिये भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है. चूंकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलीकास्ट होने पर लागू होती हैं इसलिए उनके भुगतान न किये अधिगृहीत मूल्य के लिये कोई प्रावधान नहीं किया जाता है.

Notes on Accounts

Note – 1. Corporate Information

National Film Development Corporation Limited ("the Company") is a Government company domiciled in India and incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956. The Company is engaged in production, distribution, development and promotion of films, including feature and audio-visual films, media campaigns and film facilitation office. The Company has its Head Office in Mumbai and Regional offices at New Delhi, Chennai and Kolkata.

The Company was set up with the objective to plan, promote and organize an integrated and efficient development of the film industry in accordance with the national economic policy and objectives laid down by the Central Government from time to time. Over the years, NFDC has funded/produced more than 300 films in twenty Indian languages.

Note – 2. Significant Accounting Policies

A. Basis of Accounting and use of Estimates.

i. Financial statements are prepared under the historical cost convention, on accrual basis of accounting in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014.

ii. The preparation of financial statements, in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities at the date of the financial statements and the Revenue and Expenditure of operations during the end of the reporting period. Although these estimates are based upon the management's best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates.

B. Recognition of Revenue and related expenses

B.1 Amortization of cost of –

Films, prints, TV rights, own production of films, taken over films and Corporation's share in co-production of films.

B.1.1 Where the film is ready for release for exhibition on Commercial basis before the close of the financial year, the entire cost of production/acquisition of the films is charged to the Statement of Profit and Loss. Where the film is completed but not ready for release during the year, the entire cost of production/acquisition is shown as inventory.

B.2 Cost of production of Indian Television serials/acquired programme and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/serials takes place or in the financial year, in which the rights expired, whichever is earlier.

B.3 Rights in films for distribution through Television acquired by the Company wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.

ख.4 फिल्म निर्माण/सिनेमा उपकरण खरीद/सिनेमागृह निर्माण आदि के गैर निष्पादन ऋणों के ब्याज को प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य माना हो, उस सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशि के बराबर न हो जाय और उसके आगे कोई जमा नहीं दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूप से वसूल न हो जाय.

ख.5 विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से प्रदर्शित मीडिया कैंपेंस के सिलसिले में हुए आय और व्यय को उसी वर्ष में परिस्वीकृत किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित विज्ञापन अथवा कमर्शियल स्पॉट जनता के लिये प्रदर्शित अथवा ब्रॉडकास्ट किये गये हों और जिनके संबंध में एजेंसी को चैनल/सिनेमाघर/वेबसाइट से सफलतापूर्वक टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट की सूचना मिल गई हो. वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किये गये कैंपेन जो अगले वित्तीय वर्ष में पूरे हुए हों उन्हें क्रमानुसार वित्तीय वर्ष में ही उस वर्ष में टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट किये गये विज्ञापनों अथवा व्यापारिक स्पॉट्स के आधार पर ही परिस्वीकृत किया जाता है.

ख.6 विभिन्न मंत्रालयों/ग्राहकों की ओर से वर्ष के दौरान लिये गये गैर फीचर फिल्म के आय व्यय को तब तक मान्य नहीं किया जाता जब तक ग्राहक उन्हें स्वीकार न कर लें या ग्राहकों की ओर से उन्हें स्वीकार कर लेने जैसी कोई कार्रवाई न कर दी जाय.

ख.7 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण करने के लिये भारत सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त हुआ तथा इनमें से वर्ष के अंत तक प्राप्त व्यय आस्थगित सरकारी अनुदान के अंतर्गत देयताओं के अंतर्गत दर्शाया गया है. विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण का वास्तविक व्यय सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित सीमा तक तथा इन फिल्मों के सीधे व्ययों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के अनुसार संपत्ति सूची में दर्शाया जाता है किंतु इन फिल्मों में खर्च की गई शेष राशि के परंतु, जिसे सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है उसे `क्षेत्रीय फिल्म निर्माण के लिये अग्रिम' में दर्शाया गया है. प्राप्त राशि तथा संबंधित फिल्मों के निर्माण पर व्यय फिल्म के रिलीज होने पर क्रमशः आय और व्यय में दर्शाया गया है. फिल्म के रिलीज के लिये तैयार हो जाने पर निगम अपनी आय के लिये कुल निर्माण लागत का 10 प्रतिशत अपने कमीशन के रूप में चार्ज करता है.

ख.8 सेवा परियोजनाओं से प्राप्त आय को वस्तुतः आधार पर मान्य किया जाता है.

ख.9 कपनी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) कार्यालय स्थापित करने के लिए फंडस मिले हैं. कंपनी को फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) स्थापित करने के लिए हुए खर्च पर 9 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी. कंपनी ने खर्च पर आधारित राजस्व तथा सर्विस चार्ज मिला कर लेखा प्रस्तुत किया तथा उसे राजस्व की मद के अंतर्गत दर्ज किया. विवरण के लाभ/मद में कुल खर्च संचालन व्यय में दर्शाया गया. मंत्रालय की ओर से प्राप्त फंडस को तुलन पत्र में कुल आधार पर अन्य दीर्घकालीन दायित्वों के अंतर्गत दर्शाया गया है. तथा मंत्रालय से प्राप्त अन्य फंड लघुकालीन ऋण एवं अग्रिमों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

ग. स्थायी परिसंपत्तियां तथा मूल्य ह्रास

ग.1 स्थायी परिसंपत्तियों की मूल लागत (सकल ब्लॉक) से संचित मूल्यह्रास को घटा कर दर्शायी गई है. अधिग्रहण की कीमत अथवा निर्माण में परिवहन शुल्क, महसूल, कर, अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक खर्च, स्थापना अथवा निर्माण व्यय, आरोप्य ब्याज और वित्तीय खर्च आदि को तब तक शामिल किया जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां निर्दिष्ट उपयोग के लिये बन कर तैयार न हो जाएं.

ग.2 परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची क्रमांक II में "दरों पर शेष घटाव" पद्धति के अनुसार किया जाता है जब तक कि नीचे कहा न जाय.

B.4 Interest on loans for Films and Purchase of Equipment/ Construction of theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

B.5 Revenue and Expense in respect of Media Campaigns released on behalf of various ministries/clients are recognized in the year in which the related advertisement or commercial spots are telecast/broadcast/appear before the public and in respect of which necessary intimation is received by the agency from the channel/theatre/website for successful telecast/broadcast. Campaigns commencing in a financial year and concluding in next financial year are recognized in the respective financial years on the basis of advertisement or commercial spots telecasted/broadcasted during that year.

B.6 Revenue and Expense in respect of Non-Feature Films produced during the year on behalf of various ministries/ clients are not recognized until the goods have been formally accepted by the client or the client has done an act adopting the transaction.

B.7 The funds received from the Government of India for Film Production in various Indian languages and the expenditure incurred up to year end out of the same is shown on net basis under other long term liabilities in the Balance Sheet. The actual expenditure incurred on production of films in various Indian languages that are incomplete at the year end and to the extent certified by Chartered Accountants is shown as Inventory. The amount received and the expenditure incurred on production of respective films is shown as Income and Expenditure respectively when the Film is ready for release. The Company accounts for its income by way of Production Fee at 10% of the cost of production of such films when the film is ready for release.

B.8 Income from Service Projects is recognized on Accrual basis.

B.9 The Company has received funds from Ministry of Information and Broadcasting, Government of India for setting up of Film Facilitation Office (FFO). The company will be paid compensation at the rate of 9% on expenditure incurred for setting up of Film Facilitation Office. The Company has accounted the revenue based on expenditure incurred plus the service charge and disclosed the same under the head revenue from operation and the total expenses incurred has been disclosed under the head operating expenditure in the Statement of Profit and Loss. The funds received from ministry is shown on net basis under other long term liabilities in the Balance Sheet and any funds receivable from ministry is shown under Short term loans and advances.

C. Fixed Assets and Depreciation/Amortization

C.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition or construction less accumulated depreciation/amortization and impairment losses. Cost of acquisition or construction is inclusive of freight, duties, taxes, incidental expenses relating to acquisition, cost of installation/erection, attributable interest and financial cost till such time assets are ready for its intended use.

C.2 Depreciation on assets has been provided on the “Written Down Value” based on useful life of the assets as prescribed under of Schedule II of the Companies Act, 2013 unless otherwise stated below.

ग.3 पट्टे की भूमि का पट्टे की समयावधि तक ही परिशोधन किया जाता है.

ग.4 हेड प्लैंट और मशीनरी के तहत ऑडियो- विज्युअल तकनीकी उपकरण से सम्बंधित मूल्यह्रास सीधी रेखा पधति के आधार पर प्रदान किया जाता है.

ग.5 मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास पूंजी में परिणत मूल्य के 95 प्रतिशत तक लिया जाता है. बाकी का 5 प्रतिशत अधिनियम के अनुरूप अंशोद्धार मूल्य के रूप में रखा जाता है.

ग.6 अमूर्त संपत्तियों को 5 साल की अवधि में बढ़ाया जाता है.

ग.7 मूल्यह्रास उनकी अनुवृद्धि अथवा बिक्री की तारीख से, जैसा भी केस हो, यथाअनुपात से उपलब्ध कराया गया है.

ग.8 जो फिल्में पूरी हो गई लेकिन जिनके अधिकार बेचे नहीं गये, उनमें से प्रत्येक की कीमत नाममात्र ₹ 1 रखी गयी है.

घ. परिसंपत्तियों का हानिकरण/क्षति

'परिसंपत्तियों के हानिकरण' के लेखा मानक 28 (ए एस-28) के अनुरूप, जहां कहीं भी कंपनी की संपत्तियों के हानिकरण का संकेत है, कंपनी की परिसंपत्ति की राशि का हर तुलनपत्र में पुनरीक्षण किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वह आंतरिक अथवा बाह्य कारणोंपर आधारित है. यदि क्षति के कारण कोई नुकसान हुआ हो तो उसका उल्लेख लाभ-हानि के विवरण में किया जाता है बशर्ते कि प्रतिप्राप्ति परिसंपत्ति की आगे लाई गई राशि इसकी अनुमानित प्रतिप्राप्ति राशि से अधिक हो. परिसंपत्ति की प्रतिप्राप्ति राशि का अनुमान इसके शुद्ध उच्चतम विक्रय मूल्य तथा उपयोग में आ रही कीमत से लगाया जाता है. उपयोग में आ रही कीमत का अनुमान लगाते समय भविष्य के अनुमानित रोकड़ प्रवाहों के वर्तमान मूल्य का पूंजी के औसतन मूल्य के अनुसार बट्टा-काटा कर दिया जाता है. हानिकर के बाद परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान कर दिया जाता है. इसके पहले की स्वीकृत हानिकरण/क्षति का परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार प्रावधान कर दिया जाता है या उसे पीछे ले लिया जाता है.

ड़. विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देन

विदेशी मुद्रा में किये गये लेन देनों का लेखा रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि पर लागू लेन देन की तारीख विनिमय दर के आधार पर किया जाता है. सभी मौद्रिक परिसंपत्तियां और देयताएं तुलनपत्र की तारीख के दिन लागू विनिमय दरों के अनुसार पुनर्व्यक्त की जाती हैं. विनिमय दरों में आने वाले अंतर को लाभ अथवा हानि के विवरण में चार्ज/क्रेडिट कर दिया जाता है. गैर मौद्रिक आइट्म्स जो ऐतिहासिक मूल्य के तौर पर विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित किये जाते हैं, वे विनिमय की तारीख को चल रहे विनिमय दरों के अनुसार रिपोर्ट किये जाते हैं.

च. संदेहास्पद कर्जों/अग्रिमों/ऋणों के संबंध में प्रावधान

च.1 सरकारी देनदारियों को छोड़ कर उन सभी विविध कर्जदारों,/ अन्य कर्जों के संबंध में जो तीन साल से ज्यादा की अवधि से बकाया हों,

च.2 सरकारी देनदारियों के संबंध में उस सीमा तक के लिए प्रावधान किये गये हैं जहां प्रबंधन की राय यह हो कि इनकी वसूली संभव नहीं.

च.3 ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में उस सीमा तक के लिए प्रावधान किये गये हैं जहां प्रबंधन की राय यह हो कि इनकी वसूली संभव नहीं.

छ. संपत्ति सूची

छ.1 संपत्ति सूची में डीवीडी शामिल है

छ.2 सिनेमाज ऑफ इंडिया लेबल के अंतर्गत वीडियो कैसेट्स के स्टॉक तथा डीवीडी का मूल्यांकन लागत के निचले स्तर तथा शुद्ध प्राप्त करने योग्य मूल्य पर किया गया है. लागत का निर्धारण एफआईएफओ पद्धति के अनुरूप किया गया है.

C.3 Leasehold land is amortized over the period of lease.

C.4 Depreciation in respect of audio–visual technical equipment's under the head Plant and Machinery has been provided on the Straight Line Method.

C.5 Depreciation on tangible fixed assets is charged upto 95% of capitalized value, retaining the balance 5% as salvage value as per the Act.

C.6 Intangible assets are amortized over the period of 5 years.

C.7 Depreciation has been provided on pro-rata basis from the date of addition/upto the date of sale as the case may be.

C.8 Completed films for which rights have not been sold out are valued at a nominal value of ₹ 1 each.

D. Impairment of Assets

In accordance with Accounting Standard 28 (AS 28) "Impairment of Assets," where there is an indication of impairment of the Company's assets, the carrying amounts of the Company's assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any impairment based on internal/external factors. An impairment loss, if any, is recognized in the Statement of Profit and Loss, wherever the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount. The recoverable amount of the assets is estimated at its net selling price or its value in use, whichever is higher. In assessing the value in use, the estimated future cash flows are discounted to the present value at the weighted average cost of capital. After impairment, depreciation is provided on the revised carrying amount of the assets over its remaining useful life. Previously recognized impairment loss is further provided or reversed depending on changes in circumstances.

E. Foreign Currency Transactions

Transactions in foreign exchange are accounted for at the date of transaction. Foreign currency monetary items of assets & liabilities are reported using exchange rates prevailing at the close of the year and exchange difference arising there from is charged/credited to the Statement of Profit and Loss. Non-monetary items which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

F. Provision for Doubtful debts/Advances/Loans

F.1 In respect of all Sundry Debtors/other Debts outstanding for a period of more than 3 years other than Government dues.

F.2 In respect of Government dues, provisions are made to the extent considered not recoverable in the opinion of the management.

F.3 In respect of Loans & advances, the provisions are made for the loans and the advances to the extent considered not recoverable by the management.

G. Inventories

G.1 Inventories include DVDs.

G.2 Inventory of video-cassettes and DVDs under Cinemas of India label have been valued at lower of cost and net realizable value, cost is determined as per FIFO method.

ज. कराधान

चालू करों के लिये प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधान के अंतर्गत अभिस्वीकृत लाभ पर विचार करने के बाद किया जाता है. आस्थगित कर जो खातों तथा करयोग्य लाभ के बीच टाइमिंग डिफरेंस का नतीजा होता है, उसका तुलनपत्र में लेखा बाद में निर्धारित किये गये नियमों तथा कर की दरों अनुरूप कर दिया जाता है. आस्थगित कर संपत्तियां जो हानि को आगे लाये जाने तथा असमाविष्ट मूल्यह्रास से होती हैं उन्हे केवल उस सीमा तक मान्य किया जाता है जहां तक इस बात की वास्तविक सुनिश्चितता होती है कि परिसंपत्ति को भविष्य में वसूल किया जा सकता है.

झ. प्रतिअंश आय

प्रति इक्विटी शेयर की आय (प्रारंभिक/तनूकृत) को इक्विटी अंशधारकों को वर्ष के लिये शुद्ध लाभ एवं हानि (देय करों को घटा कर) में वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभक्त करके आकलित किया जाता है.

ड़. कर्मचारियों के लाभ

1) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के कर्मचारियों की भविष्य निधि, जो सरकार के भविष्य निधि फंड तथा कार्मिक कल्याण फंड के अंतर्गत संचालित की जाती है, को परिभाषित अंशदान योजना माना जाता है. इन परिभाषित अंशदान योजनाओं में कंपनी द्वारा दे दिये गये अथवा देय अंशदान उस अवधि में, जब कार्मिक संबंधित सेवा में कार्यरत है, लाभ तथा हानि लेखाओं में `व्यय' के तौर पर मान्य किये गये हैं. उक्त फंड से फायदा पाने वाले को प्रतिवर्ष दिये जाने वाले ब्याज की दर सरकार द्वारा घोषित की जाती है. विनियोग से मिलने वाले मुनाफे और ब्याज दर के बीच अगर कोई अंतर हो तो उस कमी की भरपाई करने का कंपनी पर कोई नैतिक बंधन नहीं है.

2) परिभाषित हितकारी योजना

ग्रेचुइटी अथवा लंबे समय तक मुआवजा प्राप्त अनुपस्थिति जैसी कंपनी की बाध्यताओं को परिभाषित बेनेफिट योजना माना जाता है. इन परिभाषित हितकारी योजनाओं के अंतर्गत इनका वर्तमान मूल्य `प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड' के द्वारा `विशेषज्ञ द्वारा आंके गये मूल्य' के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है जिसमें सेवा की हर अवधि को कार्मिक को लाभ की एक अतिरिक्त यूनिट के हकदार के रूप में मान्य किया जाता है तथा अंतिम अनुग्रह के लिए हर यूनिट को अलग गिना जाता है. हानि तथा लाभ के विवरण में विशेषज्ञ द्वारा आंके गये लाभ अथवा हानि को तुरंत मान्य कर लिया जाता है. कंपनी के अनुग्रहों को अनुमानित भविष्य रोकड़ प्रवाह की वर्तमान कीमत से मापा जाता है जिसमें डिस्काउन्ट की दर का प्रयोग किया जाता है. डिस्काउन्ट की दर का निर्धारण सरकारी प्रतिभूतियों में तुलनपत्र की तारीख में बाजार की अनुकूलता के संदर्भ से किया जाता है.

त. पट्टे

संचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टों के भुगतान को लाभ तथा हानि के विवरण में पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर मान्य किया जाता है

थ. प्रावधानो तथा आकस्मिक देयताएं

प्रावधानो वे देयताएं हैं जिन्हें जिन्हें सिर्फ विशिष्ट अनुमान स्तर को प्रयुक्त करके आंका जा सकता है. उन्हें हर एक तुलनपत्र की दिनांक पर दर्शाया जाता है तथा चालू प्रबंधन आकलन पर परावर्तित करके समायोजित किया जाता है. आकस्मिक देयताएं उपयुक्त अनुगृहीत मामलों में प्रकट हो सकती हैं जहां संसाधन की गति की संभावना निश्चित नहीं है अथवा दायित्व राशि का विश्वसनीय आकलन बनाया नहीं गया है.

H. Taxation

Provision for current tax is made after taking into consideration benefit admissible under the provisions of Income Tax Act, 1961. Deferred tax resulting “timing differences” between book and taxable profit is accounted for using the tax rates and laws that have been enacted or substantively enacted as on the balance sheet date. Deferred tax asset is recognized and carried forward only to the extent that there is a virtual certainty that the asset will be realized in future.

I. Earning Per Share

Earning per equity share (Basic/Diluted) is calculated by dividing the Net Profit or Loss for the year attributable to Equity Shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year.

J. Employee Benefits

1) Defined Contribution Plan

The Company’s Employee’s Provident Fund administered through Government Provident Fund and Labour Welfare Fund are considered as Defined Contribution Plans. The Company’s contributions paid/payable towards these defined contributions plan are recognized as expense in the Statement of Profit and Loss during the period in which the employee renders the related service. The interest rate payable by the said funds to the beneficiaries every year is being notified by the Government. The Company has no obligation to make good the shortfall, if any between the return from the investment and the interest rate.

2) Defined Benefit Plan

Company’s liabilities towards gratuity, long term compensated absences are considered as Defined Benefit Plans. The present value of the obligations under such Defined Benefit Plans are determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method, which recognizes each period of service as giving rise to an additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. Actuarial gains and losses are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss. The obligation is measured at the present value of estimated future cash flows using a discount rate that is determined by reference to market yields at the balance sheet date on Government securities.

K. Leases

Lease transactions under operating lease are recognized as an expense or Income in the Statement of Profit and Loss on a straight-line basis over the lease term.

L. Provisions and Contingencies

Provisions are liabilities that can be measured only by using substantial degree of estimation. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates. Contingent liability is disclosed in case of possible obligation where the probability of outflow of resources is not certain or where reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

टिप्पणी – 3. शेयर पूंजी

Note – 3. Share Capital

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018		31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
प्राधिकृत	**Authorised**				
प्रत्येक 100 प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100 each	45,40,000	45,40,00,000	45,40,000	45,40,00,000
निर्गमित	**Issued**				
प्रत्येक 100 प्रति के इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100 each	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
अनुमोदित और प्रदत्त	**Subscribed & Paid up**				
प्रत्येक 100 प्रति के प्रदत्त इक्विटी शेयर्स	Equity Shares of 100 each fully Paid	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
कुल	**Total**	**45,39,985**	**45,39,98,500**	**45,39,985**	**45,39,98,500**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31/03/2018 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as on 31/03/2018		31/03/2017 को इक्विटी शेयर्स Equity Shares as on 31/03/2017	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
वर्ष के प्रारम्भ में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the beginning of the year	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500
वर्ष के दौरान आबंटन	Allotment during the year	–	–	–	–
वर्ष के अंत में बकाया शेयर्स	Shares outstanding at the end of the year	45,39,985	45,39,98,500	45,39,985	45,39,98,500

5% से ज्यादा अंशधारकों का विवरण

Details of Shareholders holding more than 5% of shareholding

अंशधारक का नाम	Name of Shareholder	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018		31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	
		शेयर धारित सं. No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding	शेयर धारित संख्या No. of Shares held	धारक का प्रतिशत % of Holding
"सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम भारत के राष्ट्रपति"	"President of India through Secretary Minstry of I&B, New Delhi"	45,39,983	99.999956%	45,39,983	99.999956%

उपर्युक्त सरकारी ऋण तथा उस पर उपार्जित व्याज को शेयर में परिवर्तन करने पर 28,40,000 शेयर्स आबंटित किये जाते है.

इक्विटी शेयर्स से संलग्न शर्तें/अधिकार

कम्पनी के पास प्रत्येक ₹ 100 शेयर्स के सिर्फ एक श्रेणी के इक्विटी शेयर्स है. कम्पनी द्वारा भारती रूपयों में लाभांश की घोषणा तथा भुगतान किया जाता है.

Of the above 28,40,000 Shares are alloted in conversion of Government Loan and interest accured theron into Share Capital.

Terms/Rights attached to Equity Shares

The Company has only one class of equity shares having par value of 100 per share. The Company declare and pays dividend in Indian Rupees.

टिप्पणी – 4. संचय और अधिशेष

Note – 4. Reserves And Surplus

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
क. पूंजीगत संचय	a. Capital Reserves	21,875	21,875
ख. अन्य संचय	b. Other Reserves		
विशेष संचय (निर्यात)	Special Reserve (Exports)	2,10,861	2,10,861
ग. अधिशेष	c. Surplus		
गत वित्तीय विवरण के अनुसार शेष	Balance as Per last financial statement	(23,90,23,685)	(21,99,23,432)
घटाईएं : प्रारम्भिक प्रतिधारित आय के सामने मूल्य-ह्रास समायोजन	Less : Depreciation adjusted against opening retained earnings	–	–
शुध्द लाभ/(शुध्द हानि) चालू वर्ष के लिए	Add : Net Profit/(Net Loss) for the current year	14,54,37,391	(1,91,00,253)
अंतिम शेष	Closing Balance	(9,35,86,294)	(23,90,23,685)
कुल	**Total**	**(9,33,53,558)**	**(23,87,90,949)**

टिप्पणी – 5. दीर्घकालिक ऋण

Note – 5. Long Term Borrowings

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	गैर चालू Non-Current		चालू Current	
		31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
सुरक्षित	**Secured**				
बैंक द्वारा आवधिक ऋण	Term Loan from Bank	60,23,288	1,00,50,616	40,38,456	40,38,456
घटाईएं : अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत प्रकट राशि (टिप्पणी सं. 9)	Less : Amount disclosed under other current Liabilities (Note No.9)			40,38,456	40,38,456
कुल	**Total**	**60,23,288**	**1,00,50,616**	**–**	**–**

क) चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय के सभी संयंत्र और मशीनरी और अन्य चल संपत्ति के अभिरक्षा में बंधक द्वारा चेन्नई में थियेटर के निर्माण हेतु सावधि ऋण लिया गया था उपरोक्त आवधिक ऋण @ 15.25% प्रति वर्ष ब्याज किया जाता है तथा अप्रैल 2014 से ₹ 3,36,538 प्लस ब्याज के 78 समान किस्तों में प्रतिदेय है.

a) Term loan was taken for the purpose of construction of theatre at Chennai, secured by hypothecation of all Plant and machinery and other moveable assets of Chennai Regional Office. The said term loan carries interest @ 15.25% p.a. and is repayable in 78 equal instalments of ₹ 3,36,538 Plus interest starting from April 2014.

टिप्पणी – 6. अन्य दीर्घकालिक देयताएं

Note – 6. Other Long Term Liabilities

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी संख्या - 29)	**Advance received from Ministry of Information and Broadcasting (Refer Note : 29)**		
फिल्म निर्माण के लिए	For Film Production	5,12,27,996	6,38,40,561
घटाईये : क्षेत्रीय फिल्मों की सूची	Less : Inventory of Regional Film	1,00,00,000	1,39,95,481
फिल्म निर्माण के लिए आबंटित शेष	As allocated for Film Production	4,12,27,996	4,98,45,080
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफीस के लिए	For Film Facilitation Office*	–	–
अमानतें प्राप्त	Deposits Received	66,62,651	78,76,451
कुल	**Total**	**4,78,90,647**	**5,77,21,531**

* चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, डेबिट की शेष राशि ₹ 70,67,252 है जो अल्पावधिक ऋणों एवं अग्रिमों के तहत प्राप्त नकद अथवा किसी भी प्रकार के मूल्य में वसूली योग्य अग्रिमों में शामिल किया गया है (टिप्पणी 16 देखें)

* During the current financial year, there is a debit balance of ₹ 2,06,297 (Previous Year ₹ 70,67,252) which is clubbed in Advances recoverable in cash or kind for value to be received under Short Term Loans & Advances (Refer Note 16).

टिप्पणी – 7. दीर्घकालिक प्रावधान

Note – 7. Long Term Provisions

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
कार्मिक लाभ के लिए प्रावधान	**Provision for Employee Benefits**		
उपदान	Gratuity	3,93,41,055	4,59,60,074
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	2,72,88,953	2,91,97,872
कुल	**Total**	**6,66,30,008**	**7,51,57,946**

टिप्पणी – 8. व्यापारिक देय

Note – 8. Trade Payables

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
व्यापारिक देय	Trade Payable	2,52,63,63,519	1,05,27,36,205
कुल	**Total**	**2,52,63,63,519**	**1,05,27,36,205**

टिप्पणी – 9. अन्य चालू देयताएं

Note – 9. Other Current Liabilities

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता अवधि	Current maturities of Long Term Borrowing	40,38,456	40,38,456
ब्याज उपार्जित तथा देय	Interest Accrued and Due	2,33,146	6,95,256
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advance from Customers	32,94,79,478	42,57,88,550
निर्माण के लिए अग्रिम	Advance for Production	18,03,05,746	19,73,34,205
अन्य अग्रिम	Others Advances	45,52,815	5,28,391
सांविधिक देय	Statutory Dues	43,49,48,330	3,23,01,468
अन्य देयताएं	Other Liabilities	11,20,24,649	6,57,04,602
कुल	**Total**	**1,06,55,82,620**	**72,63,90,929**

टिप्पणी – 10. अल्पावधिक प्रावधान

Note – 10. Short Term Provisions

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
(क) कार्मिक लाभ के लिए प्रावधान	**(a) Provision for Employee Benefits**		
उपदान	Gratuity	38,28,840	43,25,173
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	44,38,783	63,39,744
(ख) कराधान के लिए प्रावधान	**(b) Provision for Taxation**		
आय कर के लिए	For Income Tax	3,49,25,096	44,10,000
कुल	**Total**	**4,31,92,719**	**1,50,74,917**

टिप्पणी – 11. स्थायी परिसम्पत्तियां और मूल्य-ह्रास

Note – 11. Fixed Assets And Depreciation

राशि रुपयों में
Amount in ₹

	विवरण	Particulars	सकल सम्पत्ति (लागत में) Gross Block [At Cost]					मूल्य-ह्रास Depreciation						शुध्द सम्पत्ति Net Block	
			01/04/2017 को	वृध्दियां	कटौतियां	बट्टे खाते में डालने/ स्थानांतरण हेतु समंजन	31/03/2018 को	01/04/2017 तक	पूर्व अवधि मूल्य-ह्रास	कटौतियां	बट्टे खाते में डालने/ स्थानांतरण हेतु समंजन	वर्ष के लिए	31/03/2018 तक कुल	31/03/2018 को	31/03/2017 को
			As At 01/04/2017	Addition	Deduction	Adjustment For Write Off/Transfer	As At 31/03/2018	Upto 01/04/2017	Prior Period Depreciation	Deduction	Adjustment For Write Off/Transfer	For The Year	Total Upto 31/03/2018	As At 31/03/2018	As At 31/03/2017
A	**वास्तविक परिसम्पत्तियां**	**Tangible Asset**													
1	पट्टेपर भूमी	Leasehold Land	1,38,000	–	–	–	1,38,000	46,479	–	–	–	–	46,479	91,521	91,521
2	इमारत	Building	3,62,95,754	2,59,935	–	–	3,65,55,689	1,36,87,928	–	–	–	20,45,108	1,57,33,036	2,08,22,653	2,26,07,826
3	कार्यालय उपकरण	Office Equipments	1,69,30,310	4,97,681	1,50,802	4,45,237	1,68,31,952	1,30,59,045	6,49,238	1,04,015	4,36,396	12,71,134	1,44,39,005	23,92,946	38,71,265
4	संयत्र तथा मशीनरी	Plant & Machinary	3,71,49,935	1,40,854	–	–	3,72,90,789	2,27,30,741	4,111	–	–	25,84,087	2,53,18,939	1,19,71,850	1,44,19,194
5	कम्प्यूटर्स	Computers	1,36,41,969	17,03,472	1,46,505	5,52,768	1,46,46,168	1,09,48,674	5,04,505	1,31,770	5,39,294	15,70,594	1,23,52,709	22,93,458	26,93,295
6	सज्जा सामग्री और उपस्कर	Furniture & Fixture	4,38,27,454	2,62,955	–	5,61,191	4,35,29,218	2,57,18,253	23,02,961	–	4,91,434	43,83,281	3,19,13,061	1,16,16,157	1,81,09,201
7	वाहन	Vehicles	38,04,285	–	–	–	38,04,285	20,55,834	2,34,418	–	–	4,68,982	27,59,234	10,45,051	17,48,451
8	इलेक्ट्रिकल फिटिंग	Electrical Fittings	75,87,302	71,983	–	–	76,59,284	28,49,072	4,67,320	–	–	11,26,645	44,43,037	32,16,247	47,38,230
9	अस्थायी संरचना	Temprory Structure	97,203	–	–	–	97,203	97,203	–	–	–	–	97,203	0	0
10	पदक	Medals	42	–	–	–	42	–	–	–	–	–	–	42	42
	कुल	Total	15,94,72,253	29,36,879	2,97,307	15,59,196	16,05,52,629	9,11,93,229	41,62,552	2,35,785	14,67,124	1,34,49,831	10,71,02,703	5,34,49,926	6,82,79,024
B	**अवास्तविक परिसम्पत्ति**	**Intangible Asset**													
1	फिल्म अधिकार	Film Rights	270	–	–	–	270	–	–	–	–	–	–	270	270
2	सॉफ्टवेयर	Software	18,18,256	38,26,392	–	–	56,44,648	11,23,954	53,729	–	–	7,64,006	19,41,689	37,02,959	6,94,302
	कुल	Total	18,18,526	38,26,392	–	–	56,44,918	11,23,954	53,729	–	–	7,64,006	19,41,689	37,03,229	6,94,572
C	**पूंजी डब्ल्यूआईपी**	**Capital Wip**	27,87,774	18,90,931	21,24,061	–	25,54,644	–	–	–	–	–	–	25,54,644	27,87,774
	कुल	**Total**	**16,40,78,554**	**86,54,202**	**24,21,368**	**15,59,196**	**16,87,52,192**	**9,23,17,183**	**42,16,282**	**2,35,785**	**14,67,124**	**1,42,13,836**	**10,90,44,391**	**5,97,07,800**	**7,17,61,371**
	गत वर्ष कुल	**Previous Year**	**15,42,26,939**	**1,75,36,568**	**76,84,953**	**–**	**16,40,78,554**	**8,01,25,496**	**–**	**18,53,712**	**–**	**1,40,45,400**	**9,23,17,183**	**7,17,61,371**	**7,41,01,443**

टिप्पणी – 12. दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम Note – 12. Long Term Loans And Advances

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018		31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	
1) कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	**1) Loans and advances to Staff**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good,	–	–	960	960
2) फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण	**2) Loans for Production of Films**				
संदिग्ध	Doubtful	1,44,02,720		1,44,02,720	
घटाइएं : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Less:Provision for doubtful loans	1,44,02,720	–	1,44,02,720	–
3) सिनेमागृह के निर्माण के लिए ऋण	**3) Loans for Construction of Theatres**				
संदिग्ध	Doubtful	2,98,703		2,98,703	
घटाइएं – संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less:Provision for doubtful loans	2,98,703	–	2,98,703	–
4) अमानते	**4) Deposits**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	1,44,56,214		1,39,68,572	
संदिग्ध	Considered Doubtful	31,230		31,230	
घटाइएं : संदिग्ध अमानतों के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful Deposits	31,230	1,44,56,214	31,230	1,39,68,572
कुल	**Total**		**1,44,56,214**		**1,39,69,532**

टिप्पणी – 13. सम्पत्ति सूची Note – 13. Inventories

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
तैयार सामान	**Finished Goods**		
डीवीडी का स्टॉक	Stock of DVD	10,14,792	10,85,761
कुल	**Total**	**10,14,792**	**10,85,761**

टिप्पणी – 14. व्यापारिक प्राप्य

Note – 14. Trade Receivables

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
अप्रतिभूत	Unsecured		
क) छः महीने से ज्यादा बकाया व्यापारिक प्राप्तियां	**a) Trade Receivables outstanding more than six months**		
असंदिग्ध	Considered Good	56,09,89,619	37,40,15,945
संदिग्ध	Considered Doubtful	19,90,87,982	20,48,85,170
		76,00,77,601	57,89,01,114
घटाइएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Debts	19,90,87,982	20,48,85,170
		56,09,89,619	37,40,15,945
ख) अन्य	**b) Others**		
असंदिग्ध	Considered Good	55,78,51,960	59,09,16,852
कुल	**Total**	**1,11,88,41,580**	**96,49,32,797**

जैसे की संग्रहण की नियत तारीख परिभाषित नही की है इसलिए बिल की तारीख को नियत तिथि माना गया है.

As the due date of collection has not been defined hence bill date is considered as due date.

टिप्पणी – 15. रोकड तथा रोकड़ प्रवाह

Note – 15. Cash And Bank Balances

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
1. रोकड़ तथा रोकड़ समतुल्य	**1. Cash and Cash Equivalent**		
क) बैंक में शेष	a) Balances with Banks		
(i) चालू खाते में	(i) Current Account	4,89,25,900	3,52,29,600
(ii) मूल परिपक्वता के साथ 3 महिनों से कम की सावधि जमा पूंजी.	(ii) Term Deposits with original maturity of less than 3 months	1,34,01,05,620	37,67,49,742
ख) रोकड़ बाकी	b) Cash on Hand	3,56,817	71,318
		1,38,93,88,336	**41,20,50,660**
2. अन्य बैंक शेष	**2. Other Bank Balance**		
(i) मूल परिपक्वता के साथ 3 महिनों से अधिक की सावधि जमा पूंजी.	(i) Term Deposits with original maturity of more than 3 months		
12 महिनों से कम	but less than 12 months	15,69,213	11,04,53,850
(ii) मूल परिपक्वता के साथ 12 महिनों से अधिक की सावधि जमा पूंजी.	(ii) Term Deposits with maturity for more than 12 months	44,97,71,075	5,31,91,579
(iii) बैंक गारंटी के सामने मार्जिन राशि के रूप में रखे अवधि जमा	(iii) Term Deposits held as margin money against bank guarantee.	8,28,22,875	3,98,08,329
		53,41,63,163	**20,34,53,758**
कुल	**Total**	**1,92,35,51,499**	**61,55,04,418**

टिप्पणी – 16. अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम

Note – 16. Short Term Loans And Advances

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018		31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017	
1) कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	**1) Loans and advances to Staff**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	4,711	4,711	1,40,708	1,40,708
2) नगद या वस्तुरूप में प्राप्य मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	**2) Advances recoverable in cash or kind for value to be received**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	5,50,28,001		12,57,50,759	
संदिग्ध	Considered Doubtful	12,18,000		12,18,000	
घटाईएं: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Loans	12,18,000	5,50,28,001	12,18,000	12,57,50,759
सेवा कर प्राप्य/जीएसटी	Service Tax Receivable/ GST	69,38,70,417		12,28,77,630	
वैट प्राप्य	VAT Receivable	20,857		20,857	
कर का अग्रिम भुगतान	Advance Payment of Tax	11,94,89,417	81,33,80,691	8,92,25,432	21,21,23,919
3) स्वकीय फिल्मों के लिए अग्रिम	**3) Advances for Own Production of Films**				
अप्रतिभूत, असंदिग्ध	Unsecured, Considered Good	7,876	7,876	7,513	7,513
कुल	**Total**		**86,84,21,279**		**33,80,22,899**

टिप्पणी – 17. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

Note – 17. Other Current Assets

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31 March 2018	31 मार्च 2017 को As at 31 March 2017
स्थायी जमा पर उपार्जित व्याज	Interest Accured on Fixed Deposit	2,19,45,872	18,34,376
कुल	**Total**	**2,19,45,872**	**18,34,376**

टिप्पणी – 18. प्रचलन से आय

Note – 18. Revenue From Operation

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18 Year 2017–18		वर्ष 2016-17 Year 2016–17	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		–		–
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		1,46,85,34,248		67,62,52,842
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस	Film Facilitation Office		2,18,97,496		2,85,56,130
मीडिया कैपेन	Media Campaign		2,46,69,50,351		73,90,16,977
फिल्मों का वितरण	**Distribution of Films**				
विदेशी	Overseas	39,92,971		1,05,92,515	
घरेलू	Domestic	1,66,87,057	2,06,80,028	9,90,20,451	10,96,12,966
सेवा परियोजनाएं	**Service Projects**				
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar		2,37,51,795		2,50,83,905
प्रशिक्षण/कार्यशाला	Training/Workshop		3,02,00,559		1,33,93,712
समारोह	Festivals		16,44,98,126		1,89,22,065
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		76,83,239		1,05,72,971
कुल	**Total**		**4,20,41,95,842**		**1,62,14,11,569**

टिप्पणी – 19. अन्य आय

Note – 19. Other Income

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18 Year 2017-18	वर्ष 2016-17 Year 2016-17
कार्यालय भवनों का किराया	Rent from Office Premises	1,74,05,960	1,70,45,617
बैंक स्थायी जमाराशि पर व्याज	Interest on Bank Fixed Deposit	4,50,59,251	1,13,24,881
बैंको की संचित धन पर व्याज	Interest on Savings Bank	79,633	22,452
टीडीएस रिफंड पर ब्याज	Interest on TDS Refund	12,72,416	1,41,85,131
विविध आय	Miscellaneous Income	6,90,440	4,26,178
पूर्व कालीन मदें	Prior Period Items	–	83,66,256
प्रावधानों वापिस	Provisions written back	8,38,817	–
जमा शेष वापिस	Credit Balances written back	46,59,583	86,89,983
कुल	**Total**	**7,00,06,100**	**6,00,60,497**

टिप्पणी – 20. प्रचलित व्यय Note – 20. Operating Expenditure

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-2018 Year 2017-18		वर्ष 2016-2017 Year 2016-17	
फीचर फिल्म निर्माण	Feature Film Production		-		-
गैर फीचर फिल्म निर्माण	Non Feature Film Production		1,13,38,13,142		59,98,65,052
फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस	Film Facilitation Office		2,00,89,446		2,61,98,285
मीडिया कैम्पेन	Media Campaign		2,47,73,07,015		74,43,89,327
फिल्मों का वितरण	**Distribution of Films**				
विदेशी	Overseas	30,90,407		26,70,022	
घरेलू	Domestic	1,35,44,097	1,66,34,504	1,33,32,670	1,60,02,691
सेवा परियोजनाएं	**Service Projects**				
कार्यशाला/बाजार/फिल्म बाजार	Workshop/Market/Film Bazaar		4,10,62,085		6,08,88,824
प्रशिक्षण एवं विकास	Training & Development		94,98,045		1,05,74,931
समारोह	Festivals		15,28,67,749		1,70,07,239
पूर्व दर्शन प्रेक्षागार	Preview Theatre		35,68,326		38,77,734
कुल	**Total**		**3,85,48,40,312**		**1,47,88,04,084**

टिप्पणी – 21. सम्पत्ति सूची में (वृध्दि)/कमी Note – 21. (Increase)/Decrease In Inventories

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18 Year 2017-18	वर्ष 2016-17 Year 2016-17	(वृध्दि)/कमी वर्ष 2017-18 (Increase)/ Decrease Year 2017-18	(वृध्दि)/कमी वर्ष 2016-17 (Increase)/ Decrease Year 2016-17
डीवीडी का स्टॉक	Stock of DVD	10,14,792	10,85,761	70,969	(1,78,195)
कुल	**Total**	**10,14,792**	**10,85,761**	**70,969**	**(1,78,195)**

टिप्पणी – 22. कार्मिक लाभ व्यय Note – 22. Employee Benefit Expenses

राशि रुपयों में Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18 Year 2017-18	वर्ष 2016-17 Year 2016-17
वेतन, भत्ते और बोनस	Salaries, Wages and Bonus	6,34,57,012	6,63,73,124
भविष्य निधियों में अंशदान	Contributions to Provident Fund	55,41,985	59,48,894
अन्य निधियों में अंशदान	Contributions to Other Fund	44,233	45,881
छुट्टी का भुगतान	Leave Encashment	23,84,210	53,47,276
उपदान	Gratuity	32,80,563	78,48,266
मेडीकल व्यय	Medical Expenses	51,31,369	42,78,394
कुल	**Total**	**7,98,39,372**	**8,98,41,834**

टिप्पणी – 23. अन्य व्यय

Note – 23. Other Expenses

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2016-17
		Year 2017-18	Year 2016-17	Year 2017-18	Year 2016-17
विज्ञापन और प्रसार	Advertisement and Publicity			1,00,701	47,680
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक	Auditors Remuneration			5,50,000	5,50,000
बैंक प्रभार	Bank Charges			6,48,094	1,25,632
अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये	Bad Debts Written Off	60,86,291	1,50,197		
घटाइएं : संदिग्ध ऋणों के प्रावधान का उपयोग	Less : Provision for Doubtful Debts Utilised	53,09,474	86,123	7,76,817	64,074
निदेशकों का यात्रा व्यय	Director's Travelling Expenses			8,72,812	12,69,395
बिजली प्रभार	Electricity Charges			29,09,257	31,91,171
फाइलिंग फीस	Filing Fees			1,800	2,000
स्थायी परिसम्पत्तियां बट्टे खाते में डाले गये	Fixed Assets Written Off			92,071	–
बीमा	Insurance			3,20,469	3,36,928
टीडीएस तथा सेवा करों पर ब्याज	Interest on TDS and Service Tax			11,42,033	17,05,210
विधि व्यय	Legal Expenses			32,91,072	39,45,753
विदेशी मुद्रा विनिमय के उतार चढाव पर हानि	Loss on Foreign Exchange Fluctuation			39,466	7,72,637
परिसम्पत्ति के बिक्री पर हानि	Loss on Sale of Assets			9,566	35,909
कार्यालयीन सामान्य व्यय	Office General Expenses			35,82,620	28,91,948
डाक, तार, टैलेक्स और टेलिफोन व्यय	Postage,Telgrams, Telex and Telephone Expenses			13,19,633	10,78,874
छपाई और लेखन सामग्री	Printing & Stationery			16,55,858	14,36,697
कार्यालयीन सामान्य व्यय	Professional Charges			4,65,74,502	3,72,04,310
संदिग्ध ऋणों/ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loan/Advance			3,51,104	15,31,711
पूर्व अवधि मदें	Prior Period Items			95,40,573	–
दरों एवं करों	Rates & Taxes			15,51,930	14,12,784
भर्ती व्यय	Recruiting Exp			1,67,809	97,574
किराया भुगतान	Rent Paid			1,33,31,960	1,35,63,133
मरम्मत और अनुरक्षण	Repairs & Maintenance			49,46,723	44,52,682
सुरक्षा सेवा प्रभार	Security Services Charges			29,36,024	25,46,780
सेवा कर प्रदत्त	Service Tax Paid			2,44,724	12,64,302
कार्मिक कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses			17,43,285	17,03,919
स्वच्छता कार्य योजना व्यय	Swachhta Action Plan Expenses			38,98,621	33,35,407
यात्रा और स्थानिक यात्रा व्यय	Travelling and Local Conveyance Expenses			82,43,849	81,06,909
प्रदत्त/सीएसटी वैट	CST/VAT Paid			4,521	2,788
कुल	**Total**			**11,08,47,893**	**9,26,76,207**

टिप्पणी – 24. वित्तीय लागत

Note – 24. Finance Cost

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	वर्ष 2017-18 Year 2017-18	वर्ष 2016-17 Year 2016-17
ब्याज व्यय	Interest Expense	15,97,240	56,05,867
कुल	**Total**	**15,97,240**	**56,05,867**

टिप्पणी – 25. आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया –

Note – 25. Contingent Liabilities not provided for –

राशि रुपयों में
Amount in ₹

	विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
1	निगम के विरूध्द कानूनी प्रकरण	Legal cases against the Company	7,91,15,079	7,63,49,079
2	परिसर हेतु किराये में वृध्दि के लिए निगम विरूध्द दावा सिविल न्यायालय में अनिर्णित ऋण की वजह से मान्य नही किये गये	Claim against Company for increase in rental for the premises not acknowledged as debts pending in Civil Court.	10,38,080	10,38,080
3	दुष्प्रस्तुतिकरण एवं दस्तावेजों को जब्त करने के आरोप में निलंबन हुए वरिष्ठ महाप्रबंधक को देय शेष वेतन	Balance salary payable to Senior General Manager, suspended earlier on the charges of mis-representation of facts and impounding of documents.	8,46,016	8,46,016
4	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 271 (1) (सी) के जारी किए गए आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2005-06 के लिए जुर्माना	Penalty levied for the assessment year 2005-06 as per order issued u/s 271 (1) (C) of Income Tax Act 1961.	–	7,00,000
5	आयकर अधिनियम 1961 के धारा 154 के अंतर्गत आदेश के अनुसार मूल्यांकन वर्ष 2006-07 के लिए आयकर अभियाचना	Income Tax demand for the assessment year 2013-14 as per Order issued u/s 143 (3) of the Income Tax Act 1961	1,95,32,210	1,95,32,210
6	सेवा कर विभाग, चेन्नई ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2013-14 के लिए, सेनवॅट क्रेडिट नियमों के नियम 6(3) के अंतर्गत एनएफडीसी द्वारा प्राप्त अनियमित सेनवॅट क्रेडिट के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था.	Service Tax Demand towards the irregular cenvat credit availed by NFDC under Rule 14 of Cenvat Credit Rules, 2004 for the financial year 2010-11 to 2013-14.	21,78,262	21,78,262
7	ग्राहकों को दी गई बैंक गारंटी.	Bank Guarantee given to Customers	8,28,22,875	3,98,08,329
8	सेवा कर नियम, 1994 के नियम 6 के तहत सेवा कर की मांग वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) के प्रावधान के साथ पढ़ी गई.	Demand of service tax under rule 6 of service tax rules,1994 read with proviso to section 73 (1) of finance act,1994	1,58,50,899	–
	कुल	**Total**	**20,13,83,421**	**14,04,51,976**

टिप्पणी – 26.

विविध देनदारों, ऋण एवं अग्रिमों, जमानतों तथा चालू देयताओं और कुछ शेष पिछले कुछ वर्षों से चले आ रहे है, के लेखाओं के शेष का पुष्टिकरण तथा समंजन के उपरांत आई राशि, यदि कोई हो, और उसका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव हो तो इसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता.

Note – 26.

The balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including outstanding balances since last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any on reconciliation. The financial impact, if any, is unascertainable.

टिप्पणी – 27.1. अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान

वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिये ₹ 3,51,104 (पिछले वर्ष ₹ 15,31,711) के विविध देनदारों तथा ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान किया गया है. वर्ष के दौरान किये गये ₹ 53,09,474 (पिछले वर्ष ₹ 86,123) के प्रावधान को बुरे तथा संदिग्ध ऋणों के लिये काम में ले लिया गया. वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधान जो वर्ष के दौरान बट्टा काटा किये गये ₹ 8,38,817 (पिछले वर्ष कुछ नहीं).

Note – 27.1. Provision for Bad and Doubtful Debts

During the year provision for bad and doubtful debts of ₹ 3,51,104 (Previous year ₹ 15,31,711) has been made towards Sundry Debtors and Loans and Advances. Provision of ₹ 53,09,474 (Previous year ₹ 86,123) towards bad and doubtful debts has been utilized for the bad debts during the year. Excess provision written back during the year ₹ 8,38,817 (Previous year - NIL)

टिप्पणी – 27.2. मैडल्स का स्टॉक नाममात्र कीमत पर बरकरार रखा गया.

मेडल्स का स्टॉक प्रति मेडल ₹ 1 के नाममात्र मूल्य पर दर्शाया गया. इन मेडल्स का नाममात्र मूल्य स्थाई परिसंपत्तियों के शिड्यूल में दर्शाया गया है.

टिप्पणी – 27.3. लेनदारों का रिटर्न बॅक

कम्पनी के प्रबंधन ने उन मामलों में लेनदार रिटर्न बॅक करने का निर्णय किया जहां से लेनदारी की कोई उम्मीद नहीं थी. इसी के अनुरूप वर्ष के दौरान लेनदार की राशि रू 46,59,583 (पिछले वर्ष ₹ 86,89,983) रिटर्न बॅक कर दिये गये.

टिप्पणी – 28. कार्मिक लाभ

प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट का उपयोग करते हुए एक्यूएरियल वेल्यूएशन के आधार पर वेल्युएशन

(i) लाभ तथा हानि के विवरण में दिये गये मान्य खर्च

राशि रुपयों में

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2018	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2018	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2017
		Gratuity (Funded) March 31, 2018	Gratuity (Funded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2018	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	17,80,726	17,84,220	16,78,621	14,43,306
व्याज लागत	Interest Cost	34,29,454	35,46,073	24,23,665	26,46,162
कुल बीमांकिक (वृध्दि)/हानियां	Net Actuarial (Gains)/Losses	(36,35,990)	25,17,973	(17,18,076)	12,57,808
विगत सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ	Past Service Cost – Vested Benefit Recognised during the period	17,06,373	–	–	–
कुल	**Total**	**32,80,563**	**78,48,266**	**23,84,210**	**53,47,276**

Note – 27.2. Stock of Medals retained at nominal value.

Stock of Medals is disclosed at nominal values of ₹ 1 each. The nominal value of these Medals is disclosed in Fixed Assets Schedule.

Note – 27.3. Creditors Written Back

The management of the Company has decided to write back creditors in cases where there is no likelihood of liability arising. Accordingly during the year creditors amounting to ₹ 46,59,583 (Previous year ₹ 86,89,983) have been written back.

Note – 28. Employee Benefits

Valued as per Actuarial valuation using Projected Unit Credit Method

(i) Expense recognized in the Statement of Profit & Loss.

Amount in ₹

(ii) शुद्ध परिसंपत्तियां/(देनदारियां) जैसी बैलेंस शीट में दर्शाई गई हैं

राशि रुपयों में

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2018	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2018	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2017
		Gratuity (Funded) March 31, 2018	Gratuity (Funded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2018	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017
निर्धारित दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Defined Obligation	(4,57,95,404)	(5,12,22,899)	(3,17,27,736)	(3,55,37,616)
योजना परिसम्पत्तियां का शुध्द मूल्य	Fair Value of Plan Assets	26,25,509	9,37,652	–	–
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	Funded Status [Surplus/(Deficit)]	(4,31,69,895)	(5,02,85,247)	–	–
शुध्द परिसम्पत्ति/(देयताएं)	**Net Asset/(Liability)**	**(4,31,69,895)**	**(5,02,85,247)**	**(3,17,27,736)**	**(3,55,37,616)**

(ii) Net Assets/(Liability) recognized in the Balance Sheet

Amount in ₹

(iii) वर्ष के दौरान बाध्यताओं में परिवर्तन **iii) Change in Obligation during the year**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2018	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2018	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2017
		Gratuity (Funded) March 31, 2018	Gratuity (Funded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2018	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017
वर्ष के प्रारम्भ में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of the Defined Benefit Obligation at the beginning of the Year	5,12,22,899	4,54,77,229	3,55,37,616	3,37,09,072
चालू सेवा लागत	Current Service Cost	17,80,726	17,84,220	16,78,621	14,43,306
व्याज लागत	Interest Cost	34,93,402	35,69,962	24,23,665	26,46,162
विगत सेवा लागत – अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त निहित लाभ	Past Service Cost – Vested Benefit incurred during the period	17,06,373	–	–	–
देयताएं हस्तांतरित/अधिग्रहण	Liability transferred in/ acquisitions	2,78,674	–	20,098	6,79,850
देयताएं स्थानांतरित/विनिवेश	Liability Transferred out/ Divestment)	(2,29,828)	–	–	–
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	Actuarial (Gains)/Losses	(35,11,791)	25,79,619	(17,18,076)	12,57,808
लाभ भुगतान	Benefit Payments	(89,45,051)	(21,88,131)	(62,14,188)	(41,98,582)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**Present Value of the Defined Benefit obligation at the end of the year**	**4,57,95,404**	**5,12,22,899**	**3,17,27,736**	**3,55,37,616**

(iv) वर्ष के दौरान परिसंपत्तयों में परिवर्तन **(iv) Change in Assets during the year**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2018	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2018	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2017
		Gratuity (Funded) March 31, 2018	Gratuity (Funded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2018	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017
वर्ष के प्रारम्भ में योजित परिसम्पत्तियों का शुध्द मूल्य	Fair Value of Plan Assets at the beginning of the Year	9,37,652	3,04,313	–	–
योजना परिसम्पत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	Expected Return on Plan Assets	63,948	23,889	–	–
नियोक्ता द्वारा अंशदान	Contribution by Employer	1,01,66,087	27,35,935	–	–
परिसम्पत्तियां स्थानांतरित/ अधिग्रहण	Assets Transferred In/ Acquisitions	2,78,674	–	–	–
प्रदत्त वास्तविक लाभ	Actual Benefits Paid	(89,45,051)	(21,88,131)	–	–
योजना परिसम्पत्ति पर बीमांकित लाभ/(हानियां)	Actuarial Gains/(Losses) on Plan Assets	1,24,199	61,646	–	–
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का शुध्द मूल्य	**Fair Value of Plan Assets at the year end**	**26,25,509**	**9,37,652**	**–**	**–**

(v) वस्तुत: पूर्वानुमान **v) Actuarial Assumptions**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Description	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2018	उपदान (निधि द्वारा) मार्च 31, 2017	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2018	छुट्टी का भुगतान (निधि द्वारा नहीं) मार्च 31, 2017
		Gratuity (Funded) March 31, 2018	Gratuity (Funded) March 31, 2017	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2018	Leave Encashment (Unfunded) March 31, 2017
बट्टागत दर	Discount Rate	7.80%	6.82%	7.80%	6.82%
योजना परिसम्पत्तियों पर आय की दर	Rate of Return on Plan Assets	7.80%	6.82%	–	–
वेतन वृध्दि दर	Salary Escalation Rate	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

*वर्ष में उपलब्ध लीव बेनिफिट सहित जिसे वर्ष में किये गये पारिश्रमिक में समाहित किया गया है.

(क) भविष्य में होने वाली वेतन में बढोत्तरी के अनुमानों का वस्तुत: मूल्यांकन में प्रावधान करते समय मुद्रास्फीति की दर का लंबी अवधि के आधार पर विचार किया गया है.

(ख) निगम की नीति के अनुसार कंपनी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु 60 वर्ष है.

*Including Leave Benefit availed during the year which is accounted in Salary paid during the year.

a) The estimates of future salary increases considered in actuarial valuation take into account the inflation rate on Long term basis.

b) The employees of the company retire at the age of 60 years as per the policy of the Company.

टिप्पणी – 29.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपनी योजना `विविध भारतीय भाषाओं में फिल्म निर्माण' का क्रियान्वयन एनएफडीसी को सौंपा. इस योजना के अंतर्गत 31मार्च 2018 तक ₹ 50.60 करोड की राशि प्राप्त हुई. वर्ष के दौरान इन फिल्मों के वितरण से राजस्व प्राप्ति की रकम ₹ 22,76, 286 (पिछले वर्ष ₹ 2,23,78,647) है जिसे कंपनी ने ऑर्डर नं. 202/21/2009-एफ (पीएसयू) दिनांक 04.08.2009 की शर्तों के मुताबिक पुन: इसी योजना में लगा दिया.

कंपनी ने फिल्मों के वितरण की मद में ₹ 8,93,370 खर्च किए (पिछले वर्ष : ₹ 74,72,587) जो उक्त योजना के अंतर्गत बनीं फिल्मों की प्रचार और विज्ञापन में खर्च हुए.

फिल्म निर्माण के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय से मिली अग्रिम राशि तथा उसके सदुपयोग का विश्लेषण इस प्रकार है –

Note – 29.

The Ministry of Information and Broadcasting entrusted to NFDC the execution of its Plan Scheme of "Production of films in various Indian languages". Under the scheme, an amount of ₹ 50.60 Crore was received up to 31 March 2018. Revenue generated from distribution of these films during the year is ₹ 22,76,286 (Previous Year ₹ 2,23,78,647) that has been ploughed back by Company into the scheme as per the terms of the Order no.202/21/2009-F (PSU) dated 04.08.2009.

The company has incurred an expenditure of ₹ 8,93,370 towards distribution of films (Previous Year ₹ 74,72,587) for publicity and advertising of release of films under the above scheme.

The break up of advance received from the Ministry of Information and Broadcasting for film production and their utilization are as under –

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
		As at 31st March, 2018	As at 31st March, 2017
सूचना और प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम	Advance received from Ministry of Information and Broadcasting		
गत वर्ष में प्राप्त	Received in Earlier Year	50,60,00,000	49,60,00,000
चालू वर्ष में प्राप्त	Received in Current Year	–	1,00,00,000
(क)	(A)	50,60,00,000	50,60,00,000
जोडिए – बिक्री/आय उत्पन्न पुनर्निवेश द्वारा निधि	Add – Funds from Sale/Revenue Generation Plough back		
गत वर्ष में	In Earlier Year	9,19,55,992	6,95,77,351
चालू वर्ष में	In Current Year	22,76,286	2,23,78,647
	(I)	**9,42,32,278**	**9,19,55,992**

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at 31st March, 2018	31 मार्च 2017 को As at 31st March, 2017
घटाइएं – वितरण/प्रचार व्यय	Less – Distribution/Publicity Expenses		
गत वर्ष में	In Earlier Year	2,70,28,560	1,95,55,973
चालू वर्ष में	In Current Year	8,93,370	74,72,587
	(II)	**2,79,21,930**	**2,70,28,560**
	(I-II)	**6,63,10,348**	**6,49,27,432**
फिल्म निर्माण के लिए उपलब्ध कुल निधि (ख)	**Total Fund available for Film Production (B)**	**57,23,10,348**	**57,09,27,432**
घटाइएं – फिल्म निर्माण के लिए कुल निधि व्यय किया गया	Less – Total Fund expensed for Film Production		
चालू वर्ष के दौरान व्यय किए गए	Expensed during the current year	1,39,95,481	–
गत वर्ष में व्यय किए गए	Expensed in earlier year	50,70,86,871	50,70,86,871
क्षेत्रीय फिल्म की सूची	Inventory of Regional Film	1,00,00,000	1,39,95,481
विभिन्न फिल्मों के लिए आबंटित (क - ख)	**As allocated for various films (A - B)**	**53,10,82,352**	**52,10,82,352**
		4,12,27,996	4,98,45,080

टिप्पणी – 30.

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के पत्र संख्या एम-35014/16/2015-डीओ (FI) दिनांक 8 जनवरी 2016 के अंतर्गत सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय एवं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के बीच सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का फिल्म फेसिलिटेशन ऑफिस (एफएफओ) स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे. एफएफओ स्थापित करने के लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से ₹ 3,27,00,000 (पिछले वर्ष 1,70,00,000) स्वीकृत किये गये थे. वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 2,18,97,496 (पिछले वर्ष 2,85,56,130) का राजस्व ऑपरेशन्स से आय के अंतर्गत दर्ज किया तथा लाभ/हानि की मद में ₹ 2,00,89,446 (पिछले वर्ष ₹ 2,61,98,285) का खर्च प्रचलन व्यय के तौर पर दिखाया.

Note – 30.

As per letter No. M-35014/16/2015-DO (FI) dated 8th January, 2016 of the Ministry of Information and Broadcasting, Memorandum of Understanding was signed between Ministry of Information and Broadcasting and National Film Development Corporation Ltd for setting up of Film Facilitation Office (FFO) of Ministry of I & B. The Ministry has sanctioned an expenditure of ₹ 3,27,00,000 (Previous Year ₹ 1,70,00,000) in connection with setting up of Film Facilitation Office. During the year, the company has accounted the Revenue of ₹ 2,18,97,496 (Previous Year ₹ 2,85,56,130) and disclosed the same under the head Income from Operations and the expenditure of ₹ 2,00,89,446 (Previous Year ₹ 2,61,98,285) has been disclosed under the head Operating Expenditure in the Statement of Profit and Loss Account.

टिप्पणी – 31.

निदेशक मंडल ने 15 सितंबर 2009 को आयोजित अपनी पहली बैठक में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से प्राप्त पत्र संख्या 202/21/2009 -- एफ (पीएसयू) दिनांक 06.08.2009 पर विचार किया. निदेशक मंडल का यह मानना था कि फिल्म उद्योग में प्रचलित मानकों के अनुरूप ही राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भी निर्माता की फीस के रूप में फिल्म निर्माण की कुल लागत का 10 प्रतिशत तथा इसके द्वारा संपन्न कराई गयी सभी बिक्रियों पर 15 प्रतिशत कमीशन मिलना चाहिये क्योंकि ये खर्चे फिल्म के निर्माण तथा वितरण व्यय का अभिन्न हिस्सा हैं. इसी के अनुरूप निगम ने वर्ष के दौरान पूरी हुई दो फिल्मों के कुल निर्माण व्यय में से ₹ कुछ नहीं (पिछले वर्ष कुछ नहीं) निर्माता की फीस के तथा ₹ 4,01,697 (पिछले वर्ष ₹ 39,49,172) फिल्मों की बिक्री के कमीशन के रूप में दर्शाये हैं जिन्हें फिल्म वितरण में शामिल किया गया है.

Note – 31.

The Board of Directors in their meeting held on 15th September 2009 considered the letter No.202/21/2009–F (PSU) dated 06/08/2009 received from the Ministry of Information & Broadcasting and decided that NFDC should be given a Production Fee of 10% of the total cost of production of a film and 15% Commission on all sales effected by it in accordance with industry norms as these expenses are an intrinsic component of the production and distribution budgets of a film. Accordingly the Company has accounted for ₹ NIL (Previous year ₹ NIL) as Production Fees in the current year in respect of NIL films completed during the year and ₹ 4,01,697 (Previous year ₹ 39,49,172) as Commission on sale of films which is included in Distribution of films.

टिप्पणी – 32.

मीडिया रिलीजों के लिये आय स्वीकृत वर्ष के दौरान लिये गये मीडिया कैंपेंस के अपने अपने आय व्यय के लेखे, टेलीकास्ट/ब्रॉडकास्ट/प्रदर्शित किये गये विज्ञापनों के मूल्य का ग्राहक/मंत्रालय द्वारा अनुमोदित वास्तविक मूल्य से सनदी लेखाकार द्वारा सत्यापन/प्रमाणन के बाद किया जाता है. मीडिया अभियानों के सम्बंध में राजस्व और व्यय जिसके लिए सफल टेलीकास्ट/प्रसारण/विज्ञापन की उपस्थिति के

Note – 32.

Revenue recognition for Media Releases, Revenue and Expense of respective Media Campaign undertaken during the year is accounted for after due verification/certification by the Chartered Accountants of the actual value of telecast/broadcast/ appearance of the advertisement out of the Release amounts approved by the client/ministry. Revenue and Expenses in

वास्तविक मूल्य का सत्यापन/प्रमाणन की प्रक्रिया पिछले/चालू वित्तीय वर्ष की प्रवृत्ति के अनुसार अनुमानित ड्रॉप/कटौती से कम किए गये सम्बंधित अभियान की रिलीज राशियों के आधार पर अनंतिम आधार पर गणना की जाती है.

टिप्पणी – 33.

निदेशक मंडल की राय में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों की व्यक्त राशियां सामान्य व्यवसाय के अंतर्गत वसूल हो जाएंगी. मूल्य ह्रास और सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान पर्याप्त है और आवश्यकतानुकूल राशि से ज्यादा नहीं समझा जाएगा.

टिप्पणी – 34.

कंपनी को अति लघु, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले आपूर्तिकर्ताओं से उनकी श्रेणी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है. गत वर्ष के अंत में भुगतान न की गई राशि ब्याज सहित अथवा देय से संबंधित प्रकटीकरण, यदि कोई है, जो इस अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित है, नहीं दिया गया है. वर्ष के अंत में विविध लेनदार संबंधित पार्टियों से पुष्टिकरण के अधीन है. कंपनी ने तुलनपत्र की तारीख को सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान किया है.

टिप्पणी – 35.

1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो ₹ 30,00,000 (पिछले वर्ष ₹ 30,00,000) तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, पार्टियों ने यह राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को परिसमाप्त भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये निगम ने इन पार्टियों के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला निगम के पक्ष में हुआ तथा दो पार्टियों को जमाराशि में से ₹ 18,00,000 निगम को लौटाने का निर्देश दिया गया. (पिछले वर्ष ₹ 18,00,000). मध्यस्थता कार्यवाही अभी चल रही है. इसका लेखा खातों में उल्लेख नहीं किया गया है.

टिप्पणी – 36.

फिल्म 'गांधी' के ओवरसीज वितरण से प्राप्त आय के मामले में लाभ एवं वितरण शुल्क लेखा ओवरसीज एजेंसी से प्राप्त विवरण के आधार पर किया गया है. कंपनी को 31.12.2017 तक का ब्योरा प्राप्त हुआ है और वहां तक का हिसाब कर दिया गया है.

टिप्पणी – 37.

कंपनी ने व्यापारिक/रिहायशी परिसर संचालन लीज पर दिए हैं. इस व्यवस्था के अंतर्गत आमतौर पर वापस कर दिए जाने वाली ब्याजमुक्त राशियां स्वीकार की गई हैं. उक्त व्यवस्था के अंतर्गत लीज से प्राप्त होने वाले किराए वर्ष के हानि-लाभ विवरण में दर्ज किए जाते हैं. किराए के ₹ 1,74,05,960 (पिछले वर्ष ₹ 1,70,45,617) को टिप्पणी नं-19 में अन्य आय के अंतर्गत दिखाया गया है. ऑपरेटिंग लीज के संबंध में प्रारंभिक सीधे मूल्य को हानि-लाभ विवरण में दर्शाया गया है. कंपनी की महत्वपूर्ण लीज व्यवस्थाएं रिहायशी फ्लैट्स, कार्यालय स्थलों, प्लांट तथा मशीनरी और उपकरण आदि लीज पर देने के संबंध में है. यह व्यवस्था आमतौर पर 1 से लेकर 30 वर्ष तक के लिए है जिसे आपसी समझौते अथवा शर्तों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है. इन व्यवस्थाओं में आमतौर पर ब्याजमुक्त वापस कर दी जाने वाली राशियां दी गई हैं. इस व्यवस्था में वर्ष के लिए देय लीज किराए हानि-लाभ और किराए की मद में शामिल किए गए हैं. (टिप्पणी नं-23 में इनका अन्य आय के अंतर्गत उल्लेख किया गया है). वर्ष के लिए सभी कार्यकारी लीज का कुल खर्च रु 1,33,31,960 है. (पिछले वर्ष ₹ 1,35,63,133).

respect of media campaigns for which verification/certification of the actual value of successful telecast/broadcast/appearance of advertisement in process, are accounted for on provisional basis on the basis of Release amounts of respective campaign reduced by the estimated drop/deduction as per the trend of previous/current financial year.

Note – 33.

In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been stated at amounts that would be realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts considered reasonably necessary.

Note – 34.

The Company has not received any intimation from Suppliers regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year-end together with interest paid or payable as required under the said Act have not been given. Sundry creditors at the year-end are subject to confirmation from the respective parties. The Company has provided for all known liabilities as on the Balance Sheet Date.

Note – 35.

Deposits of ₹ 30,00,000 (Previous Year ₹ 30,00,000) placed with three parties in 1991 are secured against mortgage of immovable properties. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated. The Company has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of the deposits. Awards have been issued in favour of the Company against two parties for recovery of the deposit amounting to ₹ 18,00,000 (Previous Year ₹ 18,00,000/) and the same has been filed in the High Court for decree. The Court process is going on. No provision has been made for the same in the books of accounts.

Note – 36.

In case of revenue from Overseas Distribution of Film 'Gandhi', the accounting of profits and distribution fee has been done on the basis of receipt of statement from the overseas Agency. The Company has received the statement till 31.12.2017 and the same has been accounted.

Note – 37.

The Company has given Commercial/Residential Premises on operating lease. Under this arrangement, generally refundable interest-free deposit have been taken. In respect of above arrangements, lease rentals receivable are recognized in the Statement of Profit and Loss for the year and are included Rental of ₹ 1,74,05,960 (Previous Year ₹ 1,70,45,617) (Disclosed under Other Income in Note No.19). The initial direct cost in respect of operating lease are recognized in the Statement of Profit and Loss. The company's significant leasing arrangements are in respect of residential flats, office premises, plant and machinery and equipment taken on lease. The arrangements range between 1 year and 30 years generally and are usually renewable by mutual consent or mutually agreeable terms. Under these arrangements, generally refundable interest free deposits have been given. In respect of above arrangements, lease rentals payable are recognized in the Statements of Profit and Loss for the year and included under Rent (Disclosed under Other Expenses in Note No.23). The aggregate rental expenses of all the operating leases for the year are ₹ 1,33,31,960 (Previous Year ₹ 1,35,63,133)

टिप्पणी – 38. आस्थगित टैक्स देयताएं (शुद्ध)

Note – 38. Deferred Tax Assets (Net)

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	31 मार्च 2018 को As at March 31, 2018	31 मार्च 2017 को As at March 31, 2017
समय में अन्तर के कारण उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियां –	Deferred tax Assets arising on account of timing difference due to –		
मूल्य–ह्रास	Depreciation	80,47,565	62,80,737
कार्मिक लाभ के लिए प्रावधान	Provision for Employee Benefits	2,59,20,572	2,83,75,613
संदिग्ध ऋणों/ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts/Loans	7,44,20,571	7,30,14,948
आगे लायी गई हानियां	Brought forward Losses	–	3,75,57,244
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुध्द)	**Net deferred tax assets**	**10,83,88,708**	**14,52,28,542**

चालू वर्ष में आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (₹ 3,68,39,834) की हैं. {पिछले वर्ष (₹ 2,18,77,121)}.

Deferred Tax Asset accounted in current year (₹ 3,68,39,834) {Previous Year (₹ 2,18,77,121)}.

टिप्पणी – 39. संबंधित पक्षों के प्रकटीकरण

रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज – राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड.

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक –

क.	सुश्री नीना लाठ गुप्ता	प्रबंध निदेशक
ख.	सुश्री एन.जे. शेख	निदेशक (वित्त)
ग.	श्री सी. पी. गुप्ता	मुख्य वित्तीय अधिकारी
घ.	श्री ई. जे.पॉल	कंपनी सचिव

संबद्ध पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण जो कि ए एस-18 के अंतर्गत आवश्यक है –

Note – 39. Related Party Disclosures

Reporting Enterprise – National Film Development Corporation Ltd.

Key Management Personnel –

a.	Ms. Nina Lath Gupta	Managing Director
b.	Ms. N J Shaikh	Director Finance
c.	Mr. C P Gupta	Chief Financial Officer
d.	Mr. E.J. Paul	Company Secretary

Transactions with the Related Parties as required by AS-18 is given below –

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

Key Management Personnel

राशि रुपयों में
Amount in ₹

निदेशक का नाम	Name of the Director	लेन देन का स्वरूप	Nature of Transaction	2017-18	2016-17
सुश्री नीना लाठ गुप्ता, प्रबंध निदेशक	Ms. Nina Lath Gupta Managing Director	पारिश्रमिक	Remuneration	24,92,424	24,46,482
सुश्री एन.जे. शेख, निदेशक (वित्त)	Ms. N J Shaikh Director (Finance)	पारिश्रमिक	Remuneration	22,70,178	21,72,260
श्री सी. पी. गुप्ता, मुख्य वित्तीय अधिकारी (त्यागपत्र की तारीख 30.11.2017)	Mr. C P Gupta Chief Financial Officer (Date of Resignation 30.11.2017)	पारिश्रमिक	Remuneration	9,29,393	13,84,602
श्री इ.जे.पॉल, कम्पनी सचिव	Mr. E J Paul Company Secretary	पारिश्रमिक	Remuneration	16,97,124	16,20,255

टिप्पणी – 40. आय प्रति शेयर

Note – 40. Earnings per Share

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
इक्विटी अंशधारकों को रोप्य शुध्द लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss) attributable to Equity Shareholders	14,54,37,391	(1,91,00,252)
मूल के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Basic (EPS)	45,39,985	45,39,985
तनुकृत के लिए इक्विटी शेयर्स की भारित औसत सं. (इपीएस)	Weighted Average No. of Equity Shares for Diluted (EPS)	45,39,985	45,39,985
शेयर का अंकित मूल्य	Nominal Value of Share	100	100
प्रति शेयर आय – मूल	Equity Per Share – Basic	32.03	(4.21)
प्रति शेयर आय – तनुकृत	Earnings Per Share – Diluted	32.03	(4.21)

टिप्पणी – 41. निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण

Note – 41. Particulars of Directors Remuneration

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
प्रबंध निदेशक – पारिश्रमिक	Managing Directors Remuneration	22,78,146	22,38,174
इपीएफ का अंशदान	Contribution to EPF	2,14,278	2,08,308
निदेशक (वित्त) – पारिश्रमिक	Remuneration of Director (Finance)	20,85,054	19,96,646
इपीएफ का अंशदान	Contribution to EPF	1,85,124	1,75,614

टिप्पणी – 42.

कंपनीज एक्ट 2013 के पैराग्राफ्स 5 (i)(m), (viii) b,5 (viii) 5 e and 5 (A) (j) के शिड्यूल 3 के पार्ट 2 के प्रावधानों के अंतर्गत अतिरिक्त सूचना, जहां तक उपयुक्त हो.

i) पूर्व कालिन मदें

Note – 42.

Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 5(i)(m),5(viii) b,5 (viii) e and 5 (A) (j)of the part II of Schedule III to the Companies Act, 2013 to the extent applicable.

i) Prior Period Items

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
पूर्व कालिन आय	Prior Period Income	–	83,66,256
पूर्व कालिन व्यय	Prior Period Expenses	95,40,573	–

चालू वर्ष के दौरान ₹ 95,40,573 का शुद्ध पूर्व अवधि व्यय है जिसमें ₹ 42 लाख की पूर्व अवधि मूल्य-ह्रास और पिछले वर्ष की आय का रिवर्सल ₹ 54 लाख (पिछले वर्ष: 83,66,256 की शुद्ध पूर्व अवधि आय जिसमें ₹ 83.50 लाख के ग्रैच्युइटी फंड से पुराने शेष राशि की वापसी शामिल है).

During the current year there is a Net prior period expenses of ₹ 95,40,573 which includes prior period depreciation of ₹ 42 Lakhs and reversal of income of previous year ₹ 54 Lakhs (Previous year – Net prior period income of ₹ 83,66,256 which includes refund of old balances from Gratuity fund of ₹ 83.50 Lakhs).

ii) Earnings in Foreign Exchange

ii) Earnings in Foreign Exchange

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
वस्तुओं/अधिकारों पर निर्यात आकलन एफओबी आधार पर किया गया	Export on goods/rights calculated on FOB basis	1,42,71,465	52,50,425

iii) विदेशी मुद्रा में खर्च

iii) Expenditure in Foreign Currency

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
विदेशी यात्राएं/सहभागिता व्यय	Foreign Tours/Participation Expenses	2,97,07,884	69,16,177

iv) लेखा परिक्षकों को भुगतान

iv) Payment to Auditors

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2017-18	2016-17
लेखा परीक्षण की फीस	Audit Fees	4,50,000	4,50,000
कर लेखा परीक्षण की फीस	Tax Audit Fees	1,00,000	1,00,000

टिप्पणी – 43.

वर्ष 2014-15 में फिल्म निर्माण, फिल्म वितरण आदि के क्षेत्र में नयी प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए कंपनी को फिल्म बाजार में एक निजी पक्ष से ₹ 10 लाख की विशेष सहायता प्राप्त हुई. इस सहायता का सदुपयोग कंपनी ने एक पुरस्कार प्राप्त फिल्म निर्माता को पोस्ट प्रोडक्शन खर्च पूरे करने के लिए अल्प अवधि का ऋणमुक्त कर्ज देने के रूप में किया. वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी ने इस सहायता को आय के तौर पर दर्शाया और दिया गया ऋण, अग्रिम एवं ऋणों की मद में दर्ज किया गया.

टिप्पणी – 44.

दूरदर्शन 1980 से 2008 तक एनएफडीसी की फिल्में डी डी-1 और डीडी इंडिया पर दिखाने के लिए लेता रहा. दूरदर्शन ने जो पैसा एनएफडीसी को देना था उसमें से उसने कुछ पैसा काट लिया. उस पैसे को वापस लेने के लिए कोशिशें जारी हैं. इसके लिए उनके साथ जिन जरूरी दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जाना था, वह भी किया जा चुका. दूरदर्शन और एनएफडीसी दोनों ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं अतः यह फैसला किया गया कि इस बारे में दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस मामले को सुलझा लें. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 में सुश्री सोमी टंडन को दूरदर्शन एवं एनएफडीसी के बीच विवादित सभी मामलों के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया. कंपनी की ओर से इस दिशा में निरंतर निगरानी की जा रही है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2017 को दूरदर्शन को निर्देश दिया है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाय. 25 जनवरी 2018 को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बकाया राशि की वसूली के लिए विवादों को हल करने के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है. कंपनी उम्मीद करती है कि मामला हल हो जाएगा और दूरदर्शन की ओर से देय राशि के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना है.

Note – 43.

The Company has received a special grant of ₹10 Lacs in the year 2014-15 from a private party for encouraging and promoting new talent in the realm of film making, production and distribution at the Film Bazaar. The Company has utilized the said grant for providing short term interest free loan to an Award winning producer to fund post production and distribution expenses. The Company accounted the grant received as Income in the financial year 2015-16 and the loan given is disclosed in Loans and Advances.

Note – 44.

Doordarshan has been sourcing films from NFDC for telecast on DD-1 and DD India since 1980 to 2008. Deductions were made by Doordarshan from the amounts due to NFDC. Attempts have been made to recover the amounts due and necessary documents required by DD have also been shared with them. Since both Doordarshan & NFDC are under the administrative Ministry of Information & Broadcasting, it was decided to resolve the issue through arbitration. The Ministry of Information and Broadcasting vide their letter dated 23rd February, 2010 nominated Ms. Somi Tandon as the Sole Arbitrator for settlement of various matters pending resolution between NFDC and Doordarshan. There have been constant follow up by the Company and the Ministry of I&B has also instructed Doordarshan in 11th April 2017 to settle the dispute at the earliest. Also on 25th January 2018 Ministry of I&B has constituted a 3 member committee for resolving the disputes for recovery of outstanding dues. The Company expects that the matter will be resolved and no provision is considered necessary towards the amounts due from Doordarshan.

टिप्पणी – 45. खण्डीय सूचना

लेखांकन मानक 17 के अनुसार आवश्यक खण्ड सूचनाएं निम्नांकित है –

Note – 45. Segment Reporting

The segment information required as per accounting standard 17 is given below –

राशि रुपयों में
Amount in ₹

विवरण	Particulars	2017-18						2016-17					
		फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	अन्य	कुल	फिल्म निर्माण	फिल्म वितरण	सेवा परियोजनाएं	मीडिया अभियान	अन्य	कुल
		Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	Other	Total	Film Production	Film Distribution	Service Project	Media Campaign	Other	Total
खण्ड आय	Segment Revenue												
विदेशी बिक्री	External Sales	1,46,85,34,248	2,06,80,028	24,80,31,215	2,46,69,50,351	7,00,06,100	4,27,42,01,943	67,62,52,842	10,96,12,966	9,65,28,784	73,90,16,977	6,00,60,497	1,68,14,72,066
अंतर खण्ड बिक्री	Inter segment Sales	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल आय	Total Revenue	1,46,85,34,248	2,06,80,028	24,80,31,215	2,46,69,50,351	7,00,06,100	4,27,42,01,943	67,62,52,842	10,96,12,966	9,65,28,784	73,90,16,977	6,00,60,497	1,68,14,72,066
खण्ड व्यय	Segment Expenses	1,13,38,13,142	1,67,05,473	22,70,85,651	2,47,73,07,015		3,85,49,11,281	59,98,65,052	1,58,24,496	11,85,47,013	74,43,89,327	–	1,47,86,25,889
परिचालित लाभ (हानि)	Operation Profit/(Loss)	33,47,21,106	39,74,556	2,09,45,564	(1,03,56,664)	7,00,06,100	41,92,90,662	7,63,87,790	7,93,35,804	(75,65,564)	(53,72,351)	6,00,60,497	20,28,46,177
व्याज व्यय	Interest Expenses	–	–	15,97,240		–	15,97,240	–	–	22,29,303		33,76,564	56,05,867
मूल्य -ह्रास	Depreciation	–	–	57,55,839		84,57,997	1,42,13,836	–	–	62,19,103		78,26,297	1,40,45,400
अनआबंटित व्यय	Unallocated Expenses	–	–	–	–	19,06,87,265	19,06,87,265	–	–	–	–	18,25,18,041	18,25,18,041
आयकर	Income Taxes	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
साधारण गतिविधियों द्वारा लाभ/(हानि)	Profit/(Loss) from ordinary activities	33,47,21,106	39,74,556	1,35,92,484	(1,03,56,664)	(12,91,39,162)	21,27,92,320	7,63,87,790	7,93,35,804	(1,60,13,971)	(53,72,351)	(13,36,60,404)	6,76,869
असाधारण मदें	Exceptional Item	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
पूर्व वर्षों में आय कर	Deferred Tax and Income Tax for earlier Years	–	–	–	–	6,73,54,930	6,73,54,930	–	–	–	–	(1,97,77,122)	(1,97,77,122)
शुध्द लाभ/(हानि)	Net Profit/(Loss)	33,47,21,106	39,74,556	1,35,92,484	(1,03,56,664)	(19,64,94,092)	14,54,37,391	7,63,87,790	7,93,35,804	(1,60,13,971)	(53,72,351)	(11,38,83,282)	(1,91,00,253)
अन्य जानकारी	Other information						–						–
खण्डीय परिसम्पत्तियां	Segment Assets	57,93,12,506	7,23,13,033	13,64,37,894	37,01,66,509	2,95,80,97,802	4,11,63,27,743	32,82,95,425	11,50,11,693	7,74,79,192	54,50,68,257	1,08,64,85,130	2,15,23,39,695
अनआबंटित निगमित परिसम्पत्तियां	Unallocated Corporate Assets						–						–
कुल परिसम्पत्तियां	Total Assets	57,93,12,506	7,23,13,033	13,64,37,894	37,01,66,509	2,95,80,97,802	4,11,63,27,743	32,82,95,425	11,50,11,693	7,74,79,192	54,50,68,257	1,08,64,85,130	2,15,23,39,695
खण्डीय देयताएं	Segment Liablities	74,08,74,651	2,63,05,385	1,23,05,992	2,28,94,60,010	68,67,36,764	3,75,56,82,801	51,12,15,835	3,22,86,145	3,09,22,186	1,14,73,70,519	21,53,37,459	1,93,71,32,144
अन आबंटित निगमित देयताएं	Unallocated Corporate Liabilities						–						–
कुल देयताएं	Total Liabilities	74,08,74,651	2,63,05,385	1,23,05,992	2,28,94,60,010	68,67,36,764	3,75,56,82,801	51,12,15,835	3,22,86,145	3,09,22,186	1,14,73,70,519	21,53,37,459	1,93,71,32,144
पूंजीगत व्यय	Capital Work in Progress	–	–	25,54,644	–	–	25,54,644	–	–	27,87,773	–	–	27,87,773
अन्य	Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल पूंजीगत व्यय	Total Capital Work in Progress	–	–	25,54,644	–	–	25,54,644	–	–	27,87,773	–	–	27,87,773
मूल्य - हास	Depreciation	–	–	57,55,839	–	84,57,997	1,42,13,836	–	–	62,19,103	–	78,26,297	1,40,45,400
अन्य	Other	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल मूल्य-ह्रास	Total Depreciation	–	–	57,55,839	–	84,57,997	1,42,13,836	–	–	62,19,103	–	78,26,297	1,40,45,400
मूल्य-ह्रास के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	Non cash expense other than depreciation	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

एफएफओ के खर्च और आय सेवा परियोजना के अंतर्गत ग्रुप मे है. * FFO Expenses & Income grouped under Service Projects

टिप्पणी – 46.

पिछले वर्ष की राशियों का इस वर्ष की प्रस्तुतियों के साथ करने के लिये जहां लागू हो, वहां पुन: वर्गीकरण कर दिया गया.

वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर

बोर्ड के लिए बोर्ड की ओर से

टस्की असोसिएट्स की ओर से,
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
(एफआरएन 008730एन)

मनोज कुमार पिंगुआ
प्रबंध निदेशक
डीआईएन नं 01732177

एन.जे. शेख
निदेशक (वित्त)
डीआईएन नं.07348075

मनोज कुमार शर्मा
पार्टनर
एम. नं. 084503

ई.जे पॉल
कंपनी सचिव
एम. नं. एफसीएस 4521

स्थान – मुंबई
दिनांक – 26 सितंबर 2018

Note – 46.

Previous year figures have been re-classified to confirm with current year presentation, wherever applicable.

Signature to Notes Financial Statements

For and on behalf of Board

For TASKY ASSOCIATES,
Chartered Accountants
(FRN 008730N)

Manoj Kumar Pingua
Managing Director
DIN No. 01732177

N.J. Shaikh
Director (Finance)
DIN No.07348075

Manoj Kumar Sharma
Partner
M. No. 084503

E.J. Paul
Company Secretary
M. No. FCS 4521

Place – Mumbai
Dated – 26th September 2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड
मुम्बई
के सदस्यों के लिये

वित्तीय वक्तव्यों पर रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कंपनी) के संलग्न वित्तीय वक्तव्यों का लेखा परीक्षण किया है जिसके 31 मार्च 2018 को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखे तथा रोक़ड़ प्रवाह विवरण, साथ ही महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश भी शामिल है.

सीएजी द्वारा बताये अनुसार पैरा 1 और पैरा 2 के तहत दिनांक 04/10/2018 के स्वतंत्र ऑडिटर रिपोर्ट में 'महत्वपूर्ण मामले' शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 और पैरा 2 कुछ मुद्दों को प्रदान करती है जो उनकी राय में योग्य स्वरूप है और इसलिए पैरा 1 और पैरा 2 के तहत 'महत्वपूर्ण मामले' योग्य स्वरूप में है अतः ऐसे मामले इस संशोधित रिपोर्ट में 'योग्यता का आधार' के अंतर्गत उल्लिखित किये जा रहे है और इसलिए वित्तीय विवरण में कोई बदलाव नही हुआ है जिसपर दिनांक 04/10/2018 को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी की गई थी.

वित्तीय वक्तव्यों पर प्रबंधन का दायित्व

इन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने का दायित्व कंपनी के निदेशक मंडल का है जिनमें कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीत निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह का समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख कंपनी एक्ट 2013 (द एक्ट) के सेक्शन 134 (5) के अंतर्गत किया गया है. इस दायित्व में डिजाइन, परिपालन तथा आंतरिक नियंत्रणों की देखभाल आदि इस प्रकार शामिल हों जो विवरणों का सच्चा तथा समुचित परिदृश्य प्रस्तुत करें, जिसमें धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न कोई गलतबयानी न हो. साथ ही ये भारत में आमतौर पर अपनाये जाने वाले लेखा मानकों के अनुरूप हों जिनमें लेखाओं के वे मानक शामिल हों जिनका उल्लेख एक्ट के सेक्शन 133 में है जिसे कंपनी (अकाउंट्स) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाय, इस उत्तरदायित्व में एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप लेखाओं के समुचित रिकॉर्ड्स रखना भी शामिल है जिनसे कि कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके एवं उनका पता लगाया जा सके ; समुचित लेखा परीक्षण प्रणालियों का चुनाव करके उन्हें लागू किया जा सके ; तर्कसंगत निर्णय और अनुमान लगाये जा सकें ; समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के तरीके सोच कर उन्हें लागू किया जा सके जिनसे लेखाओं के रिकॉर्ड्स की शुद्धता तथा संपूर्णता सुनिश्चित की जा सके, जिनकी सहायता से सच्चे एवं निष्पक्ष वित्तीय विवरण तैयार किये जा सकें जो धोखाधड़ी या फिर भूलचूक से उत्पन्न भ्रांतिपूर्ण विवरणों से मुक्त हों.

लेखा परीक्षकों के दायित्व

हमारा दायित्व इन (एकल) वित्तीय विवरणों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है.

हमने एक्ट के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षण के मानदंडों और उन मामलों को ध्यान में रखा है जो कि लेखा परीक्षण रिपोर्ट में शामिल किये जाने के लिए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक हैं.

हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुरूप किया है जिनका जिक्र एक्ट के सेक्शन 143 (10) के अंतर्गत किया गया है. इन मानदंडों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बना कर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार का गलत आर्थिक विवरण नहीं दिया गया है.

Independent Auditor's Report

To
The Members of
National Film Development Corporation Limited
Mumbai

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of National Film Development Corporation Limited ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2018, the Statement of Profit and Loss, Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

It was pointed out by CAG that Para 1 and Para 2 under the heading 'Emphasis Matters' in the Independent Auditor's Report dated 04/10/2018, provides certain issues which in their opinion is in the nature of qualification and therefore, the 'Emphasis Matters' under Para 1 and Para 2 are in the nature of qualification therefore, such matters are being stated under 'Basis of Qualification' in this revised report and therefore, it shall form part of qualifications, therefore there is no change in financial statements on which the Independent Auditor's Report dated 04/10/2018 was issued.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of thesefinancial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these (Standalone) financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

लेखा परीक्षण में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों का लेखा साक्ष्य प्राप्त करने लिये निष्पादन प्रक्रिया का समावेश है. जांच प्रक्रिया के लिये अपनाई गई पद्धति लेखा परीक्षक के विवेक पर निर्भर होती है जिसमें मूल्यनिर्धारण संबंधी उन उन खतरों का समावेश होता है जो वित्तीय विवरणों की गलत बयानियों की वजह से होते हैं फिर चाहे ये गलतियां जान बूझ कर की गई हों अथवा गलती से हो गई हों. मूल्य निर्धारण के ये खतरे उठाने मे लेखा परीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों को ध्यान में रखता है जो कंपनी की तरफ से प्रस्तुत न्यायोचित विवरणों एवं संतोषप्रद प्रस्तुतिकरण पर आधारित हों. इन्हीं के अनुसार वह लेखा परीक्षण की ऐसी पद्धति निर्धारित करता है जो परिस्थितियों के अनुकूल हो. लेखा परीक्षण में उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा प्रमाण उपलब्ध कराये गये वे पर्याप्त हैं तथा हमारी सशर्त लेखा राय के लिये पर्याप्त तथा उचित आधार प्रस्तुत करते हैं.

सशर्त राय का आधार

(क) विविध देनदारों के कुल शेषों की वसूली, ऋण एवं अग्रिमों तथा चालू देयताएं जिनमें कुछ शेष आयकर, टीडीएस, वैट और सेवा कर से संबंधित हैं, की पुष्टि होनी है और यदि कुछ हो तो तत्परिणामस्वरूप समंजन होना है. इसका यदि कोई वित्तीय परिणाम हो तो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका है. (देखिये टिप्पणी संख्या 26).

(ख) कंपनी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइसेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के धारा 16 के अंतर्गत देय किसी ब्याज की गणना नहीं करती अतः सुसंगत सूचना के अभाव ब्याज की किसी देनदारी का हिसाब नहीं किया गया और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव आंका नहीं जा सकता.

(ग) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने क्षेत्रीय फिल्म 'यशोधरा एक काव्य' के निर्माण के लिए एनएफडीसी को फंड दिया है. इस फंड में से एनएफडीसी ने इस योजना पर 31.3.2018 तक कुल ₹ 1,39,95,481 खर्च किए हैं. किंतु व्यवस्थापन का दृष्टिकोण यह है कि इस फिल्म को पूरा कर सकना संभव नहीं है अतः इस योजना को समाप्त कर देने का निर्णय लिया गया और इसके खर्च को 'एडवांस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आई एंड बी' के नामे कर दिया दिया गया और इस राशि को 'इन्वेंटरी -यशोधरा एक प्रेम कहानी'- क्षेत्रीय फिल्म प्रोजेक्ट' के खाते में डेबिट कर दिया गया. इसके लिये एनएफडीसी ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के फंड विभाग से पहले से कोई मंजूरी नहीं ली. रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दिखाता हो कि मंत्रालय ने पहले से अनुमोदित ऐसी किसी फिल्म योजना को रद्द कर देने पर सहमति प्रदान की हो. अतः इस तरह की राशि को लाभ-हानि के विवरण में बट्टे खाते करके 'इन्वेंटरी - यशोधरा एक काव्य- क्षेत्रीय फिल्म' में डेबिट कर दिया जाना चाहिए था. इसके परिणामस्वरूप कंपनी ने ₹ 1,39,95,481 का लाभ बढ़ चढ़ कर दिखाया है.

(घ) वर्ष 1991 में कुछ अचल संपत्तियों को गिरवी रख देने से प्राप्त जो ₹ 30 लाख तीन पार्टियों के पास रख दिया गया था, उसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया. पार्टियों ने यह जमा राशि लौटाई नहीं और तत्संबंधी प्रतिभूतियों को लिक्विडेट भी नहीं किया गया. इस जमा राशि की वापसी के लिये निगम ने इन पार्टियों के विरुद्ध मध्यस्थता कार्यवाही प्रारंभ की और दो पार्टियों के साथ इस मध्यस्थता कार्यवाही का फैसला उन्हें जमाराशि में से ₹ 18 लाख वापस करने के निर्देश के रूप में कॉर्पोरेशन के पक्ष में हुआ. बाकी बची ₹ 12 लाख की राशि के बारे में मध्यस्थता कार्यवाही अभी चल रही है. (देखें संदर्भ टिप्पणी 35).

(ड़) सामान्यतः कंपनी गैर सरकारी ऋणियों के बुरे, संशयपूर्ण ऋणों, और ऐसे ऋणों के लिए नियमित चलन के अंतर्गत प्रावधान कर रही है जो तीन साल से ज्यादा पुराने हो गये हैं. ₹ 10,48,76,511.53

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Basis for Qualified Opinion

(a) The Balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits and Current Liabilities including few balances in respect of Income Tax, Service Tax, VAT, including outstanding balances for last few years are subject to confirmation and consequential adjustment, if any, on the reconciliation. The financial impact, if any, is unascertained. (Refer Note 26)

(b) The company does not calculate any interest payable under section 16 of the Micro Small and medium enterprises development act 2006, therefore no interest liability was computed in absence of relevant information and an impact on financial statement is unascertained.

(c) Ministry of Information and Broadcasting have granted fund for production of regional film – 'Yashodhara Ek Kavya' to NFDC. NFDC has incurred a total expenditure of 1,39,95,481 on this project till 31/03/2018. However the management had taken a view that completion of film is not possible and had decided to shelve the project and wrote off the project cost by debiting the account of 'Advance from Ministry of I&B' and crediting such amount to 'Inventory – Yashodhara Ek Kaavya – Regional Film'project. NFDC had not obtained any prior approval from Ministry of Information and Broadcasting (funding entity) for writing off/shelving of the project. Further there is nothing on record to show that ministry has approved the waiver of recovery of money they have granted for such film project therefore, such amount should have been written off by debiting it to Statement of Profit and Loss and crediting 'Inventory – Yashodhara Ek Kaavya – Regional Film'. As a result of this the company has overstated profit by 1,39,95,481.

(d) No provision is made in respect of deposit of ₹ 30 Lacs placed with three parties in 1991 which are secured against mortgage of certain immovable properties. These parties have not refunded the deposits and the relevant securities are not liquidated. The Company has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of deposits and Arbitration awards have been made in favour of the Company in Mar 2007 for two parties for recovery of deposit of ₹ 18 Lacs, however still the payments have not been recovered due to pending proceedings in High Court. For the balance amount of ₹ 12 Lacs arbitration proceedings are still continuing. (Refer Note No 35).

(e) In normal course, the company is making provision for bad and doubtful debt for any debts outstanding for more than 3 years, in respect to non govt debtors as regular

के कुल व्यापार प्राप्य में ₹ 1,31,79,29,562 के देनदार व्यापारी ऋण शामिल हैं जो सरकारी विभागों/एजेंसियों और इन देनदारों पर 5 साल से ज्यादा समय से बकाया है और जिन्हें कंपनी ने ठीक माना है. देनदारों की इतनी बकाया वसूली को संदेहास्पद बनाती है. वसूली को लेकर दूरदर्शन के साथ भी विवाद चल रहा है लेकिन कोई प्रावधान किया नहीं गया. कंपनी को ऐसे ऋणों के बारे में नीति अपनाने और वसूली को लेकर वास्तविक प्रस्तुति की जरूरत है.

(च) जून 2017 के महीने के लिए खरीद चालान था जोकि फरवरी 2018 के महीने में पोस्ट किया गया था जिस पर ₹ 20,84,583 का सेवा कर भुगतान किया गया था, ऐसी सेवा कर का इनपुट क्रेडिट का लाभ नही उठाया गया क्यूंकि जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म ट्रान्स -1 के दाखिल करने की नियत तिथि पहले ही बीत गई थी. साथ ही यह राशि लाभ और हानि विवरण में डेबिट करने के बजाय चालू परिसम्पत्तियों के अंतर्गत सेवा कर प्राप्य के रूप में गलती से दर्ज किया गया था. इनवॉइस रिसीव करने और उसकी बुकिंग में होने वाली इस तरह की देरी के परिणाम स्वरूप कंपनी को ₹ 20,84,583 की हानि सहनी पड़ी.

सशर्त राय

हमारी राय में तथा हमें उपलब्ध कराई गई सूचना एवं हमें दिए गये स्पष्टीकरणों के अनुसार आर्थिक वक्तव्य में वह सारी सूचना, सिवाय उसके जो सशर्त राय के पैराग्राफ में संभावित प्रभावों के बारे में वर्णित है, प्रदान की गई है जिसे नियमों के अंतर्गत इस प्रकार दिया जाना चाहिये जिससे भारत में आमतौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और संतोषजनक आर्थिक दृश्य एवं 31 मार्च 2018 को कंपनी के मामलों की जो सही तस्वीर थी वह प्रस्तुत हो सके, इस तारीख को लाभ/हानि की स्थिति और रोकड़ प्रवाह का पता चल सके.

महत्वपूर्ण मामले

कुछ नहीं.

अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि केंद्रीय भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम परिवर्तित एवं संशोधित, सेक्शन 143 की उपधारा (11) के अनुसार आवश्यक है, कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 (द ऑर्डर) के संबंध में हम उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 तथा 4 में उल्लिखित विषयों पर "अनुलग्नक ए", संलग्न कर रहे हैं.

2. जैसा कि नियम की धारा 143 (3) में अपेक्षित है, हम उपरोक्तानुसार रिपोर्ट करते हैं कि –

   क. हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिये आवश्यक थे.

   ख. हमारी राय में कंपनी द्वारा रखे गये वे सब खाते तथा बहियां, जो कानून के अनुसार आवश्यक हैं, उचित ढंग से तैयार करके रखे गये हैं. बही खातों की जांच से हमें यही अनुभूति हुई.

   ग. इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलनपत्र तथा लाभ हानि के विवरण तथा रोक़ड प्रवाह से वास्ता रहा, उसका बही खातों से सामंजस्य था.

   घ. हमारी राय के अनुसार इस रिपोर्ट से संबंधित तुलनपत्र तथा लाभ हानि खाते तथा रोक़ड प्रवाह मानक लेखाओं के अनुरूप हैं जिनका जिक्र कंपनी अधिनियम 133 जिसे कंपनीज (अकाउंट्स) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाय, में है

   ड़. चूंकि (सेक्शन 164 (2) नोटिफिकेशन 463 (ई) दिनांक 5.6.2015) की वजह से सरकारों कम्पनी पर लागू नही होता. 31 मार्च 2017 को किन्ही निदेशकों को सेक्शन 164 (2) के अंतर्गत अयोग्य पाए जाने का प्रश्न ही नही उठता.

practice. The total trade receivables of ₹ 1,31,79,29,562 includes debtors for a sum of ₹ 10,48,76,511.53 pertaining to government department/agencies and theses debtors are outstanding for the period more than 5 years and were considered good by the company. Such long outstanding of debtors indicate recovery to be doubtful, and also there is ongoing dispute with Doordarshan on recoverability, yet no provision was made. The company needs to adopt a policy for making provisions in respect to such debts and a realistic presentation of recoverable should be made.

(f) There was a purchase invoice for the month of June 2017 which was posted in the month of February 2018 on which service tax was paid amounting to ₹ 20,84,583, input credit of such service tax was not availed as due date of filing of Form Tran-1 on GST portal was already passed. Also such amount is wrongly recorded as Service Tax Receivable under current assets instead of debiting it to statement of profit and loss. Such delay in receiving invoice and booking the same results into loss to company for a sum of ₹ 20,84,583.

Qualified Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph above, the aforesaidfinancial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2018, and its Profit/Loss and its Cash Flow for the year ended on that date.

Emphasis Matters

NIL.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order"), as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.

2. As required by section 143 (3) of the Act, we report that, subject to our qualifications remarks stated above:

   a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b. in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

   c. the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account

   d. in our opinion, the aforesaidfinancial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

   e. Since Section 164(2) does not apply to Government Company (due to Notification No 463(E) dated 5.6.2015), the question of any of the directors being disqualified as on March 31, 2018 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act does not arise.

च. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के कारण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग एवं इस प्रकार के नियंत्रणों की प्रभावशीलता के लिए कृपया "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट देखें.

छ. कंपनी के (ऑडिट एंड ऑडीटर्स) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप हमारी राय और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वे अन्य मामले जो लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किये जाने चाहिएं

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर अपने लंबित मुकदमों का जिक्र किया है. देखिये: वित्तीय विवरणों का टिप्पणी 25.

ii. कंपनी ने डेरीवेटिव कॉन्ट्रेक्ट सहित कोई दीर्घकालीन अनुबंध नहीं किये हैं जिनमें भविष्य में हानि होने की कोई संभावना उत्पन्न होने की आशंका हो.

iii. ऐसे कोई लेखे नहीं पाए गये जिन्हें कंपनी द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो.

3. एक्ट के सेक्शन 143 (5) द्वारा आवश्यक रिपोर्ट अलग से "अनुलग्नक सी" में दी गई है.

टस्की असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर –
एफआरएन 008730एन

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 31/10/2018

f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure B".

g. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer Note 25 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

3. Report required by section 143 (5) of the Act, is annexed separately as "Annexure C".

Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number –
FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
Partner
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 31/10/2018

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "क"

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का यह अनुलग्नक कंपनी के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट `अन्य कानूनी तथा नियामक आवश्यकताएं' के पैराग्राफ 1 के संदर्भ में –

(i)(क) कॉर्पोरेशन ने सभी अभिलेखों की साज सम्हाल सही तरीके से की है जिनमें सभी विवरण, व अचल संपत्तियों की स्थिति भी शामिल है, परिमाणात्मक विस्तार के साथ दिये गये हैं.

(ख) अचल संपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिये प्रबंधन ने सत्यापन की नियामक प्रक्रिया अनुरूप तीन वर्ष की अवधि के लिये प्रत्यक्ष सत्यापन किया है जो हमारी राय के मुताबिक, कंपनी के आकार और परिसंपत्तियों के प्रकार को देखते हुए उपयुक्त है. कंपनी द्वारा कराये गये भौतिक सत्यापन के अनुसार कुछ अचल परिसंपत्तियां भौतिक सत्यापन में नहीं मिली जिनका मूल्य प्रबंधन द्वारा चालू वर्ष के दौरान वित्तीय विवरण में बट्टे खाते की गई है इस तरह की स्थाई परिसंपत्तियों का मूल्य, जिनका भौतिक सत्यापन के बाद मूल्य बट्टे खाते कर दिया गया हो, ₹ 1,86,605 है.

(ग) अचल संपत्तियों का टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है सिवाय स्पूतनिक में ऑफिस के लिए जगह लेने के जिसमें ग्रॉस ब्लॉक शामिल है (एकत्रित ₹ 2,76,539) वहां जहां हाउसिंग सोसाइटी द्वारा एनएफडीसी के पक्ष में शेयर सर्टिफिकेट जारी किया गया है.

(ii) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया. हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उपयुक्त है. संपत्ति सूचियों का प्रत्यक्ष सत्यापन करने तथा बही खातों के साथ मिलान करने पर कोई अनियमितताएं नहीं पाई गई.

(iii) कंपनी ने दूसरी किन्हीं कंपनियों, फर्मों या दूसरी पार्टियों को जिन्हें एक्ट की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये रजिस्टर में शामिल किया गया है, कोई प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण नहीं दिये हैं. तद्नुसार, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 की उपधारा (iii) (क) से (ग) के प्रावधान इस वर्ष के लिये कंपनी पर लागू नहीं होतीं. अतः कोई टिप्पणी नहीं की गई.

(iv) हमें दी गयी सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने दूसरी किन्हीं कंपनियों, फर्मों या दूसरी पार्टियों को कंपनी एक्ट 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण नहीं दिये हैं और न ही कोई निवेश किया है. तद्नुसार, ऑर्डर के पैराग्राफ 3 की उपधारा (iv) कंपनी पर लागू नहीं होतीं और उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई.

(v). कंपनी ने आम जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किये हैं अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के सेक्शन 73 से 76 तक के प्रावधानों या किसी अन्य एक्ट के जनता से जमा स्वीकार करने के प्रावधानों तथा कंपनीज (एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट) रूल्स 2015 लागू नहीं होते.

(vi). जैसा कि हमें बताया गया, केंद्रीय सरकार ने कंपनी की गतिविधियों के संबंध में एक्ट की धारा 148 की उपधारा (1) के अंतर्गत अभिलेखों की देखरेख का निर्धारण नहीं किया है.

(vii)(क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और लेखा पुस्तकों तथा रिकार्ड के परीक्षण के आधार पर कंपनी अविवादित सांविधिक देय भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय-कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद – शुल्क, वैल्यू एडेड टैक्स, सेस और अन्य वैधानिक देय सहित उपयुक्त

Annexure – "A" to the Independent Auditors' Report

The Annexure referred to Independent Auditors' Report to the members of the Company in paragraph 1 under the heading 'Report on Other Legal & Regulatory Requirement' of our report of even date to the financial statements of the Company for the year ended March 31, 2018 –

(i)(a) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets;

(b) The Fixed Assets have been physically verified by the management, which in our opinion is reasonable having regard to the size of the company and nature of its business. As per physical verification carried out by management some fixed assets are not found in physical verification value of which is written off by the management in current year's financial statement and value of such fixed assets which have been written off after physical verification amounts to 1,86,605.

(c) The title deeds of immovable properties are held in the name of the company except in the case of Purchase of Office Premises at Sputnik included in the Gross Block (aggregating to ₹ 2,76,539) where there is only Share Certificate issued by the Housing Society in favour of NFDC.

(ii) The management has conducted the physical verification of inventory at reasonable intervals. There is no discrepancy noticed on physical verification of the inventory as compared to books.

(iii) The Company has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms, Limited Liability partnerships or other parties covered in the Register maintained under section 189 of the Act. Accordingly, the provisions of clause 3 (iii) (a) to (C) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(iv) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not given any loan or done investment within the meaning of provisions of section 185 and I86 of the Companies Act, 2013.Accordingly, the provisions of clause 3 (iv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(v) The Company has not accepted any deposits from the public and hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Act and the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2015 with regard to the deposits accepted from the public are not applicable.

(vi) As informed to us, the maintenance of Cost Records has not been specified by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Act, in respect of the activities carried on by the company.

(vii)(a) According to information and explanations given to us and on the basis of our examination of the books of account, and records, the Company has been generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident Fund, Employees State Insurance, Income-Tax, Sales tax, Service Tax, Duty of Customs, Duty of

प्राधिकारियों के साथ आम तौर नियमित जमा कर रहा है. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त के संदर्भ में कोई अविवादित राशि देय होने कि तिथि से छह से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च 2018 को बकाया नही थी हमारे लेखा परीक्षण रिपोर्ट में "योग्यता के आधार" के पैरा (सी) के मामले को छोडकर.

Excise, Value added Tax, Cess and any other statutory dues with the appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of the above were in arrears as at March 31, 2018 for a period of more than six months from the date on when they become payable except in case of para (c) of " Basis of Qualifications" provided in our audit report.

(ख) हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार किसी विवाद के कारण बिक्री कर, सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड कर आदि का कोई बकाया नहीं है.

(b) According to the information and explanation given to us, there are no dues of, sales tax, service tax, duty of customs, duty of excise, value added tax outstanding on account of any dispute.

आयकर की वे देनदारियां, जिन्हें विवादित मामलों की वजह से जमा नहीं कराया गया, इस प्रकार हैं –

The Income tax dues which are not deposited on account of disputed matters are as under –

विधान का नाम	देनदारियों का स्वरूप	राशि	दूसरे वर्षों के रिफंड के अनुसार समायोजित	राशि से संबद्ध अवधि	न्यायाधिकरण फोरम, जहां विवाद लंबित है
आयकर-एक्ट, 1961	आयकर एवं ब्याज	19532214	12831534	मूल्यांकन का वर्ष 2013-14	आयकर कमिश्नर– अपील्स
सेवा कर अधिनियम (वित्त अधिनियम, 1994)	अनियमित सेनवॅट क्रेडिट	2178262	–	वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2014-15	जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, अपील
सेवा कर अधिनियम (वित्त अधिनियम, 1994)	सेवा कर	15850899	–	वित्तीय वर्ष 2013-14	जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कार्यालय, अपील

Name of Statute	Nature of Dues	Amount	Adjusted against Refund of other years	Period for the amount relates	Forum where the dispute is pending
Income -tax Act, 1961	Income Tax and Interest	19532214	12831534	Asst Year 2013-14	Commissioner of Income Tax– Appeals
Service Tax Act (Finance Act,1994)	Irregular CENVAT CREDIT	2178262	–	Financial Year 2011-12 to 2014-15	Office of commissioner of GST & central excise appeals
Service Tax Act (Finance Act,1994)	SERVICE TAX	15850899	–	Financial Year 2013-14	Office of commissioner of GST & central excise appeals

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार या डिबेंचर धारकों को ऋण के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है.

(viii) In our opinion and according to the information and explanations given to us, the Company has not defaulted in the repayment of loan to Banks, financial Institution, Central Government or debenture holders.

(ix) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या अग्रसर पब्लिक ऑफर के तौर पर (जिसमें ऋण दस्तावेज और मियादी ऋण भी शामिल हैं) किसी तरह के धन की उगाही नहीं की है. तदनुसार ऑर्डर का क्लॉज 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता और इसी कारण उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

(ix) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and term Loans during the year. Accordingly, the provisions of clause 3 (ix) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(x) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट है कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और न ही कंपनी के साथ कोई धोखाधड़ी हुई है.

(x) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, we report that no fraud by the Company or on the company by its officers or employees has been noticed or reported during the year.

(xi) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, चूंकि यह कंपनी सरकारी कंपनी है, कंपनीज एक्ट के प्रावधान सेक्शन 197 जिसे शिड्यूल V के साथ पढ़ा जाय, इस कंपनी पर लागू नहीं होते और इसी कारण उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

(xi) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, since the Company is a government company provisions of provisions of section 197 read with Schedule V to the Companies Act does not apply and hence not commented upon;

(xii) हमारी राय में यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है अत: ऑर्डर के प्रावधान क्लॉज 4 (xii) कंपनी पर लागू नहीं होते.

(xiii) हमारी राय में, सभी संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 177 और 188 के प्रावधानों के अनुरूप हैं और जैसा कि मान्य प्रचलित लेखा मानदंडों में आवश्यक माना जाता है. वित्तीय विवरणों में विस्तार दे दिये गये हैं

(xiv) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, समीक्षा वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों के कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किये और न ही पूर्णत: या आंशिक कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी किये. इस वजह से ऑर्डर के क्लॉज 3 (xiv) इस कंपनी पर लागू नहीं होते और इसी कारण उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

(xv) लेखा परीक्षण की कार्यपद्धतियों के प्रदर्शन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, कंपनी ने डायरेक्टरों अथवा उनसे संबंद्ध किन्हीं व्यक्तियों के साथ किसी तरह का नकदी रहित लेनदेन नहीं किया. इसके अनुरूप ऑर्डर के क्लॉज 3 (xv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते. इसी कारण उन पर कोई टिप्पणी नहीं की गई.

(xvi) हमारी राय में कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 IA के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराए जाने की आवश्यकता नहीं है. इसी कारण ऑर्डर के क्लॉज 3 (xvi) के प्रावघान कंपनी पर लागू नहीं होते और उन पर टिप्पणी नहीं की गई है.

टस्की असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर –
एफआरएन 008730एन

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 31/10/2018

(xii) In our opinion, the Company is not a Nidhi Company. Therefore, the provisions of clause 4 (xii) of the Order are not applicable to the Company.

(xiii) In our opinion, all transactions with the related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details have been disclosed in the Financial Statements as required by the applicable accounting standards.

(xiv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year under review. Accordingly, the provisions of clause 3 (xiv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xv) Based upon the audit procedures performed and the information and explanations given by the management, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Accordingly, the provisions of clause 3 (xv) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

(xvi) In our opinion, the company is not required to be registered under section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 and accordingly, the provisions of clause 3 (xvi) of the Order are not applicable to the Company and hence not commented upon.

Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number –
FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
Partner
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 31/10/2018

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ख"

कंपनीज एक्ट 2013 (द एक्ट) के सेक्शन 143 के क्लॉज (i) के सब सेक्शन 3 के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट.

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (द कंपनी) के संलग्न वित्तीय वक्तव्यों का लेखा परीक्षण किया है जिनमें के 31 मार्च 2018 को तथा उसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखे तथा रोक़ड़ प्रवाह विवरण, साथ ही महत्वपूर्ण लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश भी शामिल है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का दायित्व

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और फिर उनकी देखरेख करने का दायित्व प्रबंधन का है ये कंपनी द्वारा निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों पर आधारित हों जिनमें भारत के सनदी लेखाकार (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संदर्भ में मार्गदर्शी नोट को दृष्टिगत रखते हुए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक तथ्य सम्मिलित है. इस दायित्व में डिजाइन, परिपालन तथा आंतरिक नियंत्रणों की देखभाल आदि इस प्रकार शामिल हों जो कम्पनी के सुसंचालन को सुनिश्चित करें जिसमें कम्पनी की नीतियों का अनुपालन, कम्पनी के सम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधडी एवं गलतियों की रोकथाम, समुचित परिदृश्य उन लेखा मानकों के अनुरूप प्रस्तुत किया गया हो जिनका उल्लेख कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किया गया है. लेखा अभिलेखों की सही तथा पूर्णता सुनिश्चित करें साथ ही समय पर विश्वसनीय वित्तीय सूचना तैयार करें जैसा कि कम्पनी अधिनियम 2013 अपेक्षित है.

लेखा परीक्षकों का दायित्व

हमारा दायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में हमारे लेखा परीक्षण पर राय प्रकट करना है. हम वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना लेखा परीक्षण ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनांशियल कंट्रोल्स के दिशा निर्देश नोट्स (गाइडेंस नोट्स) के प्रावधानों और आईसीएआई द्वारा जारी स्टैंडड्र्स ऑन एडीटिंग के अनुसार करते हैं. जहां तक वे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं तथा आईसीएआई द्वारा जारी तथा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षण के मानदंड आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण के लिए जहां तक लागू हो सकते हों, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षणों के लिए लागू होते हैं और दोनों ही इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किये गये हैं. वे मानदंड तथा दिशा निर्देश नोट, दोनों ही यह मांग करते हैं कि हम नीति विषयक आवश्यकताओं को मानें. लेखा परीक्षण में हमारी योजना एवं कार्यप्रणाली का लक्ष्य युक्तिसंगत रूप से यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुस्थापित हैं या नहीं, उनकी समुचित देखभाल हो रही है या नहीं और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में लागू हैं या नहीं.

हमारे लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल है. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन से सामग्री दोष रहना और जोखिम के आकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल हैं. चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती है. जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल है, चाहे धोखाधडी या त्रुटि के कारण हो.

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त है.

Annexure – "B" to the Auditors' Report

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of National Film Development Corporation Limited ("the Company") as of 31 March 2018 in conjunction with our audit of the standalone financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कम्पनी का वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक नियंत्रणों का अर्थ ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग और बाह्य उद्देश्यों के लिए आमतौर पर मान्य लेखा परीक्षणों के सिध्दांतों के तार्किक भरोसे के लिए डिज़ाइन किया जाता है. वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर किसी कम्पनी के आंतरिक नियंत्रण में ये नीतियां एवं प्रक्रियाएं शामिल होती है जो 1) उन रिकार्ड्स की देखरेख से ताल्लुक रखती हो जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों के सम्बंध में सारे क्रियाकलाप तर्कसंगत विस्तार में सही तरीके से प्रतिबिंबित कर सकें. 2) इस बात का समुचित भरोसा दिला सके कि सभी वित्तीय विवरण लेनदेन के लेखांकन के आमतौर पर प्रचलित सिध्दांतों के अनुरूप तैयार किए गये हो एवं कम्पनी के खर्च तथा प्राप्तियों का विवरण प्रबंधन एवं कम्पनी के निदेशकों की प्राधिकृति सहित हो. 3) कम्पनी की उन परिसम्पत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण पर रोकथाम अथवा समय पर उसका पता लगा लेना जिनका वित्तीय विवरणों पर आर्थिक प्रभाव पड़ता हो.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण जिनमें मिलीभगत अथवा अनुपयुक्त प्रबंधन द्वारा नियंत्रणों की अनदेखी की संभावना बनी रहती है, गलती या धोखेबाजी की वजह से सामग्री के संबंध में गलतबयानी की जा सकती है जिसका पता न भी चले. साथ ही आने वाले दिनों के लिए किसी भी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन पर इस बात का खतरा बना रहता है कि बदलती परिस्थितियों या नीतियों की वजह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण अपर्याप्त सिद्ध हो जाएं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं में क्षय हो जाय.

राय

हमारी राय में, नीचे दी जा रही हमारी टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी में सभी भौतिक आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है. जो कि कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की कसौटी पर स्थापित किये गये थे जिनमें इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के दिशा निर्देशों को पूरी तरह समाहित किया गया है.

सशर्त राय का आधार

कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के निम्न क्षेत्रों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को सुदृढ करने की आवश्यकता है

1. आंतरिक लेखा परीक्षण लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जा रहा है. लेकिन रिपोर्ट्स समय पर दाखिल नहीं होतीं और इनका दायरा भी बढ़ाये जाने की जरूरत है जिससे कि वित्तीय और अन्य नियंत्रण विशेषकर प्रणालियों के लेखा परीक्षण और आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा को सुदढ किया जा सके.

2. सेवाएं उपलब्ध करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्राय: कमजोर है और बहुत सी सेवाएं प्राप्त करने के लिये जैसे प्रोडक्शन संबंधी योजनाओं में टेंडरिंग की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. क्रिएटिव एजेंसियों की सूची बनाने और क्रियेटिव एजेंसी चुनने के लिये एसओपी के नाम पर टेंडरिंग प्रक्रिया को टाल दिया गया जबकि क्रिएटिव एजेंसी की सूची बनाने, और चुनाव से सूचीबद्ध क्रियेटिव एजेंसियों के बीच प्रतियोगी कीमतें हासिल करने में एसओपी से प्रतियोगी कीमतें पाने में कोई छूट नहीं मिल जाती. ये तथ्य इस ओर इंगित करते हैं कि टेंडरिंग प्रक्रिया की

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company; (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

Subject to our comments below, In our opinion, the Company has, adequate internal financial controls system over financial reporting, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Basis for Qualified Opinion

The company needs to strengthen the internal financial controls over the following areas of business activities.

1. Internal audit is being done by Independent firm of Chartered Accountants. There is a need to strengthen the verification of statutory compliances. However the scope needs to be enlarged to strengthen the financial and other controls especially in field of systems audit and review of internal controls.

2. The Internal control System in respect of procurement of services is generally weak and in various such procurements proper tendering procedure in respect to the PRODUCTION projects was not followed and the tendering process has been avoided in the name of SOPs for enlistment of creative agency and selection of creative agency, however enlistment and selection of creative agencies does not bar tendering for the competitive prices among the enlisted agencies and the SOPs does not provide any exemption from competitive bidding from such enlisted/selected agencies. These facts indicate that the absence of tendering procedure creates an

अनुपस्थिति सेवाएं उपलब्ध करने में एक ऐसी निहित कमजोरी का निर्माण करती है जो कि कंपनी पर अतिरिक्त व्यय डाल कर उसे कम खर्च पर काम करने वाली छवि बनाने से रोकती है

inherent weakness in such procurement system, which may cause additional expenditure by the company so as to affect its cost effective performance.

टस्की असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर –
एफआरएन 008730एन

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 31/10/2018

Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number –
FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
Partner
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 31/10/2018

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक – "ग"

एक्ट के सेक्शन 143 (5) के अंतर्गत रिपोर्ट

कंपनी के रिकॉर्ड्स के सत्यापन और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिशा निर्देशों पर एक्ट के सेक्शन 143 (5) की शर्तों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के लिये नीचे एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं.

	छानबीन के क्षेत्र	निगरानी/नतीजे
1.	क्या कंपनी के पास क्रमानुसार फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड क्लियर टाइटल/लीज डीड्स हैं? अगर नहीं तो कृपया उस फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का क्षेत्र बताएं जिनके लिए टाइटल/लीज डीड्स उपलब्ध नहीं हैं.	अचल परिसंपत्तियों के टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर रखे जाते हैं (स्पूतनिक में कार्यालय परिसर खरीदने के मामले में अपवाद को छोड़ कर). उसमें ग्रॉस ब्लॉक (कुल मिला कर ₹ 2,76,539 तक हो गया था) और एनएफडीसी के नाम पर सिर्फ सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट ही जारी किया गया है.
2	क्या उधारी/ऋणों/ब्याज आदि को छोड़ देने/बट्टखाते डाल देने जैसे कोई मामले हैं? यदि हां तो कारण एवं राशि स्पष्ट कीजिए	वर्ष के दौरान ₹ 53,49,395 के बुरे ऋण बट्टे खाते डाले गये. वर्ष के दौरान फिल्म प्रोजेक्ट 'यशोधरा एक काव्य' रद्द कर देना पड़ा क्योंकि प्रबंधन की दृष्टि में उसे जारी रख सकना मुमकिन नहीं था. इस प्रोजेक्ट पर हुआ ₹ 1,39,95,481 का खर्च इसे 'मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम' दिखा कर बट्टे खाते कर दिया गया. इस राशि को लाभ-हानि विवरण में चार्ज नहीं किया गया लेकिन इसका परिणाम इसे फंडिंग एंटिटी में डेबिट करके बट्टे खाते के रूप में हुआ.
3	क्या थर्ड पार्टियों के पास पड़े माल और सरकार अथवा अन्य प्राधिकारी वर्ग से उपहार/सहायता के तौर पर मिली परिसंपत्तियों के उचित रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं?	कंपनी के पास थर्ड पार्टियों के साथ कोई इन्वेंटरी नहीं है हालांकि "फिल्म निर्माण योजना" पर खर्च सम्पत्ति सूची के तहत बुक किये जाते है और प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में कोई संपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

टस्की असोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर –
एफआरएन 008730एन

मनोज कुमार शर्मा
(पार्टनर)
मेंबरशिप नंबर – 084503

स्थान – भोपाल
दिनांक – 31/10/2018

Annexure – "C" to the Auditors' Report

Report under Section 143 (5) of the Act

Based on the verification of records of the Company and based on information and explanation given to us, we give below a report on the directions issued by the Comptroller and Auditor-General of India in F.Y. 2016-17 in terms of Section 143(5) of the Act.

	Areas to be examined	Observation/Finding
1	Whether the company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and leasehold land for which title/lease deeds are not available	The title deeds of immovable properties are held in the name of the company except in the case of Purchase of Office Premises at Sputnik included in the Gross Block (aggregating to ₹ 2,76,539) where there is only Share Certificate issued by the Housing Society in favour of NFDC.
2	Whether there are any cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc., if yes, the reasons there for and amount involved.	Bad Debts has been written off during the year amounting to ₹ 53,49,395. The file project 'Yashodhara Ek Kavya' was shelved during the year as it was no longer possible to continue the project as per the view of management. But the amount of expenditure incurred on this project amounting to ₹ 1,39,95,481 has been written off by debiting it to the 'Advance from Ministry of I&B' account. Such amount was not charged to Statement of Profit and Loss but it resulted into writing off by way of debiting it to the funding entity.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties & assets received as gift/grant(s) from the Govt. or other authorities.	The Company doesn't have any physical inventory with third parties however expenses on "Film Production Project" are booked under inventories and as per the information provided by the management there is no asset received from government or other authorities as gift.

Tasky Associates
Chartered Accountants
Firm's registration number –
FRN 008730N

Manoj Kumar Sharma
Partner
Membership number – 084503

Place – Bhopal
Date – 31/10/2018

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत सरकार की टिप्पणियां

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण, जो कंपनीज एक्ट 2013 (एक्ट) में निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग तंत्र के अनुरूप हैं, कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं. भारत सरकार के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक द्वारा एक्ट के सेक्शन 139 (5) के अंतर्गत नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक एक्ट के सेक्शन 143 के अंतर्गत अपनी राय प्रकट करने के लिए उत्तरदायी हैं जो एक्ट के सेक्शन 143 (10) के अंतर्गत दिये गये लेखा परीक्षण के मानकों के अनुरूप, स्वतंत्र रूप से किये गये लेखा परीक्षण पर आधारित हो. यह बताया गया है कि उनके द्वारा ऐसा उनके संशोधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 31/10/2018 के द्वारा किया गया है जो उनकी इससे पूर्व प्रस्तुत की गई लेखा परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 04/10/2018 को निरस्त करती है.

भारत सरकार के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक की ओर से मैंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परीक्षण, एक्ट के सेक्शन 143 (6) (ए) के अंतर्गत किया. यह पूरक लेखा परीक्षण वैधानिक लेखा परीक्षकों के किन्हीं भी प्रपत्रों तक पहुंच न बनाते हुए स्वतंत्र रूप से किया गया. यह वैधानिक लेखा परीक्षकों से पूछताछ तथा कंपनी के कुछ कर्मचारियों एवं लेखा रिकॉर्ड्स से संबंधित कुछ गिने चुने परीक्षणों तक सीमित थी लेखा परीक्षण रिपोर्ट को वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा संशोधित किया गया जिससे कि मेरे लेखा परीक्षण में उठाई गईं कुछ टिप्पणियों को पूरक लेखा परीक्षण के दौरान प्रभावपूर्ण बनाया जा सके.

इसके साथ ही मैं निम्न महत्वपूर्ण मामलों को और अधिक स्पष्ट करना चाहूंगा जो एक्ट के सेक्शन 143 (6) (बी) के अंतर्गत आते हैं, जिनकी ओर मेरा ध्यान गया और मेरी राय में जिनके बारे में वित्तीय विवरणों और उनसे संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट में और अधिक समझ की आवश्यकता है.

क. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

परिसंपत्तियां
वर्तमान परिसंपत्तियां
व्यापारिक प्राप्तियां (टिप्पणी 14) ₹ 111.88 करोड़

व्यापारिक परिसंपत्तियों में ₹ 4.68 करोड़ की राशि शामिल है जो दूरदर्शन से प्राप्त की जानी है जो 4 साल से ज्यादा समय से बकाया चल रही है और विवादित है. नोट्स टु अकाउंट के उस नोट 44 का संदर्भ भी उल्लेखनीय है जिसमें कंपनी ने दूरदर्शन के साथ उस विवाद को अभिस्वीकृत किया है जिसके अनुसार उगाही को लेकर विवाद चल रहा है. कंपनी की लेखा नीति 2 (एफ) में कहा गया है कि सरकारी बकायाओं के मामले में संदेहास्पद ऋणों के बारे में प्रावधान है जिसमें प्रबंधन की राय में कुछ सीमा तक के ऋणों की वसूली को असंभव माना जा सकता है. चूंकि दूरदर्शन की तरफ बकाया राशि 4 साल से ज्यादा समय से विवाद में पड़ी है कंपनी की ओर से ₹ 4.68 करोड़ का प्रावधान संदेहास्पद ऋणों के रूप में किया जाना चाहिये था.

दूरदर्शन की ओर से संदेहास्पद ऋणों का प्रावधान न करने का परिणाम वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों से लाभ में ₹ 4.68 करोड़ अधिक दिखाए जाने के तौर पर सामने आया है.

Comments Of The Comptroller And Auditor General of India Under Section 143(6) (B) of The Companies Act, 2013 on The Financial Statements Of National Film Development Corporation Limited For The Year Ended 31st March 2018

The preparation of financial statement of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31st March 2018 in accordance with the financial reporting framework prescribed under Companies Act 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller And Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statement under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143 (10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Revised Audit Report dated 31/10/2018 which supersedes their earlier Audit Report dated 4/10/2018.

I, on behalf of the Comptroller And Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31st March 2018 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. The Audit Report has been revised by the Statutory Auditor to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit.

In addition, I would like to highlight the following significant matters under Section 143(6)(b) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report.

A. Comments on Financial Position

Assets
Current Assets
Trade Receivables (Note 14) ₹ 111.88 crore

The trade receivables includes an amount of ₹ 4.68 crore recoverable from Doordarshan pending for more than 4 years and are under dispute. A reference is also invite to Note 44 to Accounts where Company has acknowledged ongoing dispute with Doordarshan regarding recoverability of dues. Accounting policy (2F) of the Company states that in respect of Government dues, provision for doubtful debts are made to the extent considered not recoverable in the opining of the management. Since the amount due from Doordarshan is pending for recover for more than four years and under dispute. Company should have made provision of ₹ 4.68 crore for doubtful debts.

Non provision of doubtful debts in respect of dues recoverable from Doordarshan has resulted in overstatement of Profit for the year and Trade Receivable by ₹ 4.68 crore.

ख. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियां

ऊपर दी गई टिप्पणी ए तथा `बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन' के अंतर्गत स्वतंत्र लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में जो टिप्पणी (सी) तथा (एफ) में की है उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष का लाभ (₹ 14.54 करोड़) ₹ 6.29 करोड़ कम हो जाएगा जैसा कि कंपनी के लाभ-हानि के विवरण में दर्शाया गया है. इस तरह लाभ के प्रतिशत पर 14.54 के मुकाबले 43.26 प्रतिशत का अंतर आएगा. इस तरह कंपनी का 2017-18 के लिए दिया गया वित्तीय विवरण `सही तथा निष्पक्ष' छवि प्रस्तुत नहीं करता और न ही यह स्वतंत्र लेखा परीक्षक की ओर से उचित है जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वित्तीय विवरण `सही तथा निष्पक्ष' हैं.

ग. रोकड़ प्रवाह पर टिप्पणियां

कंपनी के रोकड़ प्रवाह विवरण में निम्म कमियां पाई गईं –

1. लेखा मानक-3 के पैरा 6 के अनुसार ₹ 45.13 करोड़ की सावधिक जमा (टिप्पणी 15) जिसकी मूल पूर्णता तीन महीने से अधिक की थी और ₹ 8.28 करोड़ की सावधिक जमा (टिप्पणी 15) जो बैंक गारंटी के सामने मार्जिन राशि के तौर पर रखी गई थी इन दोनों को ही रोकड़ प्रवाह में कैश और कैश इक्यूवेलेंट के रुप में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था. ये सावधिक जमाएं रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत निवेश गतिविधियाँ के तौर पर दिखाई जानी चाहिए थीं.

2. कंपनी ने रोकड़ प्रवाह में ऑपरेटिंग गतिविधियाँ में ₹ 4.51 करोड़ ब्याज सावधिक जमा में निवेश किया दिखाया है. लेखा मानक-3 के पैरा 30 के अनुसार इसे रोकड़ प्रवाह की निवेश गतिविधियाँ के तौर पर दिखाया जाना चाहिए था.

की ओर से
महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24/01/2019

B. Comments on independent Auditor's Report

Considering the impact of comment A above and comments No. (c) and (f) under 'Basis for Qualified opinion' made by the Independent Auditor in his audit report, the profit for the year (₹ 14.54 crore) would decrease by ₹ 6.29 crore as depicted in statement of profit and loss account of the company. The profit is impacted by 43.26 percent in comparison to profit of ₹ 14.54 crore for the year. Hence, the financial statements of the company for the year 2017-18 do not present a 'true and fair view' and it was not proper on the part of Independent Auditor to have provided an assurance that the financial presented a 'true and fair view'

C. Comments on cash Flow

The Cash Flow Statement of the Company was deficient to the following extent –

1. In accordance with Para 6 of Accounting Standard-3, term deposits of ₹ 45.13 crore (Note 15) with original maturity of more that 3 months and terms deposits of ₹ 8.28 crore (Note 15) held as margin money against bank guarantee, should not have been included in the cash and cash equivalents in the cash flow statement. These term deposits should have been included under cash flow from investing activities.

2. The Company has shown an interest of ₹ 4.51 crore on investment in term deposit in cash flow from operation activates. In accordance with para 30 of Accounting Standard-3, the same should have been shown as cash flow from investing activities.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Place : New Delhi
Dated : 24/01/2019

कंपनी के अधिनियम 2013 के सेक्शन 143 (6) (बी) के अंतर्गत राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड द्वारा 31मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए प्रस्तुत वित्तीय विवरणों पर भारत सरकार के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक की ओर से की गई टिप्पणियों के उत्तर

पैरा (क)

सरकारी बकाया राशियों के अशोध्य ऋणों के संबंध में कंपनी की अकाउंटिंग नीति के अनुसार प्रावधान उस सीमा तक किये जाते हैं जिसे कंपनी के प्रबंधन की राय में यह माना गया हो कि उनकी वसूली संभव नहीं. इस मामले में दोनों ही पक्षों, अर्थात एनएफडीसी और प्रसार भारती ने 8 अगस्त 2012 को हुए एक समझौते के अनुसार मैसर्स एस टंडन को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया. कॉर्पोरेशन ने प्रसार भारती के साथ पंच कार्यवाही शुरू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए लेकिन प्रसार भारती की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव (फिल्म्स) ने प्रसार भारती को 30 दिन के अंदर मामला सुलझा लेने के लिए अर्ध सरकारी पत्र जारी किया (पत्र संख्या 202/22/2009-F(PSU) दिनांक 11 अप्रैल, 2017) क्योंकि विवाद लंबे समय से लंबित चल रहा था. इसके बाद दूसरा पत्र हमारे निदेशक (वित्त) ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को लिखा (पत्र संख्या NFDC/DDK/D(F) 2017 दिनांक 29th अगस्त,2017) जिसमें मामले के पंच समझौते की कार्यवाही को जल्दी आगे बढ़ाने की प्रार्थना की गई थी. इसके बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अपने कार्यालय आदेश संख्या 202/22/2009-F(PSU) दिनांक 25 जनवरी 2018 को मामले को सुलझाने के लिये तीन सदस्यीय समिति गठित की जिसमें (i) श्री अली रज़ा रिज़वी अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (ii) श्री रोहित कुमार परमार, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा (iii) श्री अशोककुमार परमार, संयुक्त सचिव (फिल्म्स) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, सदस्य थे. इसके बाद, निदेशक (वित्त) ने 25 जुलाई 2018 को सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिख कर (पत्र संख्या NFDC/D(F)/2018/232) मंत्रालय से यह प्रार्थना की कि मामले को सुलझाने के लिए समिति की बैठक शीघ्र बुलाई जाय. इसके बाद फिर एक स्मरण पत्र 1 नवंबर 2018 को भेजा गया. (पत्र संख्या NFDC/D(F)/2018/240.

चूंकि कॉर्पोरेशन को उम्मीद है कि प्रसार भारती से बकाया बसूल किया जा सकेगा, अत: संदेहास्पद ऋण का प्रावधान नहीं किया गया. हम अपने शेयरहोल्डर्स के नोटिस में यह लाना चाहते हैं कि हम इसके पहले भी 2006 में बकाये के भुगतान को लेकर एन एफ डी सी और प्रसार भारती के बीच समझौते की बातचीत को सफलता पूर्वक अंजाम दे चुके हैं.

पैरा (ख)

वैधानिक लेखा परीक्षकों का उत्तर :
कृपया 31/10/2018 की लेखा परीक्षण रिपोर्ट का पैरा (ई) संदर्भित करें जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये –

"सामान्यत: कंपनी गैर सरकारी देनदारों के मामलों में नियमित तौर पर उन बुरे तथा संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान करती ही है जो तीन साल से अधिक की अवधि से बकाया चले आ रहे हों. ₹ 1,31,79,29,562 की कुल व्यापार प्राप्तियों में ₹ 10,48,76,511.53 के वे देनदार शामिल हैं जो सरकारी विभागों/एजेंसियों से ताल्लुक रखते हैं. ये देनदारियां 5 साल से अधिक समय से लंबित हैं. इन्हें कंपनी की राय में सही माना गया. इस प्रकार के लंबे समय से चली आ रही देनदारियों की वसूली

Reply to the comments of the Comptroller and Auditor General of India under Section143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the Financial Statements of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2018

Para (A)

As per the accounting policy of the Corporation on Provision for Doubtful Debts in respect of Government dues, Provisions are made to the extent considered not recoverable in the opinion of the management. However in this case both the parties i.e NFDC and Prasar Bharti through an agreement dated 8th August, 2012 appointed Ms. S. Tandon as the arbitrator. Necessary follow up were made by the Corporation with Prasar Bharti for commencing the Arbitration proceedings but there was no response from Prasar Bharti. The Joint Secretary (Films) of Ministry of I&B had issued a D.O letter No. 202/22/2009-F(PSU) dated 11th April, 2017 to Prasar Bharti to settle the issue within 30 days as the same has already been delayed for so long. This was followed by letter No. NFDC/DDK/D(F) 2017 dated 29th August,2017 by Director (Finance) to Ministry of I&B requesting for initiation of arbitration proceedings at the earliest. Further the Ministry of Information & Broadcasting vide Office Order No. 202/22/2009-F(PSU) dated 25th January, 2018 constituted a 3 member committee comprising of officers of Ministry who were (i) Shri Ali Raza Rizvi, AS&FA, Ministry of I&B (ii) Shri Rohit Kumar Parmar, Senior Economic Advisor, Ministry of I&B (iii) Shri Ashok Kumar Parmar JS (Films), Ministry of I&B for resolving the long pending dispute between NFDC & Doordarshan for recovery of outstanding dues of the Corporation and this was followed by Director (Finance) letter No. NFDC/D(F)/2018/232 dated 25th July,2018 addressed to the Ministry of I&B requesting the Ministry that a meeting of the Committee may be convened at the earliest for resolution of the disputes which was followed by sending a reminder vide letter No. NFDC/D(F)/2018/240 dated 1st November, 2018.

Since the Corporation is hopeful of recovering the dues from Prasar Bharati, hence provision for doubtful debts was not made. Earlier also we wish to bring to the notice of Share Holders that the Corporation was successful in holding the arbitration proceedings for settlement of dues between NFDC and Prasar Bharati in the year 2006.

Para (B)

Reply by statutory auditors :
Please refer to Para (e) of the audit report dated 31/10/2018, which reads as –

“In normal course, the company is making provision for bad and doubtful debt for any debts outstanding for more than 3 years, in respect to non govt debtors as regular practice. The total trade receivables of ₹ 1,31,79,29,562 includes debtors for a sum of ₹ 10,48,76,511.53 pertaining to government department/ agencies and theses debtors are outstanding for the period more than 5 years and were considered good by the company. Such

संदेहास्पद तो लगती ही हैं, और उनकी वसूली के लिए दूरदर्शन के साथ विवाद भी चल रहा है फिर भी इन्हें लेकर अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया. कंपनी को इस तरह के ऋणों के संबंध में नीति बनाने और वसूली की यथार्थपरक प्रस्तुति सामने रखने की आवश्यकता है."

लेखा परीक्षण रिपोर्ट के उक्त पैरा में यह स्पष्ट कहा गया है कि नीति का अभाव है और इसमें यह नहीं कहा गया है कि प्रावधान कितना हो जो कि कंपनी द्वारा नहीं बनाये गये हैं एवं ऋणों की प्रकल्पना जिनमें दूरदर्शन पर बकाया 4 साल से अधिक हो संदेहास्पद ऋण हो इससे लेखा परीक्षकों को यह राय बनाने का आधार नहीं हो सकता कि वित्तीय विवरण `सही तथा निष्पक्ष' नहीं हैं.

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक द्वारा लाभ पर जो 43.26 प्रतिशत का असर आंका गया है, वह यह राय कायम करने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता कि कि वित्तीय विवरण `सही तथा निष्पक्ष' नजरिया पेश नहीं करते. लेखा परीक्षकों को परिस्थितियों को संपूर्णताओं में देखना चाहिए और `मेथमेटिकल व्यू' कहना एकमात्र शासी सिद्धांत नहीं हो सकता. अतः हम भारत सरकार के महालेखा परीक्षक तथा नियंत्रक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक वाली टिप्पणी से सहमत नहीं.

पैरा (ग)

रोकड़ प्रवाह विवरण में जो कुछ प्रतिपादित किया गया है वह वह कंपनी के वैधानिक लेखाकारों की राय पर ही किया गया है. अगर वर्ष 2018-19 के लिए कोई परिवर्तन किये जाने हैं तो उनकी राय लेकर ही किये जा सकते हैं.

long outstanding of debtors indicate recovery to be doubtful, and also there is ongoing dispute with Doordarshan on recoverability, yet no provision was made. The company needs to adopt a policy for making provisions in respect to such debts and a realistic presentation of recoverable should be made."

The above referred Para of Audit Report clearly indicated a lack of policy and it does not states the quantum of provision which has not been made by the company and presumptions of debts to be outstanding for more than 4 years to Doordarshan may be a doubtful debt cannot make auditor's to view the Financial Statement not to be "True and Fair".

Moreover, impact of profit for 43.26% computed by the Comptroller and Auditor General of India cannot be the sole basis for taking a view to the effect that Financial Statement do not show "True and Fair" view. The auditor has to see the totality of circumstances and in case of qualification "a mathematical view" cannot be the sole governing principle. Therefore, we do not agree with the comment of Comptroller and Auditor General of India so far as they relate to the Independent Auditor's Report.

Para (C)

The Presentation in Cash Flow Statement has been made in consultation with Statutory Auditors of the Company. The changes if any to be made in the year 2018-19 will be done in consultation with them.

डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, छठी मंजिल, नेहरू सेंटर, डॉ ॲनी बेसंट रोड, वरली, मुम्बई 400 018
Discovery of India Building, Nehru Centre, 6th Floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400 018
T 91 22 6628 8288 I **F** 91 22 2495 2262
E nfdc@nfdcindia.com I www.nfdcindia.com
CIN U92100MH1975GOI022994